

भारतीय रिज़र्व बैंक



वार्षिक रिपोर्ट 2006-07
सारांश



जून 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की
कार्यप्रणाली पर केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट का सारांश

पूरी वार्षिक रिपोर्ट इंटरनेट पर भी देखी जा सकती है।

URL : www.rbi.org.in



भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट

1 जुलाई 2006 से 30 जून 2007 तक*

भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और संभावनाएं

I

आर्थिक समीक्षा

I. समष्टि आर्थिक नीति संबंधी वातावरण

I.1.1 वैश्विक आर्थिक गतिविधि में 2006 के दौरान लगातार चौथे वर्ष भी उछाल बना रहा और उपलब्ध सूचना बताती है कि वृद्धि की यह गति 2007 के दौरान भी बनी रहने की संभावना है, हालाँकि इसके साथ-साथ यदा-कदा कुछ मंदी भी रहेगी। वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2005 के 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2006 में 5.5 प्रतिशत हो गयी तथा 2003-2006 की चार वर्ष की अवधि में इसका औसत 4.9 प्रतिशत रहा। इस वैश्विक आर्थिक गतिविधि का 2006 में सकारात्मक पहलू यह रहा कि बड़े क्षेत्रों/देशों के बीच इसमें विस्तार हुआ। 2006 के उत्तरार्ध से अमरीका में शुरू हुई आर्थिक गतिविधि की मंदी का असर काफी हद तक यूरो क्षेत्र और जापान में गतिविधि की तेजी से बराबर हो गया; चीन और भारत की अगुआई में उभरते और विकासशील देशों ने ऊंची वृद्धि वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था को पक्का समर्थन दिया। तथापि, बढ़ती वैश्विक गतिविधि बहुत से देशों में उत्पादन अंतर को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है; वैश्विक वस्तुओं के मूल्यों द्वारा रिकार्ड किए गए बढ़िया लाभ के साथ सुदृढ़ मांग प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के स्फीतिकारी दबावों में परिलक्षित हुई। प्रमुख देशों में हेडलाइन मुद्रा स्फीति के लक्ष्यों / सुगम क्षेत्रों से बाहर जाने से बहुत से केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर लगाम लगाने के

लिए मौद्रिक नीति में कठोरता लाने का मार्ग अपनाया।

I.1.2 सुदृढ़ वैश्विक वृद्धि के वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार 2006-07 में सुदृढ़ वृद्धि दर्शाना जारी रखा। सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में द्वि-अंकीय वृद्धि से प्रोत्साहन पाकर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2005-06 के 9.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 9.4 प्रतिशत रहा। इस प्रकार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि (2002-03 से 2006-07) के दौरान औसतन 7.6 प्रतिशत रही - अब तक किसी भी योजनावधि में विस्तार का सर्वाधिक तेज कदम - अस्सी और नब्बे के दशक में रही 5.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि से तुलनात्मक रूप से काफी अधिक। प्रति व्यक्ति आय (अर्थात् स्थायी लागत पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद) में वृद्धि 2005-06 के 7.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 8.4 प्रतिशत रही। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि का औसत दसवीं पंचवर्षीय योजना में 6.1 प्रतिशत वार्षिक रहा और विगत चार वर्षों (2003-04 से 2006-07) के दौरान 7.1 प्रतिशत वार्षिक रहा, अस्सी और नब्बे के दशक में दर्ज की गई 3.4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के दूने से ज्यादा। आर्थिक गतिविधि की गति में वृद्धि को घरेलू बचतों और निवेश तथा उत्पादकता लाभों में महत्वपूर्ण वृद्धि के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। 2006-07 के दौरान आर्थिक वृद्धि

* : यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, परंतु अनेक मदों के आँकड़े वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल-मार्च आधार पर उपलब्ध हैं। अतः आँकड़ों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया है। उपलब्धता के अनुसार आँकड़ों को मार्च 2007 से आगे तक अद्यतन किया गया है। विश्लेषण के प्रयोजनार्थ और नीति संबंधी उचित स्वरूप उपलब्ध कराने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों और साथ ही संभाव्य अवधि के संदर्भ इस रिपोर्ट में दिए गए हैं।

की एक ध्यान देने योग्य विशेषता विनिर्माण गतिविधि का और सुदृढ़ होना रहा। परिणामस्वरूप, 2003-04 से चली आ रही सतत उच्च वृद्धि को देखते हुए अनेक उद्योगों में क्षमता उपयोग बढ़ा है जिसकी वजह से मांग दबाव बढ़े हैं जो प्राथमिक वस्तुओं के आपूर्ति आघातों के साथ 2006-07 के दौरान मुद्रास्फीति नियंत्रण के विभिन्न उपायों की बढ़ोत्तरी में परिलक्षित हुए हैं। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने स्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने के लिए एक के बाद एक अनेक पूर्वोपाय किए। इन मौद्रिक उपायों के साथ-साथ राजकोषीय और आपूर्ति विषयक उपाय भी किए गए थे।

1.1.3 विगत कुछ वर्षों के दौरान घरेलू आर्थिक गतिविधि की सतत सुदृढ़ता को भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता में सुधार लाने के व्यावहारिक नीतिगत उपायों के द्वारा समर्थन दिया जाता रहा है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों - वास्तविक, राजकोषीय, बाह्य, मौद्रिक और राजकोषीय क्षेत्रों को कवर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए थे ताकि वृद्धि की मौजूदा गति कायम रखी जा सके और इसे समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता के वातावरण में अधिक समेकित बनाया जा सके।

वास्तविक क्षेत्र संबंधी नीतियां

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां

1.1.4 तेज, अधिक व्यापक आधार वाली और समेकित वृद्धि पर नवीकृत फोकस के परिप्रेक्ष्य में वृद्धि की गति के मंदन की दिशा को पलटना और कृषि वृद्धि में अस्थिरता को नियंत्रण में रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रही। सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, फसलोत्पादन, संस्थागत ऋण प्रवाह और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के अनेक उपाय किए गए और साथ ही कर्ज में डूबे किसानों को कुछ राहत भी दी गई।

1.1.5 नवंबर 2006 में एक राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण बनाया गया ताकि सूखी भूमि और वर्षा

सिंचित कृषि के उन्नयन और प्रबंधन में सहायता प्रदान की जा सके। यह प्राधिकरण वाटरशेड विकास और भूमि के उपयोग संबंधी अन्य पहलुओं से संबंधित सभी योजनाओं का समन्वय करेगा। 2007-08 के केंद्रीय बजट में नए *वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम* के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह भी प्रस्ताव है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइबीपी) का पुनर्गठन किया जाए ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा सकें। ए आइ बी पी के अंतर्गत परिव्यय 2006-07 के 7,121 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 11,000 करोड़ रुपए बजट किया गया है (जिसमें राज्य सरकारों को 3,580 करोड़ रुपए का अनुदान घटक भी शामिल है)। मार्च 2005 में 13 राज्यों में प्रारंभ की गई जल संचय प्रणालियों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार की प्रायोगिक परियोजना के अनुरूप विश्व बैंक के सहयोग से अन्य राज्यों के लिए इसी प्रकार की परियोजनाओं की रूपरेखा बनाई गई है। 2007-08 के केंद्रीय बजट में राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे ऐसे प्रस्तावों के साथ आगे आएँ जिससे कि अगले दो वर्ष में पूरे देश को कवर किया जा सके। केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा देश के 1,065 आकलन खण्डों को 'अति-दोहित' अथवा 'गंभीर' के रूप चिह्नित किए जाने के साथ ही भू-जल के रीतने की समस्या गंभीर हो गई है। 2007-08 के केंद्रीय बजट में ऐसे ढांचे (स्ट्रक्चर) जो कि वर्षा के पानी को खुदे हुए कुओं की ओर ले जाएंगे, खड़े करने के लिए छोटे और सीमान्त कृषकों को 100 प्रतिशत सब्सिडी तथा अन्य किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित 7 मिलियन ढांचों में से लगभग दो मिलियन ढांचे ऐसे होंगे जो छोटे और सीमांत कृषकों की जमीनों पर होंगे। इस संबंध में 1,800 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अंतरित की जाएगी। यह राशि एस्क्रो खाते में रखी जाएगी और संबंधित जिले के अग्रणी बैंक के माध्यम से हिताधिकारियों को संवितरित की जाएगी।

1.1.6 राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 29 मई 2007 को आयोजित अपनी 53वीं बैठक में यह प्रस्ताव अपनाया कि कृषि को नई शक्ति देने के लिए कृषि विकास नीतियों को पुनः अनुकूलित किया जाए ताकि कृषकों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। राष्ट्रीय विकास परिषद ने प्रस्ताव पारित किया कि ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अनेक कदम उठाने होंगे। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने यह वादा किया कि वह आगे आने वाले चार वर्ष में कृषि में 25,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक निवेश करेगी।

1.1.7 वर्ष 2006-07 में लगातार तीसरे वर्ष भी कृषि क्षेत्र को होने वाला ऋण प्रवाह अपने लक्ष्य को पार कर गया। 1,75,000 करोड़ रुपए के इस लक्ष्य के सामने 2006-07 में बैंकिंग प्रणाली द्वारा फार्म क्रेडिट का वास्तविक संवितरण 2,03,296 करोड़ रुपए रहा। 2007-08 के लिए केंद्रीय बजट में बैंकिंग प्रणाली के लिए फार्म क्रेडिट के रूप में 2,25,000 करोड़ रुपए और पांच मिलियन नए कृषकों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय बजट 2006-07 में 2005-06 के खरीफ और रबी मौसम में बैंकों द्वारा प्रदत्त 1 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज माफी योजना को जारी रखने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय बजट की घोषणानुसार खरीफ 2006-07 से शुरू करके 7 प्रतिशत के ब्याज पर 3 लाख रुपये तक के मूल धन की राशि के फसल ऋण उपलब्ध कराए गए थे जिसके लिए सरकार ने दो प्रतिशत की ब्याज माफी उपलब्ध कराई। केंद्रीय बजट 2007-08 में यह घोषणा की गई कि यह योजना 2007-08 में भी जारी रहेगी। जुलाई 2006 में राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष परियोजना प्रारंभ की गई थी जिसका लक्ष्य कृषक समूहों, पंचायती राज संस्थाओं और निजी क्षेत्र के सहयोग से आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था। सहकारी समितियों से ऋण का प्रवाह

सुधारने के उद्देश्य से जनवरी 2006 में अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढाँचे को पुनरुज्जीवित करने के लिए एक पैकेज घोषित किया गया था। केंद्रीय बजट 2007-08 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा गया था कि वे एक सघन शाखा विस्तार कार्यक्रम चलाएं और 2007-08 में देश के कवर न किए गए 80 जिलों में कम से कम एक शाखा खोलें।

1.1.8 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, (एनआरईजीएस) जो कि रोजगार के लिए कानूनी गारंटी वाली मांग संचालित योजना है, 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय बजट 2007-08 में एनआरईजीएस के लिए शुरू में 12,000 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक सहित) आबंटित किए गए थे। सरकार का इरादा एनआरईजीएस के कवरेज को 200 जिलों से बढ़ाकर 330 जिलों तक करना है। इसके अलावा, एनआरईजीएस द्वारा जो जिले नहीं कवर किए गए हैं उनमें ग्रामीण रोजगार के लिए *संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना* हेतु 2,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस केंद्रीय बजट में *स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना*, जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धन के बीच स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है, के लिए आबंटन 2006-07 के 1,200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 1,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

विनिर्माण और बुनियादी सुविधाएं

1.1.9 वर्ष 2003-04 से विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि में अन्य बातों के साथ निवेशक अनुकूल तथा क्षेत्र विशिष्ट नीतियों में सुधार से सुसाध्य बनी है। देश में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन पर फोकस के साथ वृद्धि की गति को और संस्थापित करने के लिए 2006-07 और 2007-08 में नीतिगत ढांचे को और तर्कसंगत तथा सरल बनाया गया। कुशल श्रमिकों की बदली मांग का सामना करने के लिए मानव कौशल के उन्नयन हेतु वर्ष के दौरान कदम उठाए गए। लघु एवं मध्यम उद्यमों वाले खंड को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कदम उठाए गए।

1.1.10 स्वणिम चतुर्भुज से संबंधित कार्य लगभग पूरा होने को है जबकि उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम मार्ग परियोजना में विचारणीय प्रगति हुई है और आशा की जाती है कि यह 2009 तक पूरा हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) अर्थात् एनएचडीपी -III, एनएचडीपी -V और एनएचडीपी -VI की स्थिति योजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है। सरकार ने ‘‘निर्माण-स्वामित्व-अंतरण’’ के आधार पर 12,109 कि.मी. का राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से का उन्नयन करने और चार लाइन का बनाने का अनुमोदन किया। राष्ट्रीय महामार्गों की 6,500 कि.मी. लंबाई को छह पथ वाला करने (जिसमें स्वणिम चतुर्भुज के 5,700 कि.मी. शामिल हैं) और एनएचडीपी -VI के अंतर्गत 1,000 कि.मी. के द्रुत महामार्ग बनाने का भी अनुमोदन दिया गया है। अब तक भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने अर्थक्षमता अंतर के निधीयन के रूप में 2,072 करोड़ रुपए दिए हैं किंतु एक नकारात्मक सहायता अनुदान के रूप में 1,900 करोड़ रुपए भी प्राप्त किए हैं। 3,423 करोड़ रुपए के तत्संबंधित सार्वजनिक घटक के साथ 2001 से जनवरी 2007 के लिए एनएचडीपी के अंतर्गत लीवरेज निजी क्षेत्र निवेश 25,366 करोड़ रुपए रहा। 2007-08 के केंद्रीय बजट में एनएचडीपी के लिए प्रावधान 2006-07 के 9,945 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 10,667 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

1.1.11 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन विधेयक 15 दिसंबर 2006 को संसद में प्रस्तुत किया गया था ताकि प्रौद्योगिकी, सुरक्षा प्रथाओं और ऐसे अनुप्रयोगों से संबंधित प्रक्रियाओं को लागू किया जा सके। इसके अलावा, यह सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों में प्रौद्योगिकीय उदासीनता की समस्या को दूर करता है जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के संबंध में यूएनसीआइटीआरएल आदर्श कानून द्वारा सिफारिश की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं पहुंचाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों

में 100,000 सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है जो न केवल ज्यादातर सरकारी सेवाओं के लिए एक फ्रंट एंड के रूप में कार्य करेंगे बल्कि ग्रामीण भारत के नागरिक को वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने का एक साधन होंगे। यह योजना सरकार और निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। इसके लिए 5,742 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है; इसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा क्रमशः 856 करोड़ रुपए और 793 करोड़ रुपए होगा। शेष राशि निजी क्षेत्र द्वारा निवेश की जाएगी।

राजकोषीय नीति

1.1.12 2006-07 में राजकोषीय नीति ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) नियम, 2004 के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए अनुसार राजकोषीय सुधारों की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी हालांकि इसके साथ-साथ आर्थिक वृद्धि, इन्विटी और समष्टि आर्थिक स्थिरता के उद्देश्यों का भी अनुसरण किया गया। केंद्र सरकार के वित्त के संशोधित अनुमान सभी महत्त्वपूर्ण संकेतकों यथा राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे प्रत्येक में तत्संबंधित बजट अनुमानों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत अंक तक की कमी दर्शाते हैं। मई 2007 में बाद में जारी किए गए अनंतिम लेखे ने संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटों में सकल घरेलू उत्पाद के 0.1-0.2 प्रतिशत अंक की और कमी दर्शाई। सुदृढ़ वृद्धि से कर राजस्व बढ़े और विवेकशील व्यय प्रबंध नीतियों ने एफआरबीएम नियमावली, 2004 के अंतर्गत न्यूनतम निर्दिष्ट घटावों की तुलना में उससे कहीं अधिक सभी महत्त्वपूर्ण घाटा संकेतकों में सुधार लाने में योगदान दिया जिससे कि 2008-09 तक राजकोषीय घाटा हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत तक और राजस्व घाटे के 0.5 प्रतिशत तक घटाने की परिकल्पना की गई है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद से

सकल कर का अनुपात 2005-06 के 10.3 प्रतिशत से सुधरकर 2006-07 (सं.अ.) में 11.5 प्रतिशत हो गया। व्यय प्रबंध नीति संबंधी उपायों का लक्ष्य व्यय के पैटर्न में स्थिरता लाना और योजनेतर राजस्व व्यय को सीमित रखना था।

केंद्रीय बजट 2007-08

1.1.13 केंद्रीय बजट 2007-08 में यह नोट किया गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के चरण में प्रवेश कर चुकी है। 2007-08 के लिए राजकोषीय समेकन की नीति 2008-09 तक एफआरबीएम उद्देश्यों को हासिल करने के लक्ष्य सहित एफआरबीएम रोडमैप के अंतर्गत की गई प्रगति का वेग बनाए रखने की आवश्यकता पर आधारित था। सामाजिक क्षेत्रों और भौतिक ढांचे पर व्यय बढ़ती आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में परिणामों और लोक व्यय की आबंटनकारी दक्षताओं को सुधारने पर फोकस के साथ राजकोषीय समेकन के प्रति दृष्टिकोण लगातार अनिवार्यतः राजस्व प्रेरित बना रहा।

राज्य सरकारें

1.1.14 राज्यों ने 2006-07 में राजकोषीय सुधार और समेकन कार्यक्रम का अनुसरण करना जारी रखा तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए गए राजकोषीय पुनर्निर्माण के पथ के अनुसार और प्रगति की। राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार पहले से बड़े अनुदानों और साझा योग्य केंद्रीय करों से सुसाध्य हुआ जैसी कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई है। 26 राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) बनाया गया है (जुलाई 2007 के अंत की स्थिति)। उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने बिक्री कर की जगह मूल्य वर्धित (वैट) कार्यान्वित किया है। विभिन्न राज्यों की मध्यावधि राजकोषीय योजनाओं (एमटीएफपी) का फोकस कर-विसंगतियों को दूर करने और प्राथमिकता के आधार पर व्यय का निर्धारण करने पर है।

बाह्य क्षेत्र विषयक नीतियां

1.1.15 निर्यात वृद्धि को और गति प्रदान करने तथा रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने (अप्रैल 2007 में) विदेश व्यापार नीति (2004-09) की वार्षिक अनुपूरक नीति 2007 की घोषणा की। फोकस उत्पादों और फोकस बाजार योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहनों को बढ़ाते हुए इस वार्षिक अनुपूरक में विदेश व्यापार में लेनदेन लागत कम करने के अवसर भी खोजे गए हैं। कृषि निर्यात को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से *विशेष कृषि* और *ग्राम उद्योग योजना* स्कीमों का विस्तार किया जा रहा है ताकि नारियल तेल, सोयाबीन तेल, आलू के फ्लेक्स, भोजन की वस्तुओं एवं आटे तथा इलायची जैसी और वस्तुओं को इसमें शामिल किया जा सके। हथकरघा और हस्तनिर्मित वस्तु उद्योगों के लिए वर्तमान शुल्क मुक्त पात्रता की उच्चतम सीमा के भीतर औजार, मशीन और उपकरणों के लिए प्रावधान किया गया है ताकि इन ग्राम - आधारित गतिविधियों को आधुनिक रूप दिया जा सके तथा बाजार चुनौतियों का सामना करने के लिए परिचालन बढ़ाए जा सकें। इसी प्रकार रत्नों और आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के उपयोग में आनेवाले औजारों, मशीनों और उपकरणों को वर्तमान शुल्क-मुक्त पात्रता सीमा के अंदर कवर किया जाएगा। भारत से सेवाओं के निर्यात को सुगम बनाने के लिए विदेश में दी जानेवाली और भारत से निर्यात पर प्रभारित की जानेवाली सभी सेवाओं को सेवा कर के भुगतान से छूट दी जाएगी। जहां तक लेनदेन लागतों और विलंब को कम करने के लिए उठाए जानेवाले कदमों की बात है, वार्षिक अनुपूरक में विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत दस्तावेजों का आन-लाइन सत्यापन करने, निर्यात देयताओं को ब्लॉकवार पूरी करने की प्रतिबंधात्मक अपेक्षा तथा मौजूदा *आयात निर्यात* फार्म की लंबाई घटाने की घोषणा की गई है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन

1.1.16 पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता (एफसीएसी) संबंधी समिति (अध्यक्ष : एस.एस. तारापोर) (2006) की सिफारिशों का निष्कर्ष निकालते हुए बाह्य भुगतान व्यवस्था को और सरल तथा उदार बनाने और विदेशी मुद्रा बाजार को गहन बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक उपाय किए गए। आंतरिक कार्य दल, जो कि एफसीएसी की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था, ने 169 मुद्दों की समीक्षा की और उनके संबंध में सिफारिशों की जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन के अंतर्गत आनेवाले सभी क्षेत्रों को समाहित किया गया।

मौद्रिक नीति ढांचा

1.1.17 2006-07 में मौद्रिक नीति का संचालन स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित रखते हुए उच्चतर वृद्धि की दिशा में पारगमन के प्रबंधन की नीतिगत चुनौतियों के मद्देनजर किया गया। बुनियादी सुविधाओं में निवेश में सुधार के कारण मांग दबाव में वृद्धि, पूंजी व्यय चक्र के छोटे होने, उपभोग मांग में वृद्धि, उच्च मौद्रिक वृद्धि, अर्थव्यवस्था के सभी घटक क्षेत्रों में आप उछाल से प्राप्त शक्ति के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी (ओवरहीटिंग) होने के बारे में कोई निर्णायक तथ्य नहीं है फिर भी रिजर्व बैंक ने इस अत्यधिक तेजी के संभाव्य खतरों का ध्यान रखने की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। यहां जोर देकर कहा गया है कि उच्च मुद्रास्फीति लगातार बने रहने से न केवल गरीबों पर इसकी मार पड़ती है अपितु इससे आर्थिक विकास और समष्टि आर्थिक स्थायित्व भी प्रभावित होता है। वृद्धि, मूल्य और वित्तीय स्थायित्व पर सापेक्षतः असमान जोर के चलते स्थायित्व पर जोर औचित्यपूर्ण था और सभी पक्षों द्वारा वृद्धि की गति पर प्रभाव डाले बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एक आर्थिक आवश्यकता बन गई।

1.1.18 मौद्रिक नीति के संचयी और विलंबित प्रभाव को स्वीकार करते हुए मौद्रिक कठोरता लाने के वे पूर्वोपाय जो सितंबर 2004 में शुरू किए गए थे उन्हें 2006-07 और 2007-08 में भी जारी रखा गया। सितंबर 2004 से रिपो दर तथा रिवर्स रिपो दर क्रमशः 175 और 150 आधार बिंदु बढ़ा दी गई, जबकि आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 250 आधार बिंदुओं की बढ़ोत्तरी की गई। ऋण में आई सुदृढ़ और अनवरत वृद्धि की पृष्ठभूमि में आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता के मद्देनजर प्रावधानीकरण मानकों और जोखिम भार में कड़ाई लाकर मौद्रिक उपायों में दृढ़ता लाई गई। बृहद पूंजी अंतर्वाह और चलनिधि तथा मौद्रिक प्रबंधन के प्रभावों के मद्देनजर, जनवरी 2007 से अनिवासी जमा पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 75-100 आधार बिंदु कम की गई।

1.1.19 मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाओं को रोकने के नीतिगत उपायों को बनाए रखते हुए रिजर्व बैंक ने अधिकाधिक लोगों को ऋण उपलब्ध कराने और वित्तीय समावेशन के अपने प्रयास जारी रखे। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जिसमें कृषि, लघु उद्योग इकाइयां, व्यष्टि (माइक्रो) ऋण, शिक्षा ऋण और एक निर्धारित सीमा तक आवास ऋण सरीखे क्षेत्र शामिल हैं, को पहले से ज्यादा ऋण प्रवाह करने के उद्देश्य से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देश संशोधित किए गए।

वित्तीय क्षेत्र नीतियां

1.1.20 संसाधनों के दक्ष आबंटन में वित्तीय क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो विकास के पथ पर अग्रसर है, के संदर्भ में यह पक्ष बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वृद्धि को गति देने में वित्तीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए 2006-07 में रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के उपाय जारी रखे।

कुछेक निश्चित क्षेत्रों में अनवरत उच्च ऋण वृद्धि के चलते आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानीकरण मानकों और जोखिम भार को कड़ा किया गया। अधिक बाजार अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ने लेखांकन और प्रकटीकरण मानदंड सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं। नवीन पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बासेल II) के कार्यान्वयन के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए गए थे। भारतीय वित्तीय क्षेत्र को चरणबद्ध रूप में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप कर बेंचमार्क करने की घोषित नीति के अनुरूप वाणिज्यिक बैंक मार्च 2008 से बासेल II मानदंडों का क्रियान्वयन शुरू करेंगे। राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को प्रोत्साहित कर, राज्यस्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर और कमजोर बैंकों का सुदृढ़ बैंकों के साथ विलय कर 2006-07 में शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संबंध में, एनबीएफसी के प्रति बैंकों के जोखिम पर विवेकसम्मत सीमाएं लगाकर विनियामक ढांचे को मजबूती प्रदान करने के साथ ही प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के लिए पूंजी पर्याप्तता तथा जोखिम मानदंड भी निर्धारित किए गए। वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने की अपनी पहलों के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय जारी रखे। ग्राहकों के हित संवर्धन के लिए रिजर्व बैंक ने जुलाई 2006 में एक अलग ग्राहक सेवा विभाग की स्थापना की।

वित्तीय बाजार के लिए नीतियां

1.1.21 2006-07 में घरेलू वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न खंडों को और विस्तृत तथा गहन करने के लिए किए जाने वाले उपाय और सघन किए गए। राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम

(एफआरबीएम), 2003 के प्रावधानों के लागू होने से अप्रैल 2006 से रिजर्व बैंक की प्राथमिक बाजार में सहभागिता समाप्त हो गई और इस वजह से सरकारी प्रतिभूति बाजार में कई ढांचागत तथा विकासात्मक उपायों की आवश्यकता पड़ी। इन उपायों में शामिल हैं : नीलामियों में प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) की गतिशील तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पीडी प्रणाली को नया रूप देना; बैंकों को पीडी कारोबार करने की अनुमति देना; स्टैंड - अलोन पीडी को अपनी गतिविधियों में विविधता लाने की अनुमति देना; निपटान चक्र का मानकीकरण; सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की मंदड़िया बिक्री (शार्ट सेलिंग) की अनुमति देना और 'व्हेन इश्यूड' बाजार शुरू करना।

वैधानिक ढांचा

1.1.22 प्रमुख बैंकिंग कानूनों यथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में 2006-07 में महत्वपूर्ण विधायी संशोधन किए गए। इनसे भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक शक्तियों में वृद्धि होने के साथ-साथ इसे अपनी मौद्रिक नीति के संचालन में भी अधिक नमनीयता मिलेगी।

1.1.23 जून 2006 में भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 पारित हुआ। अधिनियम में हुए इस संशोधन में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित बैंकों के लिए निर्धारित सीआरआर की उच्चतम तथा निम्नतम सीमा हटा दी गई है। इस प्रकार रिजर्व बैंक को यह विवेकाधिकार मिला कि वह अनुसूचित बैंकों के मांग और मीयादी देयता के प्रतिशत के रूप में बिना किसी उच्चतम या निम्नतम सीमा के सीआरआर का निर्धारण कर सकता है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप सीआरआर की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इस पर ब्याज देने से मौद्रिक नीति के लिखत के रूप में इसका प्रभाव कम हो जाता है। संशोधित अधिनियम में दी गई "रिपो" तथा "रिवर्स रिपो" की

परिभाषाएं इन लिखतों में बाजार सहभागियों/बैंकों के लिए लेनदेन सुगम बना देंगी। इस संशोधन से मुद्रा बाजार के विनियमन और ओवर-दि-काउंटर डेरिवेटिव्स (व्युत्पन्न) की ट्रेडिंग के लिए रिज़र्व बैंक को विधायी समर्थन प्राप्त हो गया है।

1.1.24 बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2007 [23 जनवरी 2007 से प्रभावी बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के बदले] 28 मार्च 2007 के गजट में अधिसूचित किया गया। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में हुए संशोधन के फलस्वरूप सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पर लगी 25 प्रतिशत की निम्नतम सीमा हटा दी गई है और रिज़र्व बैंक को एसएलआर-पात्र आस्तियों के निर्धारण की शक्ति प्राप्त हो गई है।

1.1.25 भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 को संशोधित करने के लिए 21 जून 2007 को भारतीय स्टेट बैंक संशोधन अध्यादेश, 2007 जारी किया गया जिससे कि भारतीय स्टेट बैंक में रिज़र्व बैंक की शेयर धारिता केंद्र सरकार को अंतरित की जा सके। इस अंतरण का उद्देश्य रिज़र्व बैंक को अपने विनियामक एवं पर्यवेक्षी कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करने देना था तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बैंकिंग विनियामक के रूप में अपने कर्तव्य पालन और स्वामी के रूप में अपने हितों की रक्षा के बीच के टकराव को दूर करना था।

1.1.26 भुगतान और निपटान बिल, 2006 लोक सभा में 25 जुलाई 2006 को रखा गया। इस बिल में भुगतान और निपटान प्रणाली को विनियमित करने के लिए रिज़र्व बैंक को नामित करने की बात कही गई है। इस बिल के प्रावधान हैं : (i) भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए रिज़र्व बैंक से प्राधिकार हासिल करने की अनिवार्यता; (ii) रिज़र्व बैंक को मानक निर्धारित करके, सूचना, विवरणियां, दस्तावेज, आदि मंगा कर भुगतान प्रणाली को विनियमित तथा पर्यवेक्षित करने की शक्ति प्रदान करना; (iii) जिस परिसर में भुगतान प्रणाली का काम चल रहा हो उसमें

प्रवेश कर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्ति प्रदान करना; (iv) रिज़र्व बैंक को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करना; (v) अन्य कानून रद्द करना तथा सहभागियों द्वारा भुगतान की जानेवाली मुद्रा, प्रतिभूति या विदेशी मुद्रा की राशि का निपटान और निर्धारण अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगा। यह बिल वित्त संबंधी स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा गया था और समिति ने मई 2007 में लोक सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

II. वास्तविक अर्थव्यवस्था

1.2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2003-04 में शुरू हुआ उच्च वृद्धि का दौर रखते हुए 2006-07 में भी जबरदस्त वृद्धि दिखाई। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में गतिविधियां और तेज होने के कारण वास्तविक जीडीपी पिछले वर्ष के 9.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 9.4 प्रतिशत हो गया। इन दोनों क्षेत्रों ने दो अंकीय वृद्धि दर्ज की जिससे कृषि क्षेत्र की कमी आसानी से पूरी हो गई। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना रहा जिसने समग्र वृद्धि में 71.5 प्रतिशत का योगदान किया। हाल के वर्षों में औद्योगिक गतिविधियों में लगातार तेजी से वृद्धि प्रक्रिया ने पुनः जोर पकड़ा और उसमें स्थिरता भी आई।

1.2.2 वास्तविक जीडीपी वृद्धि का औसत 2003-04 से 2006-07 की चार वर्षीय अवधि में 8.6 प्रतिशत और दसवीं योजनावधि (2002-03 से 2006-07) में 7.6 प्रतिशत रहा जो 1980 के दशक और 1990 के दशक के 5.7 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है। दसवीं योजनावधि में वास्तविक वृद्धि 8.0 प्रतिशत के लक्ष्य के बहुत करीब थी। मुख्य क्षेत्रों में औद्योगिक वृद्धि का औसत 2002-03 से 2006-07 के दौरान 8.0 प्रतिशत था जो 1990 के दशक के 5.7 प्रतिशत से और 1980 के दशक के

6.4 प्रतिशत से अधिक था। सेवा क्षेत्र की वृद्धि 1980 के दशक के 6.3 प्रतिशत और 1990 के दशक के 7.1 प्रतिशत से निरंतर बढ़ते हुए दसवीं योजनावधि में 9.5 प्रतिशत हो गई। कृषि और संबंधित कार्यों में वृद्धि का औसत दसवीं योजनावधि में 2.3 प्रतिशत था जो 1990 के दशक के 3.2 प्रतिशत और 1980 के दशक के 4.4 प्रतिशत से कम था। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 2003-04 से बढ़त का आधार ऊंची निवेश दर थी जिसे सकल देशी बचत की दर में पर्याप्त वृद्धि से सहायता मिली थी।

कुल आपूर्ति

कृषि

1.2.3 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संशोधित अनुमानों के अनुसार कृषि और संबंधित कार्यों से उत्पन्न वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2005-06 के 6.0 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 में 2.7 प्रतिशत रह गई जिसका आंशिक कारण पिछले वर्ष का आधार प्रभाव और असंतुलित मानसून से उत्पादन में कमी आना था। कृषि उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में समग्र कृषि उत्पादन में 2006-07 में लगभग 5.2 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है (एक वर्ष पूर्व 8.5 प्रतिशत) जिसका कारण कुल खाद्यान्न उत्पादन में कम वृद्धि था (2005-06 के 5.2 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 3.6 प्रतिशत)।

1.2.4 चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2006-07 में खाद्यान्न उत्पादन 216.1 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.6 प्रतिशत वृद्धि है और इसमें गेहूँ का उत्पादन मुख्य था। रबी खाद्यान्न उत्पादन 105.6 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना थी जो 1999-2000 से अब तक का सर्वोच्च स्तर रहा। खाद्यान्नेतर उत्पादन के अंतर्गत गन्ने और कपास का उत्पादन 2006-07 में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, तथापि, बुवाई क्षेत्र में कमी होने से तिलहन के उत्पादन में कमी आई।

1.2.5 वर्ष 2006-07 में खाद्यान्न उत्पादन में कुछ सुधार के बावजूद हाल के वर्षों में मुख्य फसलों के उत्पादन में कुछ रुकावट आई है। उदाहरण के लिए, 2006-07 में चावल, गेहूँ और दलहन का उत्पादन क्रमशः 2001-02, 1999-2000 और 1998-99 के शीर्ष से नीचे रहा। उत्पादन में यह रुकावट उपज की कुछ समस्याओं के कारण थी जिसके कई कारण हैं, यथा खाद्यान्न की सीमित उप क्रिस्में, विस्तार सेवाओं का लगभग शून्य अस्तित्व, नमी के दबाव और कीटनाशकों की कम उपलब्धता, जल उपयोग की कम दक्षता, जल उपयोग और सिंचाई विकास में असंतुलन और कृषि निवेश में गिरावट।

औद्योगिक कार्यनिष्पादन

1.2.6 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संशोधित अनुमान के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2005-06 के 8.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 11.0 प्रतिशत हो गई जिसका आधार मजबूत विनिर्माण गतिविधियां थीं। मजबूत निवेश और उपभोग मांग के चलते औद्योगिक वृद्धि की तेजी ने वृद्धि के पांचवें वर्ष में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार औद्योगिक वृद्धि का औसत 2006-07 को समाप्त तीन वर्षीय अवधि में 9.1 प्रतिशत और 2002-03 से 2006-07 की पांच वर्षीय अवधि में 8.0 प्रतिशत रहा।

1.2.7 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गतिविधि के अनुसार औद्योगिक वृद्धि 2005-06 के 8.2 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 11.5 प्रतिशत हो गई जो 1995-96 से अब तक की सर्वोच्च वृद्धि है (13.1 प्रतिशत)। वर्ष के दौरान हुई वृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण गतिविधियां थीं जिन्होंने औद्योगिक वृद्धि में 91.1 प्रतिशत का योगदान किया था। 2006-07 में विनिर्माण क्षेत्र में हुई 12.5 प्रतिशत वृद्धि 1995-96 (14.1 प्रतिशत) से अब तक की उच्चतम थी। 'मशीनरी और उपस्कर', 'मूल धातु

और संमिश्र धातु उद्योग' और 'रसायन तथा रसायन उत्पाद' वृद्धि के मुख्य आधार थे और विनिर्माण वृद्धि में इनका योगदान लगभग 50 प्रतिशत था।

1.2.8 उपयोग आधारित श्रेणीकरण के संदर्भ में मूल, मध्यवर्ती क्षेत्र और पूंजीगत सामान के संबंध में वृद्धि में उल्लेखनीय बढ़त देखी गई। इन तीन क्षेत्रों ने उपभोक्ता सामान के क्षेत्र की गिरावट पूरी कर दी। मूल सामान के क्षेत्र की वृद्धि 1995-96 से अब तक की सर्वोच्च - को सीमेंट, हाइ स्पीड डिजेल और विभिन्न लौह और इस्पात के उत्पाद, जैसे कार्बन स्टील, छड़े, पार्स और ट्यूब्स के उत्पादन से लाभ मिला था। मध्यवर्ती सामान के क्षेत्र, जिसने 2005-06 में कम वृद्धि दर्ज की थी, में तेज परिवर्तन आया और उसने 2006-07 में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 1995-96 (19.3 प्रतिशत) से अब तक की सर्वोच्च वृद्धि थी। पूंजीगत माल के क्षेत्र की वृद्धि 2005-06 के 15.8 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 18.2 प्रतिशत हो गई जो देश में निवेश मांग की निरंतरता दर्शाती है। दूसरी ओर, उपभोक्ता माल के क्षेत्र में कुछ खाद्य मदों, ड्रग्स, खाद्य तेल और टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट के कारण वृद्धि कम हो गई।

सेवा क्षेत्र

1.2.9 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संशोधित अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र से निर्मित वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2005-06 के 10.3 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 11.0 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्र की वृद्धि 'व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, स्टोरेज और संचार तथा 'वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं' नामक उप क्षेत्र की वृद्धि से प्रभावित थी। विदेशी पर्यटकों के आगम, घरेलू यातायात, होटल में रहने, खुदरा ऋण, वाणिज्यिक वाहन उत्पादन, दूरसंचार का उपयोग, रेलवे का राजस्व अर्जक भाड़ा और नागरी विमानन द्वारा हैडल किए गए यात्रियों की संख्या वृद्धि ने 'व्यापार, होटल

और रेस्तरां, परिवहन, स्टोरेज और संप्रेषण' नामक उप-क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। यह उप-क्षेत्र देश में आर्थिक गतिविधियों के मुख्य प्रेरक के रूप में उभरा है जिसने 2006-07 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि में लगभग आधी और समग्र वास्तविक जीडीपी वृद्धि में लगभग एक-तिहाई का योगदान किया।

1.2.10 निर्माण उप क्षेत्र 2006-07 में निरंतर उच्च वृद्धि (10.7 प्रतिशत) दर्ज करता रहा, हालांकि यह वृद्धि पूर्ववर्ती दो वर्षों के 14 प्रतिशत से अधिक की मजबूत वृद्धि से कुछ कम थी। 'वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं' के उप-क्षेत्र ने लगातार दूसरे वर्ष दो अंकीय वृद्धि दर्ज की जिससे बैंक जमाराशि की वृद्धि में बढ़त, खाद्येतर ऋण में निरंतर वृद्धि, बीमा क्षेत्र की गतिविधियों में तेज वृद्धि और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में लगातार तेजी प्रतिबिंबित होती है। निरंतर राजस्व वृद्धि, नई सेवा लाइनों में निरंतर विस्तार और भौगोलिक विस्तार आईटी क्षेत्र की विशेषता रही। इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों से हुए निवेश में भारी वृद्धि हुई।

बचत और पूंजी निर्माण

1.2.11 घरेलू बचत और निवेश दरें 2005-06 में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गईं। सकल घरेलू बचत 2004-05 के 31.1 प्रतिशत और 2001-02 के 23.5 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में जीडीपी का 32.4 प्रतिशत हो गई। वर्ष के दौरान हुई वृद्धि उच्च निजी कारपोरेट और पारिवारिक बचतों से प्रेरित थी। पूर्वकथन के अनुसार कारपोरेट लाभप्रदता में सुधार दर्शाते हुए निजी कारपोरेट बचत दर 2002-03 और 2005-06 के बीच दोगुनी हो गई। पारिवारिक क्षेत्र की बचत 2005-06 में सुधर गई किंतु 2003-04 में प्राप्त स्तर से नीचे ही बनी रही। सार्वजनिक क्षेत्र की बचत ने 2003-04 में शुरु हुई सुधार की प्रवृत्ति को पलटते हुए 2005-06 में कुछ कमी दर्ज की। घरेलू बचत दर में 1.3 प्रतिशत अंक की बढ़त और साथ ही विदेशी बचत का अधिक

आश्रय दर्शाते हुए घरेलू निवेश दर जीडीपी के 2.3 प्रतिशत अंक बढ़कर 2005-06 में जीडीपी का 33.8 प्रतिशत हो गई जो 2001-02 में दर्ज 22.9 प्रतिशत से बड़ा उछाल है। 2001-02 की स्थिति से हुई वृद्धि का मुख्य कारण निजी कारपोरेट क्षेत्र का निवेश दोगुना होकर जीडीपी के 12.9 प्रतिशत होना था जिससे पारिवारिक निवेश की कुछ गिरावट की भरपाई हो गई थी। चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी से सकल निर्धारित पूंजी निर्माण का अनुपात 2006-07 में और 1.4 प्रतिशत अंक बढ़कर 2005-06 में 28.1 प्रतिशत से 29.5 प्रतिशत हो गया।

III. मुद्रा, ऋण और मूल्य

1.3.1 2006-07 के दौरान मौद्रिक और चलनिधि समुच्चयों में वृद्धि हुई, जिसमें व्यापक मुद्रा वृद्धि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित संकेतात्मक दिशा से ऊपर बनी रही। रिजर्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों में व्यापक वृद्धि ने आरक्षित मुद्रा में विस्तार किया। वर्ष के दौरान, बैंक जमाओं में वृद्धि हुई, जिसमें समय जमा राशियां आगे थीं। बैंक ऋण की मांग लगातार तीसरे वर्ष सुदृढ़ बनी रही, अलबत्ता वृद्धि में कुछ कमी आई। रिजर्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो और रिवर्स रिपो, प्रतिभूतियों के निर्गम, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों और नकदी आरक्षित अनुपात की मदद से बाजार चलनिधि को कम करना जारी रखा।

आरक्षित मुद्रा

1.3.2 आरक्षित मुद्रा 2005-06 के दौरान 17.2 प्रतिशत की तुलना करने पर 2006-07 के दौरान 23.7 प्रतिशत (सीआरआर में वृद्धि के पहले दौर के प्रभाव के लिए 18.9 प्रतिशत समायोजित किया

गया) बढ़ी। 2006-07 के दौरान आरक्षित मुद्रा में वृद्धि मुख्य रूप से रिजर्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों में वृद्धि के कारण थी। रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां (मूल्यन का निवल) प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा की बड़ी-बड़ी खरीदें करने के कारण 2006-07 के दौरान (पिछले वर्ष के दौरान 68,834 करोड़ रुपये) 1,64,601 करोड़ रुपए बढ़ी।

1.3.3 2006-07 के दौरान, हाल के वर्षों की तरह, सरकार को भारिबैं द्वारा दिए गए निवल ऋण मुख्य रूप से रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि प्रबंधन के कारण थे न कि सरकार के राजकोषीय अंतर के निष्क्रिय वित्तपोषण के कारण। चलनिधि प्रबंधन के परिचालनों को परिलक्षित करते हुए केंद्र को दिए गए रिजर्व बैंक के निवल ऋणों में पिछले वर्ष की 28,417 करोड़ रु. की वृद्धि के विपरीत 2006-07 में 3,024 करोड़ रुपए की गिरावट आई।

मौद्रिक सर्वेक्षण

1.3.4 व्यापक मुद्रा (एम₃) एक वर्ष पहले के 17.0 प्रतिशत से मार्च 2007 के अंत में वर्ष-दर-वर्ष 21.3 प्रतिशत बढ़ी और अप्रैल 2006 के वार्षिक नीति वक्तव्य में अनुमानित 15.0 प्रतिशत की वृद्धि दर के ऊपर बनी रही।

1.3.5 व्यापक मुद्रा के बड़े घटकों के बीच, 2006-07 के दौरान जनता के पास मुद्रा, उच्च आर्थिक गतिविधि के अनुरूप पिछले वर्ष के 16.4 प्रतिशत से 17.0 प्रतिशत बढ़ी।

1.3.6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमा राशियां एक वर्ष पहले के 16.4 प्रतिशत से मार्च 2007 के अंत में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 24.9 प्रतिशत बढ़ी जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ मजबूत आर्थिक गतिविधि, बैंक जमाओं पर अधिक ब्याज दरों और धारा 80ग के अंतर्गत पाँच वर्ष और

अधिक की परिपक्वता वाली जमाओं पर कर लाभ के विस्तार को उत्तरदायी माना जा सकता है। सावधि जमाओं में तेज वृद्धि के विपरीत, डाक जमाओं में एक वर्ष पहले की 17.2 प्रतिशत की वृद्धि से मार्च 2007 में 11.2 प्रतिशत की गिरावट दिखी, जिसके लिए डाक जमाओं पर ब्याज दरों के अपरिवर्तित रहने की पृष्ठभूमि में बैंक जमाओं में बढ़ते ब्याज दर अंतरों को उत्तरदायी माना जा सकता है।

1.3.7 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का गैर-खाद्य ऋण एक वर्ष पहले के 31.8 प्रतिशत से तुलना करने पर 31 मार्च 2007 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 28.4 प्रतिशत बढ़ा। ऋण वृद्धि में मामूली कमी और जमाओं में तेज वृद्धि को परिलक्षित करते हुए, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात अक्टूबर 2004 के अधिकांश भाग में 100 प्रतिशत के ऊपर / लगभग रहने के पश्चात् 2006-07 की दूसरी छमाही में घटा। मार्च 2007 के अंत के अनुसार, वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात एक वर्ष पहले के 110 प्रतिशत से तुलना करने पर 84 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) के लगभग था।

1.3.8 ऋण-जीडीपी अनुपात मार्च 2000 के अंत के 30 प्रतिशत और मार्च 2006 के अंत के 47 प्रतिशत से मार्च 2007 के अंत में 51 प्रतिशत बढ़ा। तथापि, भारत में ऋण- जीडीपी अनुपात बड़ी-बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और अधिकांश पूर्व एशियन देशों की तुलना में अब भी कम बना हुआ है।

1.3.9 उपलब्ध पृथक आंकड़े दर्शाते हैं कि 2006-07 के दौरान ऋण वृद्धि व्यापक रही थी। जबकि 36 प्रतिशत वृद्धिशील गैर खाद्य ऋण का उपभोग उद्योगों द्वारा किया गया और कृषि द्वारा 14 प्रतिशत तथा वैयक्तिक उधारों द्वारा 24 प्रतिशत उपभोग किया गया। वर्ष के दौरान, वृद्धिशील आधार पर (वर्ष दर वर्ष) वैयक्तिक ऋणों में गृह ऋण का हिस्सा एक वर्ष पहले के 49.4 प्रतिशत से मार्च 2007 के अंत में कम होकर 47.7 प्रतिशत पर आ गया। वाणिज्यिक

वास्तविक भूमि-भवन के लिए ऋणों में यद्यपि कुछ कमी के बावजूद उच्च वृद्धि जारी रही। रिजर्व बैंक ने उन वर्गों के लिए प्रावधानन आवश्यकता और जोखिम भारों को और कठोर बनाया जिसमें सापेक्षिक रूप से उच्च वृद्धि परिलक्षित हुई।

1.3.10 मूल सांख्यिकीय विवरणों के आंकड़ों से उभरने वाली प्रवृत्ति के आधार पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए कुल बैंक ऋण में वैयक्तिक ऋणों का हिस्सा मार्च 1990 के अंत में 6.4 प्रतिशत से मार्च 2006 के अंत में 23.3 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें गृह और आवासेतर ऋण आगे थे। जबकि समग्र ऋण में गृह ऋण का हिस्सा 2.4 प्रतिशत से 12.0 प्रतिशत बढ़ा, आवासेतर फुटकर ऋण 4.0 प्रतिशत से 11.3 प्रतिशत बढ़ा।

1.3.11 हाल के वर्षों में, कंपनी क्षेत्र अपनी वित्तीयन की आवश्यकताओं के लिए बैंक से इतर स्रोतों पर व्यापक रूप से निर्भर रहा है। यह प्रवृत्ति 2006-07 में जारी रही जिसमें कंपनी क्षेत्र ने व्यापक रूप से आंतरिक निधियों पर निर्भर रहने के अलावा, पूंजी बाजार और बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) से बड़े-बड़े संसाधन जुटाए। 2006-07 के दौरान घरेलू इक्विटी निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन दोगुने से अधिक हो गए। 2006-07 के दौरान निधियों के आंतरिक स्रोतों ने घरेलू कंपनी क्षेत्र को व्यापक वित्तीय समर्थन देना जारी रखा।

1.3.12 एनडीटीएल के अनुपात के रूप में वाणिज्यिक बैंकों की एसएलआर प्रतिभूतियों की धारिताएं, मार्च 2006 के अंत के 31.3 प्रतिशत और अप्रैल 2004 के 42.7 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2007 के अंत में अपनी एनडीटीएल के 28.0 प्रतिशत पर रहीं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अधिक एसएलआर निवेश मार्च 2006 के अंत में 1,45,297 करोड़ रुपए से घटकर मार्च 2007 के अंत में 84,223 करोड़ रुपए हो गया।

मूल्य स्थिति

वैश्विक मुद्रास्फीति

1.3.13 2006-07 के दौरान वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति अधिक बनी रही जो सुदृढ़ माँग और उत्पादन अंतरों के समापन के वातावरण में कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों की अधिकता के संयुक्त प्रभाव को परिलक्षित करता है। यद्यपि अगस्त 2006 से कच्चे तेल के मूल्यों में कमी होने के कारण मुद्रास्फीति घटी, मुद्रास्फीतिक दबाव अन्य पण्य मूल्यों के कारण हुआ और इसने क्षमता उपयोग को बढ़ाया। परिणाम के रूप में, हेडलाइन मुद्रास्फीति बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीतिक लक्ष्य / आसान क्षेत्रों के ऊपर बनी रही। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति मार्च 2007 में 2.4 प्रतिशत तक कम होने के पहले मार्च 2006 में 2.5 प्रतिशत से जून 2006 में 3.1 प्रतिशत की अन्तर वर्षीय ऊँचाइयों पर पहुँची; कोर मुद्रास्फीति (अर्थात् खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर) मार्च 2006 में 1.6 प्रतिशत से मार्च 2007 में 2.1 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 2006 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले की तरह 2.3 प्रतिशत थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों के दौरान (2000-04) 1.9 प्रतिशत से अधिक थी। विकासशील एशिया में मुद्रा स्फीति 2000-04 में 2.6 प्रतिशत और 2005 में 3.6 प्रतिशत से 2006 में 4.0 प्रतिशत बढ़ी। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति कई अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ी है, यह पण्य मूल्यों में लगातार वृद्धि और अधिक माँग के बावजूद अब भी सापेक्षिक रूप से नियंत्रित है।

1.3.14 मुद्रास्फीति दबावों की पृष्ठभूमि में, कई केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं को रोकने के लिए 2006-07 के दौरान मौद्रिक नीति को कठोर बनाया। बड़ी-बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच, अमरीकी फेडरल रिज़र्व बोर्ड (अमेरिकी फेड), दि ईसीबी, दि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड, दि बैंक ऑफ स्वेडिश रिक्स बैंक (स्वीडन), दि रिज़र्व बैंक ऑफ

न्यूजीलैण्ड, दि रिज़र्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया और बैंक ऑफ जापान ने वर्ष के दौरान अपनी नीतियों को कठोर बनाया।

वैश्विक पण्य मूल्य

1.3.15 2006-07 के दौरान अन्तरराष्ट्रीय तेल से इतर पण्यों के मूल्य बढ़े जिसमें धातु और खाद्यों के मूल्य आगे थे। उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से चीन में सुदृढ़ माँग और निवेशकों की बढ़ी हुई रुचि के कारण धातु के मूल्यों में वृद्धि हुई। खाद्य वस्तुओं में गेहूँ और खाद्य तेलों के दाम बढ़े जिससे वैश्विक उत्पादन में गिरावट परिलक्षित होती है। कच्चे तेल के मूल्यों में व्यापक उतार-चढ़ाव दिखे, शुरू-शुरू में जुलाई 2006 में यह तेजी से रिकार्ड ऊँचाई तक पहुँचा, इसके पश्चात् बाद वाले महीनों में इसमें तीव्र सुधार हुआ। समग्र रूप में, तेल से इतर मूल्यों में (जैसा कि विश्व बैंक के ऊर्जा से इतर पण्यों की सूची में मापित किया गया) मार्च 2007 में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई (वर्ष-दर-वर्ष)। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कुछ केंद्रीय बैंकों ने नकदी आरक्षित आवश्यकताओं के प्रयोग का भी सहारा लिया जिससे बड़े-बड़े बाह्य पूंजी प्रवाहों से उत्पन्न अत्यधिक चलनिधि का प्रबंधन किया जा सके। कुछ केंद्रीय बैंकों ने वर्ष के दौरान दिशा परिवर्तित की - आरंभ में ब्याज दरें बढ़ाकर और इसके पश्चात् वृद्धि के समर्थन के लिए उसमें कटौती करके।

भारत में मुद्रास्फीति दशाएं

थोक मूल्य मुद्रास्फीति

1.3.16 भारत में थोक मूल्य सूचकांक में उतार चढ़ाव पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले के 4.0 प्रतिशत से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 31 मार्च 2007 को 5.9 प्रतिशत बढ़ी। मुद्रा स्फीति में वृद्धि आपूर्ति दबावों में परिलक्षित हुई, ये दबाव उच्च प्राथमिक वस्तुओं के उच्च मूल्यों और सुदृढ़ वृद्धि के बीच माँग दबावों से उत्पन्न हुए। 2006-07 के दौरान

हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.7-6.7 प्रतिशत की सीमा में चढ़ती-उतरती रही है। मुद्रा स्फीति सामान्यतया 11 नवंबर 2006 को 5.0-5.5 प्रतिशत के रिज़र्व बैंक के संकेतात्मक अनुमान के अन्तर्गत बनी रही। मुद्रास्फीति 6 जनवरी 2007 और 24 मार्च 2007 के दौरान 6.0 प्रतिशत के ऊपर बनी रही। मुद्रा स्फीति के अन्तर वर्षीय उतार-चढ़ाव को परिलक्षित करते हुए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) दर (52 सप्ताहों का औसत) एक वर्ष पहले के 4.4 प्रतिशत से 5.4 प्रतिशत बढ़ी। ईंधन समूह को छोड़कर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.4 प्रतिशत की मुद्रा स्फीति 31 मार्च 2007 के 5.9 प्रतिशत की हेडलाइन मुद्रास्फीति दर से ऊपर थी। वृद्धि गति को बनाए रखने के लिए मुद्रा स्फीति प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 2006-07 के दौरान एहतियाती मौद्रिक उपाय जारी रखे जिसमें रिपो और रिवर्स रिपो दरों में वृद्धि तथा नकदी आरक्षित अनुपात शामिल है।

1.3.17 बड़े समूहों के बीच, प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों ने 2006-07 के दौरान मुद्रा स्फीति पर ऊर्ध्वमुखी दबाव डाला जो बढ़े हुए अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के बीच बड़ी-बड़ी कृषि फसलों की घरेलू आपूर्ति कमी को दर्शाता है। गेहूँ, दालें, दूध, तिलहन और कच्चा कपास प्राथमिक वस्तुओं में मुद्रा स्फीति के प्रमुख प्रेरक थे। जबकि गेहूँ के दाम वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 31 मार्च 2007 को 7.3 प्रतिशत थे, दालें 12.5 प्रतिशत (एक वर्ष पहले की 33.3 प्रतिशत वृद्धि की सर्वोच्चता से तुलना करने पर) अधिक बढ़ी। तिलहन के मूल्यों में तेज परिवर्तन हुआ - एक वर्ष पहले के 9.2 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 31.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कच्चे कपास के मूल्यों में, वैश्विक कीमतों में मामूली गिरावट के विपरीत, 31 मार्च 2007 को वर्ष-दर-वर्ष 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समग्र रूप में, प्राथमिक वस्तुओं की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, 10.7 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 4.8 प्रतिशत) बढ़ी जो पिछले दशक में वृद्धि की सबसे ऊँची दर थी।

1.3.18 प्राथमिक पण्यों में मूल्य वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से, सरकार ने अनेक राजकोषीय और आपूर्ति पक्ष के उपाय किए जैसे (i) गेहूँ की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राज्य व्यापार निगम को विदेशों से 5.5 मिलियन टन गेहूँ मंगाने के लिए निविदा आमंत्रित करने की अनुमति देना (ii) निजी व्यापारियों को 27 जून 2006 से आरंभ में 5 प्रतिशत शुल्क पर गेहूँ आयात करने और बाद में 9 सितंबर 2006 से शून्य शुल्क पर आयात करने की अनुमति देना (iii) 8 जून 2006 से शून्य शुल्क पर दालों के आयात और 27 जून 2006 के उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। (iv) 22 जून 2006 से चीनी को उत्पाद शुल्क से मुक्त करना और इसके आयात पर प्रतिबंध लगाना (v) फरवरी 2007 में शून्य शुल्क पर मक्का के आयात की अनुमति देना (vi) पाम आयल पर अगस्त 2006 और अप्रैल 2007 प्रत्येक में 10 प्रतिशत अंक तथा जुलाई 2007 में 5 प्रतिशत अंक और कच्चे पाम आयल, सूरजमुखी के तेल और रिफाइन्ड सूर्यमुखी तेल पर जनवरी 2007 में प्रत्येक पर 10 प्रतिशत अंक तक उत्पाद शुल्क घटाना।

1.3.19 ईंधन समूह मुद्रास्फीति जो पिछले दो वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति परिणाम पर हावी रही थी, वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान उल्लेखनीय रूप से कम हुई, यह एक दशक में सबसे कम दर पर थी। ईंधन समूह मुद्रा स्फीति शुरू में 1 अप्रैल 2006 को 8.3 प्रतिशत से 17 जून 2006 को अंतर वर्ष के उच्चतम 9.9 प्रतिशत पर पहुँची लेकिन 31 मार्च 2007 को 1.0 प्रतिशत कम हुई जो आधार प्रभाव और पेट्रोल, डीजल तथा अन्य ईंधन उत्पादों की कीमतों में कटौतियों को दर्शाता है। जून 2006 में, शुरू में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतें क्रमशः 4 रु. और 2 रु. प्रति लीटर बढ़ीं; तदुपरांत से 29 नवंबर 2006 को क्रमशः 2 रु. लीटर (लगभग 4 प्रतिशत) और 1 रु. प्रति लीटर (लगभग 3 प्रतिशत) कम हुई तथा 15 फरवरी 2007 को इसी क्रम में कम हुई। लेकिन, पासथ्रू खास तौर से मिट्टी के तेल और एलपीजी के मामले में जिनकी

कीमतें क्रमशः अप्रैल 2002 और नवंबर 2004 से अपरिवर्तित रही, अपूर्ण बना रहा। पेट्रोल और डीजल पर जून 2006 में 10.0 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की कटौती के अलावा, सरकार ने 2006-07 के दौरान कुल 24,121 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 11,500 करोड़ रुपए) के तेल बॉन्ड भी जारी किए।

1.3.20 दूसरी तरफ, सुदृढ़ वृद्धि और मांग दशाओं तथा अधिक क्षमता उपयोग के बीच 2006-07 के दौरान विनिर्मित उत्पाद मुद्रा स्फीति के एक प्रमुख कारक के रूप में उभरे। विनिर्मित उत्पाद समूह मुद्रा स्फीति 31 मार्च 2007 को 6.1 प्रतिशत (एक वर्ष पहले के 1.9 प्रतिशत से) बढ़ी जिसने 2006-07 के दौरान समग्र वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति में आधे से अधिक योगदान किया। विनिर्मित उत्पादों के बीच, धातु की कीमतें 31 मार्च 2007 को वर्ष-दर-वर्ष 11.3 प्रतिशत बढ़ी जिसने हेडलाइन मुद्रास्फीति में 17.4 प्रतिशत का योगदान किया। धातु समूह के अन्तर्गत, अलौह धातु की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 29.3 प्रतिशत बढ़ीं, जो एक वर्ष पहले के 17.5 प्रतिशत की वृद्धि से उच्चतम थीं; ये व्यापक तौर पर अन्तरराष्ट्रीय रुझानों के अनुसार थी। लोहा और स्टील की कीमतें एक वर्ष पहले के 4.2 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत, वर्ष दर वर्ष 8.1 प्रतिशत बढ़ीं। सीमेंट की कीमतें 31 मार्च 2007 को वर्ष-दर-वर्ष 11.6 प्रतिशत बढ़ीं जबकि एक वर्ष पहले के 14.9 प्रतिशत की वृद्धि उच्चतम स्तर पर थी, यह आवास और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों से संबंधित विनिर्माण कार्य से जन्मी सुदृढ़ घरेलू मांग के अनुसार थी। इलेक्ट्रिकल मशीनरी की कीमतें 12.9 प्रतिशत बढ़ीं जो निवेश मांग की अधिकता को दर्शाती हैं। खाद्य तेलों (एक वर्ष पहले के 3.3 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 14.1 प्रतिशत की वृद्धि), खली (8.2 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 32.9 प्रतिशत की वृद्धि) और अनाज मिल उत्पाद (एक वर्ष पहले के 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के उच्चतम स्तर पर 16.6 प्रतिशत की वृद्धि) की कीमतों में वृद्धि ने विनिर्मित उत्पादों की

मुद्रास्फीति को बढ़ाया। घरेलू चीनी की कीमतें वैश्विक रुझानों के अनुसार घटीं।

1.3.21 विनिर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की लागत को घटाने के लिए, सरकार ने 22 जनवरी 2007 को चुनिंदा मदों जैसे अकार्बनिक रसायन, अलौह धातुओं, सीमेंट, पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयात पर सीमा शुल्क में कटौती के रूप में राजकोषीय उपाय किए। सरकार ने केन्द्रीय बजट 2007-08 में उच्च स्तर के सीमा शुल्क को 12.5 प्रतिशत से कम करके 10.0 प्रतिशत किया और कुछ मामलों में 10.0 प्रतिशत से नीचे। 3 अप्रैल 2007 को सरकार ने पोर्टलैंड सीमेंट के आयात पर प्रतिकारी शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया, इसे पहले जनवरी 2007 में मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया गया था।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

1.3.22 2006-07 के दौरान उपभोक्ता मूल्य मुद्रा स्फीति बढ़ी और वर्ष के दौरान सभी चार माप थोक मूल्य सूचकांक मुद्रा स्फीति से अधिक थे, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में वृद्धि और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में खाद्य कीमतों के अधिक भार की उच्चतर दशा को दर्शाते हैं। खाद्य मदों का भार डब्ल्यू पी आई में 27 प्रतिशत (संयुक्त) की तुलना में ग्रामीण श्रमिकों और कृषि श्रमिकों के लिए सी पी आई में 67-69 प्रतिशत और औद्योगिक श्रमिकों तथा शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के लिए सीपीआई में 46-47 प्रतिशत की सीमा में होता है। अलग-अलग आंकड़े दर्शाते हैं कि विभिन्न सीपीआई उपायों में खाद्य समूह मुद्रास्फीति मार्च 2006 में 4.9 - 5.8 प्रतिशत से मार्च 2007 में 10.9-12.2 प्रतिशत बढ़ी। खाद्य मूल्यों में वृद्धि के उच्च क्रम और सूची में उनके अधिक भार के परिणाम स्वरूप, सीपीआई मुद्रास्फीति की विभिन्न माप मार्च, 2006 में 4.9- 5.3 प्रतिशत कम होने पहले, मार्च 2006 में 4.9-5.3 प्रतिशत से फरवरी 2007 में 7.6-9.8 की अन्तरवर्षीय ऊँचाई पर थे। जबकि मार्च

2007 में कम अर्थात् 6.7-9.5 प्रतिशत थे। उच्च तेल समूह के मूल्य भी सीपीआई मुद्रास्फीति में योगदान करते हैं। वर्ष के दौरान ‘विविध समूह’ के प्रतिनिधित्व द्वारा सेवाओं के मूल्य में निश्चित प्रवृत्ति दिखी। तथापि, औद्योगिक कामगारों के लिए सीपीआई के मामले में आवास किराए में कमी आई, लेकिन शहरी शारीरिक श्रम न करने वाले कर्मचारियों के लिए सीपीआई के मामले में मामूली वृद्धि हुई।

आस्ति मूल्य और मुद्रा स्फीति

1.3.23 2006-07 के दौरान घरेलू इक्विटी और बुलियन बाजार में लाभ हुए जिसमें वर्ष के दौरान थोड़े-थोड़े समय के अंतराल के बीच सुधार दिखे। समग्रतः, बीएसई सेन्सेक्स में वर्ष 2006-07 के दौरान 15.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2006-07 के दौरान व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ावों को प्रदर्शित करते हुए घरेलू स्वर्ण के मूल्य लगभग 10 प्रतिशत बढ़े। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में विभिन्न पण्यों की प्रवृत्ति के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय स्वर्ण मूल्य बढ़कर शुरू में 12 मई 2006 को प्रति औंस 715 अमरीकी हो गए, लेकिन, 14 जून 2006 को गिरकर 559 अमरीकी डालर हो गए। स्वर्ण के मूल्य जुलाई 2006 में सुधरे लेकिन सितंबर 2006 में पुनः कम हुए क्योंकि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति, कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के कम होने के साथ-साथ घटी। 2006 की चौथी तिमाही में स्वर्ण मूल्य मार्च 2007 के अंत तक प्रति औंस लगभग 660 अमरीकी डालर पर आने से पहले काफी ऊँचे गए थे।

IV. सरकारी वित्त

1.4.1 केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्तीय प्रबंध में वर्ष 2006-07 के दौरान सुधार दिखाई दिया। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रमुख घाटा संकेतक, अर्थात् सकल राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 0.2-0.6 प्रतिशत अंक कम रखे गये थे

जिसका मुख्य कारण कर राजस्व में सुस्पष्ट वृद्धि थी। कर राजस्व में उछाल सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि, तथा कर की दरों में कमी लाकर और कर-आधार का विस्तार करके कराधान की प्रणाली में सुधार लाने के अनवरत प्रयासों का सूचक था। संयुक्त वित्त की एक खास विशेषता विकास व्यय के लिए और अधिक राशि का निर्धारण थी।

केंद्र सरकार का वित्त – 2006-07

1.4.2 वर्ष 2006-07 के लिए केंद्र सरकार के वित्त के संशोधित अनुमानों से, बजट अनुमानों की तुलना में सुधार परिलक्षित हुआ। प्रमुख घाटा संकेतक, अर्थात् राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा उनके बजट स्तरों से, सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत अंक अपेक्षाकृत कम निर्धारित किए गए थे। वास्तविक आँकड़ों की दृष्टि से राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा बजट में किए गए अनुमानों से कम रहे लेकिन सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में ज्यादा था। संशोधित अनुमानों में राजस्व लेखे में सुधार का मुख्य कारण अपेक्षाकृत अधिक कर राजस्व था। उत्पाद शुल्क को छोड़कर अन्य सभी करों के अंतर्गत वसूलियां बजट अनुमानों की अपेक्षा अधिक थीं। राजस्व में उछाल के कारण एकत्र हुआ राजस्व, राजस्व व्यय में हुई वृद्धि (मुख्यतः अधिक ब्याज और सब्सिडी के भुगतान के कारण) के समायोजन से भी अधिक हो गया तथा इसके चलते संशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा कम हो गया। लेकिन सकल राजकोषीय घाटा, अपेक्षाकृत अधिक निवल ऋणदान के कारण, बजट अनुमानों की अपेक्षा संशोधित अनुमानों में अधिक निर्धारित किया गया। दूसरी ओर, पूंजी परिव्यय, रक्षा व्यय में कमी के कारण, कम रहा।

1.4.3 लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी किए गए वर्ष 2006-07 के अनंतिम लेखों से यह ज्ञात होता है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा (दोनों), जिनकी तुलना सकल घरेलू उत्पाद से की जाती है, संशोधित

अनुमानों को देखते हुए, कर राजस्व और गैर-कर राजस्व (दोनों) में वृद्धि के कारण क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत और कम हो गए। प्राथमिक शेष अधिशेष की स्थिति में पहुंच गया।

केंद्र सरकार के ऋण की स्थिति

1.4.4 आंतरिक ऋण और अन्य देयताओं सहित (जिनमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि, अन्य लेखे, आरक्षित निधि और जमाराशियां शामिल हैं) केंद्र सरकार की बकाया देशी देयताएं कम होकर मार्च 2007 के अंत में (संशोधित अनुमान) सकल घरेलू राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण उत्पाद के 59.0 प्रतिशत पर पहुंच गई जबकि मार्च 2006 के अंत में ये 60.7 प्रतिशत और मार्च 2005 के अंत में 61.8 प्रतिशत थीं। यह स्थिति राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया की द्योतक है। केंद्र सरकार की बकाया देनदारियों का सबसे बड़ा भाग आंतरिक ऋण था (मार्च 2007 के अंत में कुल ऋण का 61.3 प्रतिशत), इसके बाद राष्ट्रीय लघु बचत निधि और राज्य भविष्य निधियों का स्थान था।

राज्य सरकार वित्त – 2006-07

1.4.5 राज्यों की वर्ष 2006-07 की समेकित राजकोषीय स्थिति से यह ज्ञात होता है कि राज्यों में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में और प्रगति हुई है तथा ऐसा राजकोषीय दायित्व कानून के निर्माण और कार्यान्वयन से संभव हुआ है। वर्ष 2006-07 के संशोधित अनुमानों में समेकित राजस्व घाटा 1,303 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.03 प्रतिशत) रखा गया था, जबकि वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान में 4,511 करोड़ रुपए का घाटा (सकल घरेलू उत्पाद का 0.11 प्रतिशत) दर्ज किया गया था। ज्यादातर राज्यों ने, बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजस्व शेष की स्थिति प्राप्त करने के लिए निर्धारित वर्ष 2008-09 के लक्ष्य से 2 वर्ष पहले ही राजस्व अधिशेष की स्थिति प्राप्त कर ली है। यह सुधार अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्तियों (बजट में अनुमानित स्तर से 4.5

प्रतिशत अधिक) के कारण संभव हुआ जिससे अधिक राजस्व व्यय (बजट में अनुमानित स्तर से 3.9 प्रतिशत अधिक) का भी समायोजन हो गया। वर्ष 2006-07 के दौरान (संशोधित अनुमान) अपेक्षाकृत अधिक राजस्व की प्राप्ति का कारण केंद्र से प्राप्त होनेवाले अनुदानों में वृद्धि (3.6 प्रतिशत), भागीदारी वाले कर (5.8 प्रतिशत), राज्यों की अपनी कर प्राप्तियां (3.9 प्रतिशत) और राज्यों की अपनी गैर-कर प्राप्तियां (6.9 प्रतिशत) था। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात बजट में अनुमानित 2.6 प्रतिशत से मामूली सा बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गया जिसका कारण मुख्यतः शिक्षा, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों पर पूंजी व्यय और अधिक (10.8 प्रतिशत) था। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में पूंजी व्यय 0.3 प्रतिशत अंक बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी प्रमुख घाटा संकेतक वर्ष 2006-07 के संशोधित अनुमानों में, वर्ष 2000-2005 की अवधि के दौरान के औसत स्तरों से, काफी कम रखे गए।

केंद्र और राज्यों की समेकित बजट स्थिति – 2006-07

1.4.6 वर्ष 2006-07 के दौरान संशोधित अनुमानों में, संयुक्त सरकारी वित्त के राजस्व और प्राथमिक घाटे, बजट अनुमानों की अपेक्षा कम रखे गए। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर - दोनों की वसूली में बहुत ज्यादा उछाल तथा अपेक्षाकृत गैर-कर प्राप्तियों के कारण, बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व घाटे में 0.1 प्रतिशत की कमी आई। सकल व्यय बजट अनुमान से अपेक्षाकृत अधिक था जिसका मुख्य कारण विकास और गैर-विकास व्यय में वृद्धि थी। विकास व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और सफाई पर अधिक व्यय किए जाने के कारण बजट अनुमानों से अधिक हुआ जबकि गैर-विकास व्यय प्रशासनिक सेवाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के कारण अधिक हुआ।

2007-08 के लिए राजकोषीय संभावना

केंद्र सरकार

1.4.7 राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2007-08 के संघीय बजट में राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने की बात कही गई थी। तदनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान बजट अनुमानों के अनुसार सकल राजकोषीय घाटे में 0.4 प्रतिशत की कमी करके उसे सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत पर लाने की बात कही गई है जबकि बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 0.5 प्रतिशत कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत पर लाने की बात कही गई है। बजट में बताई गई ये कमियां राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 की व्यवस्थाओं के अनुसार की जानेवाली कमियों के अनुरूप हैं। बजट में वर्ष 2007-08 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 0.2 प्रतिशत प्राथमिक अधिशेष की बात कही गई है जबकि वर्ष 2006-07 के दौरान यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत ही रखा गया था। घाटे में कमी लाने के मामले में अपनाई जानेवाली रणनीति में सबसे प्रमुख राजस्व की प्रधानता की बात कही गई है तथा साथ में सरकारी खर्चों के आबंटन की दक्षता में भी सुधार लाने की बात कही गई। वर्ष 2007-08 के दौरान बजट की व्यवस्थाओं के अनुसार योजना व्यय की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा कम रहने की बात कही गई है, इसलिए योजना के लिए वित्तपोषण की संपूर्ण व्यवस्था केवल उधार लिये गये संसाधनों से ही नहीं होगी। इसके अलावा सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात में कमी से पूंजीगत परिव्यय बढ़ाने में सुविधा होगी।

राज्य बजट 2007-08

1.4.8 वर्ष 2007-08 के लिए राज्य सरकारों ने बजटों के माध्यम से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अनुसार अपनी राजकोषीय स्थिति में और अधिक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है तथा उन्होंने

ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उच्चतर आबंटन किया है। राज्यों के बीच उतार-चढ़ाव रहते हुए भी 2006-07 (सं.अ.) में जीडीपी के 0.03 प्रतिशत के घाटे की तुलना में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत के आधिक्य वर्ष 2007-08 में प्रत्यक्ष सुधार दर्शाने के लिए बजट किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा 2006-07 (सं.अ.) में जीडीपी के 2.8 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में जीडीपी के 2.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। समेकित प्राथमिक घाटे का 2007-08 में जीडीपी के 0.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

2007-08 के लिए संयुक्त वित्त

1.4.9 वर्ष 2007-08 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त बजट संबंधी स्थिति का अवलोकन राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया का सातत्य दर्शाता है। घाटे के महत्वपूर्ण संकेतक 2006-07 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में, संपूर्ण तथा जीडीपी दोनों ही अर्थों में, कमी लाने के लिए बजट किए गए हैं। 2007-08 के दौरान संयुक्त वित्त में सुधार मूलतः राज्य वित्त में उल्लेखनीय सुधार के कारण है, जो उनके राजस्व खातों में काफी बड़ी मात्रा में शेष राशि इकट्ठी होना दर्शाता है।

1.4.10 बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 के दौरान संयुक्त जीएफडी के उच्चतर भाग का वित्तपोषण करने के लिए बजट किए गए हैं। हालांकि, राज्य भविष्य निधि के हिस्से में सीमान्त वृद्धि का अनुमान है। जीएफडी के वित्तपोषण के लिए लघु बचत का अंशदान 2007-08 में कम होने का अनुमान है।

V. वित्तीय बाजार

1.5.1 वर्ष 2006-07 के अधिकांश भाग के दौरान भारतीय वित्तीय बाजार सामान्यतः सुव्यवस्थित रहा। तथापि, कुछ अवसरों पर, विशेषतः मार्च 2007 में कुछ अस्थिरता हुई जिससे सरकार के पूंजी प्रवाह और नकदी संतुलनों में भारी परिवर्तनों से उत्पन्न चलनिधि

स्थितियों में परिवर्तन देखे गए। वित्तीय बाजारों के विभिन्न खंडों की ब्याज दरों में रिजर्व बैंक की नीतिगत ब्याज दरों के बाद वृद्धि हुई। दिसंबर 2006 - मार्च 2007 (विशेषतः, मार्च 2007 का उत्तरार्ध) के दौरान जब बाजार चूंकि अस्थायी तंगी की स्थिति से गुजर रहा था, वर्ष के दौरान कुछ अवसरों को छोड़कर एक दिवसीय दरें भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो और रिवर्स रेपो दरों द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर रहीं। एक दिवसीय मुद्रा बाजार के संपार्श्विक खंड की ब्याज दरें भी बढ़ गईं लेकिन वर्ष के दौरान वे मांग दर से कम रहीं। विदेशी मुद्रा बाजार में जुलाई 2006 के मध्य से रुपए के प्रति बढ़ते रुझान से भारतीय रुपए में घट-बढ़ दिखाई दी। वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार में आय में वृद्धि हुई। तथापि, आय वक्र सपाट रहा। बैंक की जमा और ऋण दरें, विशेषतः वर्ष की दूसरी छमाही में, बढ़ गईं। वर्ष के दौरान आवधिक सुधारों के कारण शेयर बाजार रेकार्ड उंचाई पर पहुंच गया। पूंजी बाजार के प्राथमिक बाजार खंड में उछाल की स्थिति बनी रही।

मुद्रा बाजार

1.5.2 वर्ष 2006-07 के दौरान मुद्रा बाजार दरों में वृद्धि हुई जो मोटे तौर पर नीतिगत दरों के अनुसार रही। वर्ष 2006-07 के दौरान मांग दर का अनुपात 7.22 प्रतिशत रहा जो 2005-06 की तुलना में 162 आधार अंक अधिक था। वर्ष के दौरान ब्याज दर में हुई घट-बढ़, अग्रिम कर के बहिर्वाह, सरकार के नकदी संतुलनों, त्योहारों के मौसम के कारण मुद्रा की मांग, पूंजी प्रवाह की प्रवृत्ति और ऋण की मांग जैसे कारकों के कारण उत्पन्न हुई चलनिधि स्थितियों पर निर्भर रही। सितंबर 2006 के मध्य तक मांग मुद्रा दर सामान्यतः रिवर्स रेपो दर पर स्थिर रही तथा सितंबर 2006 के मध्य से 12 दिसंबर 2006 तक रेपो रिवर्स रेपो की सीमा के अंदर रही। 13 दिसंबर 2006 से मांग दर बढ़ी और वह अग्रिम कर के बहिर्वाह और 23 दिसंबर 2006 और 6 जनवरी 2007 से प्रभावी पखवाड़े के

प्रत्येक नकदी रिजर्व अनुपात में 25 आधार अंक की वृद्धि की घोषणा (8 दिसंबर 2006 को की गई) के प्रभाव के अंतर्गत रेपो दर को पार कर गई। 29 दिसंबर 2006 को भारांकित औसत मांग दर 16.88 की उंचाई को छू गई लेकिन चलनिधि की कुछ स्थितियों के कारण जनवरी 2007 के पहले सप्ताह में कम हो गई। तथापि, मांग दर फरवरी 2007 के पहले सप्ताह तक रेपो दर से ऊपर बनी रही। रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों के कारण फरवरी 2007 के दूसरे सप्ताह में मांग दर और कम होकर 6.5 प्रतिशत हो गई जो रेपो दर से कम थी।

1.5.3 मुद्रा बाजार के संपार्श्विक खंड की ब्याज दरें - बाजारी रेपो (एलएएफ के बाहर) तथा संपार्श्विक उधारी तथा ऋण देयता (सीबीएलओ) में मांग दर की तर्ज पर वृद्धि हुई। मुद्रा बाजार में संपार्श्विक बाजार अब एक वर्चस्व प्राप्त खंड है और वर्ष 2006-07 की समस्त मात्रा में उसका योगदान 70 प्रतिशत है। वर्ष 2006-07 के दौरान इन खंडों की दरें मांग बाजार की दरों से कम बनी रहीं जो मांग दर की तुलना में सापेक्ष स्थिरता दर्शाती है। कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए ब्याज दरों का अनुपात मांग मुद्रा बाजार के 7.22 प्रतिशत (5.60 प्रतिशत) की तुलना में, क्रमशः सीबीएलओ खंड में 6.24 प्रतिशत (वर्ष 2005-06 में 5.34 प्रतिशत) और बाजारी रेपो खंड में 6.34 प्रतिशत (5.36 प्रतिशत) रहा। मांग मुद्रा, सीबीएलओ और रेपो खंडों की भारित औसत ब्याज दरें वर्ष 2005-06 की 5.43 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 6.57 प्रतिशत हो गईं।

जमा प्रमाणपत्र

1.5.4 ऋण की मांग को पूरा करने के लिए निधि जुटाने हेतु अपने जमा संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए बैंकों ने जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) का सहारा लेना जारी रखा। एकमुश्त जमाराशियां आकर्षित करने के लिए दिए जा सकने वाले प्रतिफल की लोच से जमा

प्रमाणपत्र नकदी के जरूरतमंद बैंकों के लिए संसाधन जुटाने का एक अधिमान्य जरिया बन गया। जमा प्रमाणपत्र की बकाया राशि मार्चांत 2006 के 43,568 करोड़ रुपए (जारीकर्ता बैंकों की कुल जमाराशियों का 4.80 प्रतिशत) से बढ़कर 2007 के मार्च के अंत में 93,272 करोड़ रुपए (4.83 प्रतिशत) हो गई। 22 जून 2007 को जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि पुनः बढ़कर 98,337 करोड़ रुपए हो गई। मार्च 2007 के पहले पखवाड़े के दौरान मुख्यतः निजी क्षेत्र के बैंकों ने बड़ी मात्रा में (कुल बकाया राशि का लगभग 20 प्रतिशत) जमा प्रमाणपत्र जारी किए। सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों की तुलना में न्यून जमा आधार वाले छोटे बैंकों का कुल जमा में जमा प्रमाणपत्रों का अनुपात उच्च था। जमा प्रमाणपत्रों की भारत औसत बढ़ा दर (डब्ल्यूएडीआर) अन्य मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में वृद्धि के अनुरूप 2006 के मार्च के अंत में 8.62 प्रतिशत से बढ़कर 2007 के मार्च के अंत में 10.75 प्रतिशत हो गई। डब्ल्यूएडीआर जून 2007 के अंत में कम होकर 9.37 प्रतिशत रह गई। वाणिज्यिक पत्रों की प्रमुख निवेशक पारस्परिक निधियां हैं।

वाणिज्यिक पत्र

1.5.5 कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की बकाया राशि मार्चांत 2006 की 12,718 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्चांत 2007 में 17,838 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2006-07 की पहली छमाही में वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि तेजी से बढ़ी, लेकिन अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के दौरान वह मुख्यतः दायराबद्ध रही और फरवरी-मार्च 2007 के दौरान कम रही। वर्तमान में कोई भी ऐसी कंपनी जिसने क्रिसिल की पी 2 की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग या उसकी समकक्ष रेटिंग हासिल कर ली है, वह वाणिज्यिक पत्रों के जरिए संसाधन जुटा सकती है। इसके फलस्वरूप, प्राइम रेटेड कंपनियों में वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम का वर्चस्व रहा। उदाहरण के लिए, 31 मार्च 2007 को समाप्त पखवाड़े

के दौरान प्राइम-रेटेड कंपनियों ने 11.3 प्रतिशत की भारत औसत बढ़ा दर (डब्ल्यूएडीआर) पर वाणिज्यिक पत्रों के जरिए कुल 1,190 करोड़ रुपए (कुल राशि का 93.0 प्रतिशत) की निधि जुटाई जबकि मीडियम रेटेड कंपनियों ने 11.78 प्रतिशत की डब्ल्यूएडीआर पर 90 करोड़ रुपए (सात प्रतिशत) की निधि जुटाई। कुल मिलाकर, वाणिज्यिक पत्रों पर डब्ल्यूएडीआर, अन्य मुद्रा बाजार दरों में वृद्धि के अनुरूप 31 मार्च 2006 को समाप्त पखवाड़े की 8.59 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2007 के दौरान 11.33 प्रतिशत हो गई। वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि 30 जून 2007 को बढ़कर 26,256 करोड़ रुपए हो गई। डब्ल्यूएडीआर जून 2007 में कम होकर 8.93 प्रतिशत रह गया। वाणिज्यिक पत्रों की सबसे अधिक पसंदीदा अवधि '61 से 90 दिन' तथा '181 और अधिक दिन' के दायरे में थी।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

1.5.6 वर्ष 2006-07 में सरकारी प्रतिभूति बाजार के द्वितीयक घटक की आय नर्म रही और आय वक्र भी थोड़ी सी सपाट रही। वर्ष 2006-07 के प्रारंभ में आय में जो शुरुआती वृद्धि हुई थी वह वर्ष के भीतर 11 जुलाई 2006 को बढ़कर सर्वाधिक 8.40 प्रतिशत तक पहुंच गई जिसकी वजह घरेलू स्तर पर नियंत्रित ऋण की मांग, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में वृद्धि के प्रति आशंका तथा विश्व में एवं भारत में पहले से ही मौद्रिक कठोरता का निरंतर बने रहना रहा है। हालांकि बाद में आय में सुधार हुआ जो अमरीका में सरकारी बाण्डों पर होने वाली आय में वृद्धि होने, फेडरल निधि दर को अपरिवर्तित रखने के फेडरल रिजर्व के निर्णय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम होना, सांविधिक चलनिधि अनुपात पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों की बढ़ती हुई मांग तथा वर्ष 2006-07 की दूसरी छमाही के लिए केंद्र सरकार के उधार कैलेंडर की घोषणा जो बाजार प्रत्याशाओं के

अनुरूप थी, के फलस्वरूप हुआ है। 28 नवंबर 2006 को 10 वर्षीय आय कम होकर 7.38 प्रतिशत पर पहुंच गई। घरेलू स्तर पर अग्रिम कर आउटफ्लो, ऊंची महंगाई दर तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि के चलते चलनिधि स्थिति कठोर बने रहने से दिसंबर 2006 की दूसरी छमाही से आय में पुनः थोड़ी कमी बनी रही। 10 वर्षीय आय 31 मार्च 2007 को 7.97 प्रतिशत थी जो 31 मार्च 2006 (7.52 प्रतिशत) के स्तर से 45 आधार अंक अधिक थी।

1.5.7 वर्ष 2006-07 के दौरान आय वक्र सपाट रही और 1-10 वर्षीय आय मार्च 2006 के अंत के 98 आधार अंक से कम होकर मार्च 2007 के अंत में 42 आधार अंक कम हुई। 2007-08 के दौरान, जुलाई 2007 के अंत की आय व्याप्ति ने यह दर्शाया कि 10-वर्षीय आय में कमी ने आय वक्र का दीर्घावधि लक्ष्य पूरा नहीं किया। किंतु, 5 वर्षीय एएए-रेटिंग वाले बाण्डों पर आय, 5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में मार्च 2006 के अंत के 91 आधार अंक से बढ़कर, जुलाई 2006 में घटकर 69 आधार अंक होने के बाद, मार्च 2007 में 142 आधार अंक हो गई है।

ऋण बाजार

1.5.8 वाणिज्य बैंकों की जमा और उधार देने की दरें वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़ी हैं। उदाहरणार्थ, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक से तीन वर्ष की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर मार्च 2006 के 5.75 - 6.75 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 में 7.25 - 9.50 प्रतिशत हो गई, जबकि उसी अवधि में तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों पर ब्याज दर 6.00 - 7.25 प्रतिशत से बढ़कर 7.50 - 9.50 प्रतिशत हो गई। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें भी एक वर्ष पहले की दरों से अधिक रही हैं।

1.5.9 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क प्राथमिक उधार दर मार्च 2006 की 10.25 - 11.25 प्रतिशत

से बढ़कर मार्च 2007 में 12.25 - 12.75 प्रतिशत के बीच हो गई। निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की बेंचमार्क प्राथमिक उधार दरें भी वर्ष के दौरान बढ़ी हैं। 2007-08 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क प्राथमिक उधार दरें जुलाई 2007 तक क्रमशः 12.50 - 13.50 प्रतिशत और 13.00-17.25 प्रतिशत हो गई। विदेशी बैंकों की बेंचमार्क प्राथमिक उधार दरें उक्त अवधि में अपरिवर्तित रही। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भारत औसत बीपीएलआर मार्च 2006 के 10.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 में 12.4 प्रतिशत और जुलाई 2007 में 13.1 प्रतिशत हो गई, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों की ये दर उसी अवधि में 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.1 प्रतिशत और 14.9 प्रतिशत हो गई। विदेशी बैंकों की भारत औसत बीपीएलआर मार्च 2006 और मार्च 2007 के 12.7 प्रतिशत से जुलाई 2007 में बढ़कर 13.9 प्रतिशत हुई। बैंक की उधार दी गई राशियों का अधिकांश हिस्सा बीपीएलआर से कम दर पर दिया जाना बना रहा है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए उधार का तकरीबन 79 प्रतिशत मार्च 2007 के अंत तक उप-बीपीएलआर दर पर था (पिछले वर्ष यह 69 प्रतिशत था)। बैंक के समूहों के हिसाब से, सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंकों ने मार्च 2007 के अंत तक अपने कुल ऋण का क्रमशः 74 प्रतिशत, 92 प्रतिशत तथा 72 प्रतिशत ऋण उप-बीपीएलआर पर दिया है।

इक्विटी और ऋण बाजार

1.5.10 सार्वजनिक निर्गमों (बिक्री प्रस्तावों को छोड़कर) द्वारा प्राथमिक बाजार से वर्ष 2006-07 के दौरान जुटाए गए संसाधन में 20.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 32,382 करोड़ रुपए हो गया। जुटाए गए संसाधनों का अधिकांश हिस्सा पहले की तरह इक्विटी निर्गमों के माध्यम से रहा (पिछले वर्ष के 99 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006-07 में कुल संसाधन का 97 प्रतिशत)।

1.5.11 भारतीय कापॉरिट क्षेत्र की भी घरेलू निजी प्लेसमेंट बाजार पर निर्भरता काफी हद तक बनी रही है। निजी प्लेसमेंट मार्ग से जुटाए गए संसाधन में अप्रैल-दिसंबर 2006-07 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में 50.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो बढ़कर 1,45,571 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान निजी प्लेसमेंट से जुटाई गई राशि का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र की संस्थाओं - वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों द्वारा जुटाया गया - पिछले वर्ष के 42.7 प्रतिशत की तुलना में 58.0 प्रतिशत था।

1.5.12 वर्ष 2006-07 के दौरान पारस्परिक निधियों द्वारा जुटाए गए निवल संसाधनों में 78.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बढ़कर 93,985 करोड़ रुपए हो गया, और यह वृद्धि मुख्यतया निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों द्वारा जुटाए गए अधिक संसाधनों के कारण थी। मार्च 2007 के अंत में पारस्परिक निधियों द्वारा नियंत्रित निवल आस्तियों में भी 40.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो बढ़कर 3,26,292 करोड़ रुपए हो गई और यह जुटाए गए संसाधनों में वृद्धि तथा उनके संविभाग के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है।

1.5.13 घरेलू स्टॉक बाजार में वर्ष 2006-07 के दौरान और अधिक तेजी आई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज मार्च 2007 के अंत में सूचकांक पिछले वर्ष की अधिकतम वृद्धि 73.7 प्रतिशत अंक से 15.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी। कंपनी जगत में सुदृढ़ लाभ और विदेशी संस्थागत निवेशकों एवं घरेलू पारस्परिक निधियों से चलनिधि संबंधी निरंतर समर्थन से शेयर बाजार में तेजी बनी रही, हालांकि विश्व स्तर पर इक्विटी बाजार की प्रवृत्तियों के अनुसरण में स्टॉक बाजार में कई अवसरों पर (मई-जून 2006, दिसंबर 2006 और फरवरी-मार्च 2007) अत्यधिक ऊपर-नीचे होने की स्थिति का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2006-07 के दौरान बंबई शेयर बाजार 8,929 अंक (14 जून 2006) तक की रेंज में रहा और 30 मार्च 2007 को सूचकांक 13,072 अंक पर बंद होने के पहले सर्वाधिक अंक 14,652 (8 फरवरी 2007) तक पहुंच गया था।

VI. बाह्य क्षेत्र

1.6.1 वर्ष 2006-07 के दौरान भारत की भुगतान संतुलन की गतिविधियों में बाह्य क्षेत्र में लगातार मजबूती एवं सक्रियता का असर दिखाई दिया। व्यापारिक निर्यात और गैर-तेल आयात में सुदृढ़ वृद्धि बनी रही हालांकि वृद्धि की जो रफ्तार पिछले वर्ष थी उसमें थोड़ी कमी आई। सॉफ्टवेयर तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात से हुई आय तथा विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषित धन के स्तर में उछाल जारी रहा। वर्ष 2006-07 के दौरान अदृश्य वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त निवल राशि में वृद्धि हुई जिससे बढ़ते हुए व्यापारिक घाटे के एक बड़े हिस्से की भरपाई होती रही। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान चालू खाता घाटा सामान्य रहा और यदि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में देखा जाए तो इसका स्तर वही रहा जो एक वर्ष पहले था। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) में तेजी के कारण वृद्धि की संभावनाओं और घरेलू निवेश तथा आयात की मांग के चलते भारत में पूंजी प्रवाह (निवल) में वृद्धि हुई। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किए जा रहे अधिग्रहण की बढ़ती हुई संख्या के कारण बाह्य प्रत्यक्ष निवेश में भी उछाल आया। चालू खाता घाटा से अधिक निवल पूंजी प्रवाह की स्थिति में संपूर्ण भुगतान संतुलन में महत्वपूर्ण रूप से अधिशेष दर्ज किया गया जो वर्ष 2006-07 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 47.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि में प्रतिबिंबित होता है। हालांकि बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा अनिवासी जमाराशि की अधिक मात्रा के कारण बाह्य कर्ज में बढ़ोतरी हुई जबकि निवल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कमी दर्ज की गई जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में निरंतर वृद्धि हुई।

पण्य व्यापार

1.6.2 भारत के पण्य निर्यात में वृद्धि वर्ष 2005-06 के दौरान 23.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006-07

के दौरान 22.5 प्रतिशत हुई। पण्यवार आंकड़ों से यह जाहिर होता है कि वर्ष 2006-07 के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं तथा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में तेज वृद्धि दर्ज की गई, वहीं रसायन तथा संबद्ध उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र तथा संबद्ध उत्पाद तथा अयस्क और खनिज जैसी अन्य महत्वपूर्ण मर्दों के निर्यात में वृद्धि की दर सामान्य बनी रही। यद्यपि अयस्कों और खनिजों के निर्यात में गिरावट के बावजूद प्राथमिक उत्पादों के निर्यात में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि (2005-06 में 20.8 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2006-07 के दौरान कृषि उत्पादों में चाय, तंबाकू, मसालों तथा चीनी एवं शीरे के निर्यात में उच्च वृद्धि का स्तर बना रहा। मुख्य रूप से दवाइयों, फार्मास्यूटिकल्स तथा कीमती रसायनों के निर्यात में कमी के कारण रसायनों तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात की दर कम रही। वर्ष 2005-06 के दौरान तीव्र वृद्धि दर्ज करने के बाद भारत के वस्त्रों के निर्यात में वर्ष 2006-07 में कमी हुई।

1.6.3 वर्ष 2006-07 के दौरान अमरीका भारत के निर्यातों का मुख्य आयातक देश रहा जहां भारत के कुल निर्यात का 14.9 प्रतिशत हिस्सा निर्यात हुआ उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (9.5 प्रतिशत), चीन (6.6 प्रतिशत) तथा सिंगापुर (4.8 प्रतिशत) का स्थान रहा। वर्ष 2006-07 के दौरान अपवाद स्वरूप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को छोड़कर, अधिकतर प्रमुख बाजारों को किए गए निर्यात की वृद्धि दर में कमी हुई। संयुक्त अरब अमीरात को किए गए निर्यात में तेज वृद्धि होने का कारण उस देश के पेट्रोलियम निर्यात में वृद्धि रही है। पिछले कुछ वर्षों में, विकासशील देश विशेष रूप से एशियाई देश भारतीय निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरकर सामने आए हैं जबकि विकसित देशों के हिस्से में गिरावट का रुझान नजर आया है।

1.6.4 भारत के पण्य आयात की वृद्धि एक वर्ष पहले के 33.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2006-07 के दौरान 27.8 प्रतिशत तक आ गई। वर्ष 2006-07 के दौरान तेल आयात में 29.8 प्रतिशत तक कमी आई (एक वर्ष पहले यह 47.3 प्रतिशत थी) जिससे भारतीय

कच्चे तेल समूह की कीमतों की वृद्धि में कुछ नरमी (वर्ष 2005-06 के दौरान 42.2 प्रतिशत से तुलना करने पर वर्ष 2006-07 के दौरान 12.7 प्रतिशत) प्रदर्शित होती है। दूसरी तरफ, वर्ष 2006-07 के दौरान तेल आयातों की मात्रा में 19.3 की वृद्धि एक वर्ष पहले की 4.2 प्रतिशत की वृद्धि से काफी अधिक रही।

1.6.5 मुख्य रूप से मोती, मूल्यवान और कम मूल्यवान रत्नों के आयात में गिरावट के कारण तेल से इतर आयातों में वृद्धि एक वर्ष पहले के 28.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2006-07 के दौरान 26.9 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर सोने तथा चांदी का आयात एक वर्ष पहले की 1.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान 29.4 प्रतिशत तक बढ़ गया जो आंशिक रूप से सोने की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान सोने तथा चांदी को छोड़कर तेल से इतर आयातों में वृद्धि एक वर्ष पहले के 33.1 प्रतिशत की तुलना में 26.6 प्रतिशत रही। घरेलू निवेश की तीव्र मांग के अनुरूप पूंजीगत वस्तुओं के आयात में उत्साहवर्धक वृद्धि जारी रही (वर्ष 2005-06 के दौरान रही 49.9 प्रतिशत वृद्धि के ऊपर वर्ष 2006-07 के दौरान 40.6 प्रतिशत थी)। पूंजीगत वस्तुएं आयात का मुख्य आधार बनी रहीं जिनका हिस्सा वर्ष 2006-07 के दौरान तेल से इतर एवं सोने-चांदी से इतर आयातों में लगभग 61 प्रतिशत वृद्धि के बराबर रहा।

1.6.6 वर्ष 2006-07 के दौरान चीन, भारत के कुल आयातों (तेल तथा तेल से इतर आयात) का मुख्य स्रोत रहा जिसका हिस्सा भारत के कुल आयात का 9.1 प्रतिशत था उसके बाद सऊदी अरब (7.0 प्रतिशत), जर्मनी (6.6 प्रतिशत), अमरीका (6.6 प्रतिशत), स्विटजरलैंड (4.8 प्रतिशत) और संयुक्त अरब अमीरात (4.5 प्रतिशत) का स्थान रहा।

अदृश्य

1.6.7 अदृश्य मर्दों (सेवाओं, अंतरण तथा आय को मिलाकर) के अधिशेष की स्थिति वर्ष 2006-

07 के दौरान उत्पादवर्धक बनी रही जिसमें सॉफ्टवेयर तथा अन्य सेवाओं के निर्यात में सुदृढ़ वृद्धि और निजी विप्रेषण अग्रणी रहे। सकल अदृश्य प्राप्तियां, जिसमें सेवाओं, वित्तीय आस्तियों से आय, श्रम तथा संपत्ति और कार्मिकों के विप्रेषण आते हैं, तेजी से पण्य निर्यात के बराबर पहुंच रही हैं। कुल अदृश्य मदों की प्राप्तियां 1990-91 के 29 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में मौजूदा प्राप्तियों का 48 प्रतिशत थीं। सकल अदृश्य प्राप्तियों में 7.0 प्रतिशत से 13.0 प्रतिशत तक के तेज विस्तार के ऊपर वर्ष 2006-07 के दौरान अदृश्य मदों के अंतर्गत निवल अधिशेष वर्ष 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 6.0 प्रतिशत हो गए। वर्ष 2006-07 के दौरान अदृश्य मदों के अंतर्गत निवल अधिशेषों ने तीन-चौथाई से अधिक व्यापार घाटे की भरपाई की।

चालू खाता

1.6.8 2006-07 में अदृश्य अधिशेष में अनवरत वृद्धि होने से इसने बढ़ते पण्यगत व्यापार घाटे के असर को कम करने में भूमिका अदा की। परिणामस्वरूप, 2006-07 में चालू खाता घाटा 9.6 बिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर बना रहा, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के घाटे से कुछ अधिक रहा। 2006-07 में सकल देशी उत्पाद के अनुपात में पिछले वर्ष की तरह ही चालू खाता घाटा 1.1 प्रतिशत रहा। 1990 के दशक के मध्य और 2003-04 के बीच पण्यगत व्यापार घाटा सकल देशी उत्पाद के 3-4 प्रतिशत के बीच झूलता रहा मगर 2006-07 में तेल और तेल से इतर उत्पादों के ऊंची मात्रा में आयात होने के कारण ये तेजी से बढ़कर सकल देशी उत्पाद के 7.1 प्रतिशत तक पहुंच गया। आयातोन्मुखी व्यापार घाटा और पूंजीगत वस्तुओं के आयात एवं निर्यात-संबंधी मदों की बहुलता वृद्धि की उत्पादवर्धक संभावनाओं के समर्थन से सुदृढ़ निवेश मांग के महत्व को रेखांकित करती है। फिर भी, चालू खाता घाटा सापेक्षतः कम रहा और 1990-91 से यह सकल देशी उत्पाद के औसतन एक प्रतिशत के

आसपास बना रहा जोकि सापेक्षतः कम है। इसका कारण है कि निवल अदृश्य अधिशेष में अनवरत वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही और यह 2000-01 में सकल देशी उत्पाद के 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 6.0 प्रतिशत हो गया। भारत से भिन्न बहुत-सी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 2006 में व्यापार और चालू खातों में अधिशेष दर्ज किए गए।

पूंजी खाता

1.6.9 2006-07 में निवल पूंजीगत प्रवाह और बढ़ा। इसमें भारत की वृद्धि की संभावनाओं में निवेशकों की बढ़ती रुचि के साथ वैश्विक चलनिधि स्थिति का पता भी चलता है। पूंजीगत प्रवाह (निवल) 2000-03 के लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डालर (सकल देशी उत्पाद का 1.9 प्रतिशत) से बढ़कर 2004-06 में 30-31 बिलियन अमेरिकी डालर (सकल देशी उत्पाद के 3.5 प्रतिशत) (आइएमडी प्रभाव के लिए समायोजित) के आसपास रहा। यह चालू खाता घाटे से काफी ऊपर बना रहा। बाह्य वाणिज्यिक उधारियों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह के समर्थन से 2006-07 में पूंजीगत प्रवाह (निवल) 44.9 बिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर रहे।

विदेशी निवेश

1.6.10 घरेलू गतिविधियों में वृद्धि, निवेश का सकारात्मक माहौल, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों में क्रमिक उदारीकरण और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के चलते भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तेजी से बढ़कर 2005-06 के 7.7 बिलियन अमेरिकी डालर से 2006-07 में 19.5 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण, बैंकिंग सेवाओं, सूचना तकनीकी और निर्माण सरीखे क्षेत्रों में समामेलन और अधिग्रहण की बढ़ती रफ्तार ने भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम को बढ़ावा दिया है। 2006-07 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह पोर्टफोलियो प्रवाह से काफी अधिक रहा है। इस वर्ष भारत से होने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भी

पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह 2005-06 के 4.5 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2006-07 में 11.0 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है। इससे साबित होता है कि विदेशी भुगतान व्यवस्था के क्रमिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारतीय कारपोरेट जगत बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने तथा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठाने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों का विदेश में अधिग्रहण कर रहा है।

बाह्य ऋण

1.6.11 जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा अनिवासी जमा में हुए निवल अंतर्वाह में वृद्धि के परिणामस्वरूप 2006-07 में भारत का कुल बाह्य ऋण 28.6 बिलियन अमेरिकी डालर बढ़ गया। मार्च 2007 के अंत में बाह्य ऋण 155.0 बिलियन अमेरिकी डालर रहा। 2006-07 में बाह्य वाणिज्यिक उधारों का स्टॉक 15.9 बिलियन अमेरिकी डालर बढ़ा जो कि कुल बाह्य ऋण में लगभग 55.6 प्रतिशत वृद्धि के आसपास बैठता है। बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अन्य घटकों के बीच वाणिज्यिक बैंक उधार मार्च 2006 के अंत में 16.4 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि की तुलना में मार्च 2007 के अंत में 25.8 बिलियन अमेरिकी डालर बढ़े जबकि प्रतिभूतिकृत उधार (एफसीसीबी सहित) 9.7 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 15.7 बिलियन अमेरिकी डालर हो गए।

1.6.12 बाह्य ऋण स्टॉक का लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी डालर में था और इसके बाद भारतीय रुपया (17.4 प्रतिशत), एसडीआर (13.3 प्रतिशत) तथा जापानी येन (12.9 प्रतिशत) का स्थान आता है। 1990 के दशक से सकल देशी उत्पाद की तुलना में बाह्य ऋण के अनुपात में निरंतर गिरावट आई है। मार्च 1995 के अंत में यह 30.8 प्रतिशत था जो मार्च 2007 के अंत में घटकर 16.4 प्रतिशत रह गया। यद्यपि 2005 में भारत सातवां सबसे बड़ा ऋणी देश

रहा है मगर ऋण-सकल देशी उत्पाद अनुपात में इसका स्थान ऊपर के 20 देशों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। मार्च 2007 के अंत में विदेशी मुद्रा आरक्षित, बाह्य ऋण स्टॉक के 28.5 प्रतिशत से अधिक थे। चालू प्राप्तियां बाह्य ऋण स्टॉक के 58.4 प्रतिशत से अधिक रहीं, जो यह दर्शाता है कि वस्तुओं, सेवाओं के निर्यात और विप्रेषण में सुदृढ़ वृद्धि हुई है। कुल ऋण से अल्पावधि ऋण और विदेशी मुद्रा आरक्षित से अल्पावधि ऋण का अनुपात सापेक्षतः नरम बना रहा। ऋण-चुकौती अनुपात गिरकर 2006-07 में 4.8 प्रतिशत पर आ गया। 2005-06 की वृद्धि आईएमडी राशि की परिपक्वता तिथि पर एकमुश्त चुकौती (बुलेट रिडम्पशन) के एकल प्रभाव को प्रदर्शित करती है।

विदेशी मुद्रा भंडार

1.6.13 चालू खाता घाटे की तुलना में पूंजी प्रवाह (निवल) के काफी अधिक बने रहने के बावजूद 2006-07 में समग्र भुगतान संतुलन सतत बड़े पैमाने पर अधिशेष की स्थिति में बना रहा। परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा आस्तियों, स्वर्ण, एसडीआर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में आरक्षित अंश से युक्त विदेशी मुद्रा भंडार 2006-07 में 47.6 बिलियन अमेरिकी डालर बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 199.2 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। मार्च 2007 के अंत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय लेनदेन योजना (एफटीपी) के अंतर्गत भारत का कुल अंशदान 493 मिलियन एसडीआर था।

1.6.14 मार्च 2007 के अंत में सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से भारत के पास अंतरराष्ट्रीय आरक्षित आस्तियों का पांचवां सबसे बड़ा भंडार था। आरक्षित पर्याप्तता के विभिन्न सूचकांक जैसा कि दर्शा रहे हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी स्थिति में है। मार्च 2007 के अंत में कुल भंडार 12.4 महीने से अधिक आयात तथा अल्पावधि ऋण के 16.6 गुने के बराबर थे।

II

मूल्यांकन और संभावनाएं

2006-07 का मूल्यांकन

II.1 वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्माण और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के कारण वृद्धि में तेजी आई। घरेलू बचत और निवेश बढ़ने के कारण वर्ष 2003-04 से उच्च वृद्धिको निरंतर बल मिला है। तथापि, वर्ष 2006-07 के दौरान मजबूत वृद्धि के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में क्षमता बाध्यता के कारण मुद्रास्फीति का दबाव, कुल मौद्रिक और ऋण राशियों में सुदृढ़ वृद्धि, खाद्यान्न और तिलहन के घरेलू उत्पादन में मांग और पूर्ति में अंतर तथा वस्तुओं की कीमतों में दुनिया भर में मजबूती देखी गई। रिजर्व बैंक द्वारा समय पर किए गए समुचित उपायों और सरकार द्वारा बढ़ते हुए मूल्यों के संबंध में आपूर्ति की ओर की गई अन्य कार्रवाई से हेडलाइन मुद्रास्फीति को रोकने में मदद मिली। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन उपायों से कुछ हद तक मुद्रास्फीति की संभावना को रोकने में मदद मिली। समग्र रूप में सभी क्षेत्रों में और विशेष रूप में औद्योगिक क्षेत्र में हुई सुदृढ़ वृद्धि से कार्पोरेट क्षेत्र को ऊँची लाभप्रदता बनाए रखने में मदद मिली है। इसके परिणामस्वरूप भारी कर संग्रहण हुआ है और इसने लोक वित्त के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास प्रक्रिया में वित्तीय बाजार की स्थिति, जो उतार चढ़ाव की कुछ घटनाओं को छोड़कर सही रही, ने सुविधा प्रदान की है। तथापि, वित्तीय बाजार के विभिन्न घटकों की ब्याज दरें कुछ हद तक बढ़ गईं। मजबूत वृद्धि के फलस्वरूप व्यापार का घाटा अधिक हो गया। फिर भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चालू खाते का घाटा पिछले वर्ष की तुलना में अपरिवर्तित रहा क्योंकि विशुद्ध अगोचर अधिशेष (नेट इनविजिबल्स सरप्लस) में जारी उछाल ने पण्य व्यापार के घाटे की काफी हद तक क्षतिपूर्ति कर दी। मुख्यतः बाहरी वाणिज्यिक उधारों और विशुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के

रूप में आए बड़े पूंजी प्रवाहों से विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई।

II.2 वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार चौथे वर्ष सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2005-06 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 9.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 9.4 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार, 2006-07 को समाप्त चार वर्ष की अवधि में वृद्धि औसतन 8.6 प्रतिशत रही। दसवीं पंच वर्षीय योजना में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का औसत 7.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष था, जो किसी भी योजना अवधि में अधिकतम है। वर्ष 2006-07 के दौरान वृद्धि दर में तेजी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में उछाल के कारण आई जिसने दुहरे अंकों में वृद्धि (11.0 प्रतिशत) दर्शायी क्योंकि उद्योग और सेवा क्षेत्र की उच्चतर वृद्धि ने कृषि क्षेत्र की गिरावट की भरपाई से भी अधिक का योगदान कर दिया।

II.3 कृषि क्षेत्र में वृद्धि 2005-06 के दौरान 6.0 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 में 2.7 प्रतिशत हो गई, जो अंशतः दक्षिणी-पश्चिमी मॉनसून के दौरान छिट-पुट वर्षा तथा 2005-06 में अधिक वृद्धि दिखाने वाले आधार प्रभावों के कारण थी। यद्यपि 2006-07 में समग्र खाद्यान्न उत्पादन में 3.6 प्रतिशत वृद्धि हुई, मुख्य फसलों का उत्पादन अभी भी 2001-02 की पिछली ऊँचाइयों तक नहीं पहुँचा है। मुख्य फसलों में, 2006-07 के दौरान चावल, गेहूँ और दालों की पैदावार क्रमशः 2001-02, 1999-2000 और 1998-99 की ऊँचाइयों से कम थी। मुख्य खाद्यान्नों के उत्पादन में ठहराव तथा दुनिया भर में बढ़ती कीमतों के बीच स्टॉक की कमी ने 2006-07 के दौरान घरेलू खाद्यान्न मूल्यों को और बढ़ा दिया। गैर खाद्यान्नों में, 2006-07 के दौरान गन्ने और कपास के उत्पादन ने नई ऊँचाइयों को छुआ, जबकि तिलहन में कमी आई।

II.4 अप्रैल 2002 में आरंभ हुई औद्योगिक उन्नति 2006-07 के दौरान कायम रही। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के आधार पर, औद्योगिक वृद्धि 2005-06 के 8.2 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 11.5 प्रतिशत हो गई, जो पिछले दशक में प्राप्त अधिकतम वृद्धि थी। निर्माण क्षेत्र में हुई वृद्धि (12.5 प्रतिशत) व्यापक आधार पर थी। उपयोग आधारित वर्गीकरण के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों ने वृद्धि में तेजी दर्शायी। 18.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पूंजी वस्तुओं के उत्पादन में उछाल कायम रही जो अत्यधिक निवेश मांग दर्शाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान मूल वस्तुओं और मध्यस्थ वस्तुओं में भी उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। मूल आधारभूत उद्योगों में वृद्धि 2006-07 के दौरान 8.6 प्रतिशत की हुई, जो 1999-2000 (9.1 प्रतिशत) के बाद उच्चतम रही है।

II.5 लगातार तीसरे वर्ष तक दुहरे अंकों में दर्ज वृद्धि वाले सेवा क्षेत्र ने देश में आर्थिक गतिविधियों के मुख्य संचालक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद का 61.8 प्रतिशत भाग सेवा क्षेत्र का था तथा वर्ष के दौरान यह समग्र वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का लगभग तीन-चौथाई था। सेवा क्षेत्र को घरेलू पर्यटन, देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन, टेलीकॉम क्षेत्र, रेलवे यातायात, नागरिक उड्डयन, माल चढ़ाने-उतारने की व्यवस्था, निर्माण, कारोबारी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ), सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाओं (आइटीएस) और बैंकिंग तथा बीमा गतिविधियों में हुई मजबूत वृद्धि का लाभ मिला।

II.6 हाल के वर्षों में आर्थिक गतिविधि में मजबूती घरेलू बचत और निवेश दरों में निरंतर बढ़ोतरी की प्रवृत्ति के साथ-साथ पूंजी के सक्षम उपयोग के कारण आई। बचत दर में बढ़ती हुई प्रवृत्ति जारी रही और वर्ष 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद के 23.5 प्रतिशत से बढ़ कर 2005-06 में 32.4 प्रतिशत हो गई जबकि

उसी अवधि के दौरान निवेश दर 22.9 प्रतिशत से बढ़कर 33.8 प्रतिशत हो गई। 2006-07 के आँकड़े इसी प्रकार की प्रवृत्ति बने रहने के संकेत देते हैं जिसमें कुल स्थायी पूंजी निर्माण की दर 1.4 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि के द्वारा वर्ष 2005-06 के सकल घरेलू उत्पाद के 28.1 से बढ़कर 29.5 प्रतिशत हो गई।

II.7 1990 के आरंभ से निरंतर आर्थिक वृद्धि गरीबी में महत्वपूर्ण कमी के साथ भी जुड़ी है। गरीबी रेखा (यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड के आधार पर) से नीचे रह रहे लोगों का अनुपात 1993-94 के 36 प्रतिशत से कम होकर 2004-05 में 27.8 प्रतिशत रह गया। रोजगार वृद्धि (सामान्य प्रधान स्थिति के आधार पर) में भी तेजी आने के संकेत हैं जो (1993-94 से 1999-2000) 1.57 प्रतिशत प्रति वर्ष से बढ़कर (1999-2000 से 2004-05 के दौरान) 2.48 प्रतिशत हो गई। तथापि, रोजगार में वार्षिक वृद्धि (2.48 प्रतिशत) वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 के दौरान श्रम-शक्ति (2.54 प्रतिशत) की अपेक्षा थोड़ी कम थी। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर 1999-2000 के 2.78 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 3.06 प्रतिशत हो गई।

II.8 2006-07 के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम₃) 2005-06 के 17.0 प्रतिशत से बढ़कर 21.3 प्रतिशत हो गई। प्रमुख हिस्सों को देखें तो, मीयादी जमा राशियों में 2006-07 के दौरान उच्चतर वृद्धि देखी गई जो बैंक जमा राशियों पर उच्चतर ब्याज दरों तथा समुचित परिपक्वता वाली बैंक जमा राशियों के लिए 80 सी के अंतर्गत उपलब्ध कर लाभों के कारण हो सकती है। संसाधनों की ओर, बैंक ऋण में वृद्धि ऊँची रही, वैसे पिछले दो वर्षों की तुलना में उसमें कुछ नरमी थी। बैंक ऋण की मांग का आधार वर्ष 2006-07 के दौरान व्यापक रहा जिसमें समग्र खाद्येतर ऋण में क्रमिक विस्तार का 14 प्रतिशत, 36 प्रतिशत और 24 प्रतिशत क्रमशः कृषि, उद्योग और व्यक्तिगत ऋण क्षेत्रों की ओर

गया। जमीन-जायदाद (रियल इस्टेट) जैसे क्षेत्रों में ऋण की वृद्धि अधिक रही है अलबत्ता कुछ नरमी के साथ। एसेट क्वालिटी बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ने ऋण में अधिक वृद्धि वाले क्षेत्रों के लिए प्रावधानीकरण और जोखिम भार संबंधी अपेक्षाओं को और कड़ा कर दिया है। बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश, उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के अनुपात के रूप में मार्च 2007 के अंत तक और कमहोकर 28.0 प्रतिशत हो गया (25 प्रतिशत के निर्धारित अनुपात के समीप) क्योंकि निवेश में विस्तार निवल मांग और मीयादी देयताओं के विस्तार के अनुरूप नहीं था। निवल विदेशी आस्तियाँ प्रारक्षित मुद्रा का मुख्य संचालक बनी रही और रिजर्व बैंक ने बाजार चलनिधि को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत परिचालनों, बाजार स्थिरीकरण (एमएसएस) योजना के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ जारी करके और नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) के उपयोग के माध्यम से नियंत्रित करना जारी रखा।

11.9 1 अप्रैल 2006 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2007 को 5.9 प्रतिशत हो गई जो वर्ष के दौरान 27 जनवरी 2007 को सबसे अधिक 6.7 प्रतिशत और 15 अप्रैल 2006 को सबसे कम 3.7 प्रतिशत थी। वर्ष 2006-07 के दौरान मांग और पूर्ति दोनों के कारकों से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है। आपूर्ति संबंधी दबाव इसलिए उभरा कि एक तरफ दुनिया भर में कीमते बढ़ीं और दूसरी तरफ देश में भी अनाज तथा तिलहन के पैदावार में मांग-आपूर्ति में अंतर होने के कारण यहाँ खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ गए। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मार्च 2006 के 4.9 - 5.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 में 6.7 - 9.5 प्रतिशत हो गई जो मुख्यतः खाद्य पदार्थों के उच्चतर मूल्यों का प्रभाव बतलाता है। मुद्रास्फीति को कम करने और मुद्रास्फीति संबंधी संभावनाओं को स्थिर करने के लिए रिजर्व बैंक

ने विभिन्न उपायों का लचीलेपन के साथ प्रयोग करते हुए समय से पहले ही प्रतिकारक कार्रवाई करने और मौद्रिक निभाव को धीरे-धीरे हटाने की अपनी नीति जारी रखी। वर्ष 2004 की दूसरी छमाही से 2007 के अगस्त के मध्य तक रिपो और रिवर्स रिपो दरों में क्रमशः 175 आधार पाइंट और 150 आधार पाइंट तक की वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ नकदी प्रारक्षित अनुपात में 250 आधार पाइंट की वृद्धि हुई है। सरकार ने 2006-07 के अन्तिम भाग में मुद्रास्फीति कम करने के विभिन्न राजकोषीय तथा आपूर्ति संबंधी उपाय किए हैं।

11.10 वर्ष 2006-07 के लिए केंद्र सरकार के अनन्तिम लेखों से राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) नियमावली, 2004 के अंतर्गत राजकोषीय सुधार के पथ पर बने रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। वर्ष 2006-07 (अनन्तिम खाते) में जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और राजस्व घाटा (आरडी) क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत था जो 2005-06 की तुलना में 0.6 पर्सेंटिज प्वाइंट और 0.7 पर्सेंटिज प्वाइंट कम था। इस प्रकार, राजकोषीय सुधार एफआरबीएम नियमावली 2004 के अंतर्गत प्रति वर्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम कमी 0.3 पर्सेंटिज प्वाइंट और 0.5 पर्सेंटिज प्वाइंट से अधिक हो गई जिसके द्वारा वर्ष 2005-06 में लिए गए विराम की आंशिक भरपाई हो गई। इसके अतिरिक्त, 2006-07 के दौरान अनन्तिमखाते एक प्राथमिक (प्राइमरी) सरप्लस दर्शाते हैं, जिससे गैर ऋण रसीदों से कम गैर-ब्याज व्यय के रोके जाने का पता चलता है। वर्ष 1970-71 से (वह अवधि जिसके लिए आँकड़े सुलभता से उपलब्ध हैं) से पहली बार प्राथमिक सरप्लस वर्ष 2004-05 और पुनः वर्ष 2006-07 में दर्ज किए गए। अगर आने वाले वर्षों में ऐसी प्रवृत्ति बनी रही तो इससे पहले ऋण/जीडीपी अनुपात में स्थिरता लाने और फिर कमी करने में मदद मिलेगी। राजस्व में अच्छी वृद्धि से घाटे के सूचकांकों में कमी आई जिससे उन चक्रीय और ढाँचा-

गत कारकों का पता चलता है जिनसे ऊँचा आर्थिक विकास हुआ है और खर्च का प्रबंधन बेहतर हुआ है। कुल टैक्स/जीडीपी अनुपात ने अपनी उड़ान जारी रखी और 2006-07 (प्रोविजनल अकाउंट्स) में 11.5 प्रतिशत पर पहुंचा। खर्च प्रबंधन में गैर-योजना (नॉन-प्लान) खर्चों को कम करने और योजनागत (प्लान) खर्चों को बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया गया। तथापि, पूंजीगत लागत (कैपिटल आउटले) कम बना रहा, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.4 प्रतिशत के आस-पास।

II.11 वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति (संशोधित प्राक्कलन) से पता चलता है कि राज्यों ने राजकोषीय सुधार और समेकन की दिशा में प्रगति की है। वर्ष 2006-07 (संशोधित अनुमान) के दौरान समेकित राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.03 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान कुल सत्रह (17) राज्यों (दिल्ली सहित) में राजस्व अधिशेष दर्ज किया गया। मूल्ययोजित कर (वीएटी) लागू किए जाने की सहायता से राज्यों के अपने कर राजस्व में उछाल और बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की अनुशंसाओं को लागू करने के परिणाम स्वरूप केंद्र की ओर से उच्चतर अंतरण के कारण राजस्व खाते के सुधार में सहायता मिली। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धिराजस्व व्यय में वृद्धि की प्रतिपूर्ति से अधिक थी। यह सकारात्मक प्रवृत्ति तभी बनी रह सकती है जब कुछ समय तक राज्य अपने कर प्रयासों को लगातार बढ़ाते रहें। राज्य सरकारों ने पूंजी परिव्यय, विशेष रूप से शिक्षा, ग्रामीण और मूलभूत संरचना में खर्च बढ़ाए हैं जिसके फलस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से अधिक हो गया। कई राज्य सरकारें बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से दो वर्ष पहले ही सकल राजकोषीय घाटे के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को 3 प्रतिशत से कम करने में सफल हुई हैं। 2006-07 के दौरान उपचय में कुछ कमी के बावजूद राष्ट्रीय लघु बचत कोष के अंतर्गत राज्य सरकारों को

राहत मिलती रही है। अधिकांश राज्य सरकारों ने सरप्लस केश बैलेंस का उच्च स्तर बनाए रखा है। इसके फलस्वरूप, अर्थोपाय अग्रिमों का सहारा कम लिया गया।

II.12 वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय बाजार, विशेषतः मार्च 2007 के दूसरे पखवाड़े में उतार चढ़ाव की घटनाओं को छोड़कर, व्यवस्थित रहा। सरकारी नकदी शेष में पूंजी अंतर्वाह और गतियां चलनिधि स्थिति और एक दिवसीय ब्याज दरों का मुख्य संचालक बनी रहीं। वर्ष के दौरान बाजार के विभिन्न हिस्सों में ब्याज की दरें मोटे तौर पर रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नियंत्रण के पूर्वकृत उपाय किए जाने के अनुरूप विभिन्न सुदृढ़ बनी रही। मुख्य प्रारक्षित मुद्राओं के संबंध में वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय रुपए की विनिमय दर में कुल मिलाकर दुतरफा गतिशीलता बनी रही। वर्ष 2006-07 के दौरान स्टॉक बाजार में तेजी रही और बीच-बीच में सुधारों के साथ इसके आधार सूचकों ने रिकॉर्ड ऊँचाइयां छुईं। पूंजी बाजार के प्राथमिक घटक में भी तेजी की स्थिति देखी गई।

II.13 वर्ष 2006-07 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन में कई सकारात्मक विशेषताएं दिखाई देती हैं। 2006-07 के दौरान व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार में अत्यधिक वृद्धि दिखती है, हालांकि 2005-06 की मजबूत वृद्धि की तुलना में गति कुछ धीमी हो गई थी। डीजीसीआइ एण्ड एस आंकड़ों के आधार पर, 2006-07 के दौरान व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात और आयात का विस्तार क्रमशः 22.5 प्रतिशत और 27.8 प्रतिशत हुआ है, जो 2002-03 में शुरू हुए उच्च वृद्धि चरण से निर्मित हुआ है। वर्ष 2006-07 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि के दौरान निर्यात और आयात में औसत वृद्धि क्रमशः 23.6 प्रतिशत और 30.2 प्रतिशत हुई है। आयात में 2006-07 में तेल का आयात सबसे बड़ा घटक रहा है (कुल आयात का 29.9 प्रतिशत)। 2006-07 के दौरान तेल आयात में वृद्धि मात्रा और

मूल्य परिवर्तन के कारण हुई है। गैर-तेल आयात ने आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप मजबूत वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ रहे जुड़ाव को दर्शाते हुए, 2001-02 में आयात तीव्रता (आयात - जीडीपी अनुपात) वर्ष 2005-06 के 18.5 प्रतिशत से बढ़ कर 2006-07 में 20.9 प्रतिशत हो गई। निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ता ही गया जो कि भुगतान संतुलन आधार पर 2002-03 के 10.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2006-07 में 64.9 बिलियन डॉलर हो गया। व्यापार घाटा, जीडीपी की प्रतिशत के रूप में 2002-03 के 2.1 प्रतिशत से बढ़ कर 2006-07 में 7.1 प्रतिशत हो गया। तथापि, सॉफ्टवेयर और अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में हुई अच्छी वृद्धि तथा विदेश स्थित भारतीयों द्वारा भेजे गए प्रेषणों के कारण चालू खाते पर बढ़े हुए व्यापार घाटे का प्रभाव संभल गया। सकल अदृश्य प्राप्तियाँ तेजी से व्यापारिक निर्यात के स्तर की बराबरी पर आ रही हैं। अगोचर (इनविजिबल्स) के अंतर्गत निवल अधिशेष (नेट सरप्लस) 2006-07 के दौरान जीडीपी का 6 प्रतिशत है जो व्यापार घाटे के एक बड़े भाग को पूरा करता है। 2006-07 के दौरान जीडीपी का 1.1 प्रतिशत चालू खाता घाटा 2005-06 में हुए घाटे के समान था।

II.14 भारत में विशुद्ध पूंजी आगमन 45 बिलियन अमरीकी डॉलर अथवा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहा जो कि चालू खाता घाटे से बहुत अधिक है। उच्चतर पूंजी प्रवाह समष्टि आर्थिक मूलभूत संरचना की मजबूती, निवेशकर्ताओं के अत्यधिक विश्वास तथा पर्याप्त वैश्विक चलनिधि के कारण है। 2006-07 के दौरान ऋण और ऋण से इतर प्रवाह में वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह ने मजबूत दु तरफा आवाजाही दर्शाया। भारत में विशुद्ध एफडीआई आगमन 2005-06 के दौरान 7.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ कर 2006-07 के दौरान 19.4 अमरीकी बिलियन डॉलर हो गया, जबकि निवल एफडीआई का गमन 2.9

बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ कर 11.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। इस प्रकार वर्ष 2006-07 के दौरान एफडीआई आगमन (नेट) (8.4 बिलियन) विदेशी संस्थागत निवेशक अंतर्वाह (नेट) (3.2 बिलियन) से अधिक हो गया। 25 बिलियन के ऋण प्रवाह (नेट) में बाह्य वाणिज्य उधारों (ईसीबी) की मुख्य भूमिका रही जो क्षमता विस्तार की तीव्रतर इच्छा, उभरते हुए बाजार बॉण्डों के लिए जोखिम उठाने के वैश्विक निवेशकर्ताओं की बढ़ती प्रवृत्ति, तथा नीतियों के ढाँचे में अधिक उदारीकरण दर्शाता है। चालू खाते घाटे के वित्तपोषण के बाद निवल पूंजी प्रवाह से 36.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का उपचय हुआ जिसमें 2006-07 के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में मूल्यांकन परिवर्तन सम्मिलित नहीं हैं। जबकि 2006-07 के दौरान बाह्य ऋण के स्टॉक में वृद्धि हुई है, देश की निवल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कमी आई है, जो विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है।

II.15 हालांकि चालू खाते का घाटा 1990 के आरंभ से जीडीपीके 1 प्रतिशत औसत पर कम रहा है, इस अवधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के समेकन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह चालू प्राप्तियों - जीडीपी के अनुपात में तीव्र वृद्धि से देखा जा सकता है जो 1990-91 में लगभग 8 प्रतिशत से बढ़ कर 2006-07 में 27 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान, चालू प्राप्तियों और चालू भुगतान का जोड़ 19 प्रतिशत से बढ़ कर 55 प्रतिशत हो गया। 2006-07 में सकल पूंजी प्रवाह और बाह्य प्रवाह जीडीपी का 45 प्रतिशत था जो 1990-91 में 12 प्रतिशत था।

II.16 निष्कर्ष रूप में, 2006-07 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वृद्धि दर्शाई है जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र गतिविधियों के कारण है तथा 2003-04 से शुरू होने वाली उच्चतर वृद्धि के वर्तमान चरण को आगे बढ़ाया है। तथापि, कृषि उत्पादन में वृद्धि कम हुई है जो प्रमुख खाद्यान्नों के उत्पादन में ठहराव से हुआ है। वर्ष

2006-07 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तेजी चक्रीय और मूलभूत संरचना, दोनों घटकों के कारण हुई है। निवेश और घरेलू बचत दरों में वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार और पूंजी दोनों खातों में बढ़ता हुआ संपर्क तथा उत्पादनशीलता में वृद्धि में कुछ सुधार के संकेत ऐसे महत्वपूर्ण मूलभूत परिवर्तन हैं जिनसे हाल के वर्षों में आर्थिक गतिविधि को बल मिला है। कई चक्रीय कारणों से भी घरेलू वृद्धि में तेजी आई है। इनमें (i) लगातार चौथे वर्ष वैश्विक जीडीपी में अत्यधिक वृद्धि; (ii) बैंक ऋण और मुद्रा आपूर्ति में लगातार वृद्धि; (iii) तेल से इतर आयात में तेजी तथा हाल के वर्षों में व्यापार घाटे में वृद्धि सम्मिलित हैं। निर्मित माल के मूल्यों में लगातार वृद्धि, कार्पोरेट क्षेत्र में मूल्य निर्धारण की शक्ति का फिर से उभरना, कुछ क्षेत्रों में मजदूरी दबाव का संकेत, क्षमता उपयोगिता का उच्च स्तर और बढ़े हुए आस्ति मूल्यों में चक्रीय बल भी दिखाई पड़े।

2007-08 की संभावनाएं

11.17 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अद्यतन अनुमान के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी मानसून ऋतु (जून-सितंबर) में +/- 4 प्रतिशत की प्रतिदर्श चूक की संभावना के साथ सामान्य बरसात के 93 प्रतिशत तक होने की संभावना है। इस मौसम में अब तक (08 अगस्त, 2007 तक) हुई कुल बारिश सामान्य से 7 प्रतिशत ऊपर रही है, यद्यपि काल और स्थान के हिसाब से इसमें असमानता रही है। 02 अगस्त 2007 तक 78 बड़े जलाशय पूर्ण जलाशय स्तर (एफएलआर) के 54 प्रतिशत तक भर चुके थे; यह पिछले वर्ष के 47 प्रतिशत के स्तर से अधिक रहने के साथ ही पिछले दस वर्षों के 36 प्रतिशत के औसत से भी अधिक रहा। खरीफ फसल की बुआई में वृद्धि हो रही है और 3 अगस्त 2007 तक 78.6 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी (पिछले वर्ष से लगभग 4.2 प्रतिशत अधिक)।

11.18 विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) गतिविधियों के कारण अप्रैल-जून 2007 में औद्योगिक उत्पादन में तेजी बनी रही। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की 11.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ ही अप्रैल-जून 2007 में औद्योगिक उत्पादन में 11.0 प्रतिशत (पिछले वर्ष 10.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यदि उपयोग आधारित वर्गीकरण के आधार पर देखें तो मूल, पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में त्वरित वृद्धि दिखी। हालांकि, मध्यस्थ वस्तुओं के विकास में गिरावट दर्ज की गई। आधारभूत (इंफ्रास्ट्रक्चर) उद्योगों की विकास दर अप्रैल-जून 2006 के 7.4 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-जून 2007 में 6.9 प्रतिशत रही।

11.19 सेवा क्षेत्र कार्यनिष्पादन के मुख्य संकेतकों पर उपलब्ध सूचना मिली-जुली तस्वीर पेश करती है। अप्रैल/जून 2007 में पर्यटकों के आगमन, रेलवे की माल ढुलाई से राजस्व प्राप्ति, सेल फोन के नए कनेक्शन, नागरिक उड्डयन द्वारा निर्यात माल का निपटान, नागरिक उड्डयन द्वारा हैंडल किए गए यात्री, सीमेंट, स्टील तथा बैंकिंग समुच्चयों (एग्रीगेट्स) में कमी हुई है। वहीं बड़े बंदरगाहों (पोर्ट), द्वारा हैंडल किए गए कार्गो और नागरिक उड्डयन द्वारा हैंडल किए गए आयात कार्गो का निपटान पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया।

11.20 अमरीकी अर्थव्यवस्था में चल रही कमजोरी के बावजूद 2007 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में मजबूती बनी रही। अमेरिका को छोड़कर अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हुई सुदृढ़ वृद्धि ने वैश्विक विकास को समर्थन प्रदान किया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुमान (जुलाई 2007 में जारी) के अनुसार वैश्विक विकास दर 2006 के 5.5 प्रतिशत से कम होकर 2007 तथा 2008 में 5.2 प्रतिशत रहने की संभावना है। विश्व व्यापार की मात्रा की वृद्धि भी 2006 के 9.4 प्रतिशत से कम होकर 2007 में 7.1 प्रतिशत तथा 2008 में 7.4 प्रतिशत रहने की संभावना है।

II.21 2003 से तेज गति से हो रहे वैश्विक विकास और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ हो रहे भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण से निर्यात मांग में और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। संरक्षणवादी दबावों के उभरने, तेल की कीमतों में और वृद्धि होने, अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के बने रहने, आवासीय क्षेत्र में धीमेपन के कारण अमरीका में समायोजन तथा वित्त बाजार की परिस्थितियों में संभाव्य अंतरण वैश्विक विकास परिदृश्य में गिरावट के जोखिम पैदा करते हैं यदि ये जोखिम मूर्त रूप ले लेते हैं तो घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेषतः, वैश्विक वित्तीय बाजार में उथल-पुथल हो सकती है और भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। अमेरिका में उप-मुख्य बंधक क्षेत्र की स्थितियों में आई गिरावट समायोज्य-दर ऋणों की चूक में वृद्धि में दिखाई देती है। उप-प्रधान चूकों में और गिरावट होने पर निवेशक सभी उत्पाद और बाजारों में जोखिम पुनर्मूल्यांकन के लिए विवश हो सकते हैं और संक्रामक स्थिति तथा भेड़चाल की मानसिकता में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में से पूंजी के हटने की शुरुआत हो सकती है। विदेशी प्रवाह की मात्रा में प्रतिरक्षा निधि जैसे खिलाड़ियों के बढ़ते प्रभुत्व से पूंजी प्रवाह में उथल-पुथल बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त, ईएमई की ओर पूंजी प्रवाह के प्रमुख स्रोत के रूप में निजी ईक्विटी निधियां उभर रही हैं। ये प्रवाह ब्याज दर परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यदि मौद्रिक कड़ाई की जाती है और निवेशक जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो वैश्विक वित्तीय बाजार में तीव्र उथल-पुथल होने की संभावना है और इससे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के विकास और स्थायित्व पर प्रभाव पड़ेगा।

II.22 03 अगस्त 2007 को मुद्रा आपूर्ति में हुआ (वर्ष-दर-वर्ष) विस्तार (21.7 प्रतिशत) पिछले वर्ष (19.3 प्रतिशत) से अधिक रहा तथा यह वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में निर्दिष्ट 17.0-17.5 प्रतिशत के संकेतिक

अनुमान से भी अधिक रहा। मीयादी जमा के नेतृत्व में कुल जमा की वृद्धि में तेजी आई। बैंक ऋण में पिछले तीन वर्ष की सुदृढ़ तेजी के बाद कुछ मंदी दिखी। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3 अगस्त 2007 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष के 32.5 प्रतिशत की तुलना में 23.6 प्रतिशत रहा। एसएलआर प्रतिभूतियों में वाणिज्य बैंकों का निवेश उनकी निवल और मांग देयताओं के 28.6 प्रतिशत के स्तर पर रहा जो मार्च 2007 के अंत के प्रतिशत से कुछ अधिक रहा पर पिछले वर्ष के 31.1 प्रतिशत से कम रहा। 10 अगस्त 2007 को आरक्षित मुद्रा में 26.9 प्रतिशत (सीआरआर वृद्धि के प्रथम चरण के प्रभाव के समायोजन के लिए 19.6 प्रतिशत) की वृद्धि पिछले वर्ष (17.2 प्रतिशत) से अधिक थी और प्रवृत्ति वृद्धि (ट्रेंड ग्रोथ) से तो बहुत ही ज्यादा, मुख्यतः इसलिए कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धियों के कारण पिछले एक वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक में बैंकों की जमाराशियों में काफी बढ़ोत्तरी हुई और इसमें रिजर्व बैंक निवल विदेशी आस्तियों में हुई वृद्धि का सहयोग मिला।

II.23 थोक मूल्य संचकांक (डब्ल्यूपीआई) की गतिविधि पर आधारित हेडलाइन इनफ्लेशन मार्च 2007 के अंत के 5.9 प्रतिशत तथा पिछले वर्ष के 5.1 प्रतिशत से कम होकर 4 अगस्त 2007 को 4.1 प्रतिशत हुआ। डब्ल्यूपीआई के तीनों उप-समूहों की मुद्रास्फीति उनके मार्च समाप्ति के स्तर से कम रही। ईंधन समूह मुद्रास्फीति नकारात्मक हो गई (-2.1 प्रतिशत) जो नवंबर 2006 तथा फरवरी 2007 में घरेलू कीमतों में आई गिरावट को दर्शाती है। तथापि, घरेलू बाजार में जब अंतिम बार कमी की गई तबसे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों (औसत) में फरवरी 2007 से जुलाई 2007 तक 28 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। खाद्य और धातुओं के नेतृत्व में तेल से इतर वैश्विक पण्यों की कीमतों में मजबूती बनी रही। मार्च 2007 (6.7 - 9.5 प्रतिशत) की तुलना में जून 2007 (5.7 - 7.8 प्रतिशत) में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

की विभिन्न गतिविधियां नीचे रहीं। तथापि, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मुख्यतः खाद्यान्नों की ऊंची कीमत के चलते थोक मूल्य मुद्रास्फीति से अधिक रही। यद्यपि, मार्च 2007 की समाप्ति के बाद मुद्रास्फीति कुछ कम हुई है मगर कई संभाव्य कारणों से मुद्रास्फीति दबाव बने रह सकते हैं। पण्यों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, विशेषतः तेल की कीमतों में और तेजी आने के बारे में चिंता बनी हुई है। इसके अलावा, मौद्रिक राशि में सुदृढ़ वृद्धि, आस्तियों के उच्चतर मूल्य और घरेलू चलनिधि परिस्थितियों पर प्रभाव डाल सकने वाले बड़े पूंजी आगम जैसे घरेलू कारकों से उत्पन्न होने वाले संभाव्य मुद्रास्फीतिकारी दबावों को समझने की आवश्यकता है। तदनुसार, मूल्य स्थायित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सभी संबंधित पक्ष समुचित नीतिगत कारवाइयों के साथ-साथ निरंतर निगरानी रखें ताकि मुद्रास्फीतिजन्य प्रत्याशाओं पर नियंत्रण कायम रखा जा सके।

11.24 मौद्रिक नीति के प्रयोजनों से रिजर्व बैंक ने अपने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में 2007-08 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत के आसपास मानी है, मगर इसमें यह मानकर चला गया है कि तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि नहीं होगी और कोई घरेलू या बाह्य आघात नहीं लगेगा। कुल मांग पर मौद्रिक नीति के पिछले और संचित प्रभाव के मद्देनजर और यह मानते हुए कि आपूर्ति प्रबंधन सुगम रहेगा, पूंजीगत प्रवाह का प्रबंधन सक्रिय ढंग से किया जाएगा तथा घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होने वाले आघात न लगने की स्थिति में रिजर्व बैंक ने अपने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह ध्यान दिया है कि 2007-08 में मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत के आसपास रखने के लिए नीतिगत प्रयास किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के अपने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की पहली तिमाही की समीक्षा में जुलाई 2007 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 8.5 प्रतिशत के आसपास रखा है। इसमें घरेलू और बाह्य आघातों को

शामिल नहीं किया गया है। यह मानते हुए कि सकल आपूर्ति प्रबंधन पर सरकार की नीतियों में ध्यान दिया जाना जारी रहेगा और पूंजीगत खाता में सक्रिय प्रबंधन देखने में आएगा, 2007-08 की पहली तिमाही समीक्षा में मुद्रास्फीति की संभावना अपरिवर्तित रही। तदनुसार, समीक्षा में यह भी बताया गया कि नीतिगत पदसोपान में 2007-08 में हेडलाइन इनफ्लेशन को 5.0 प्रतिशत के अंदर रखने को पहली प्राथमिकता दी जाएगी; जबकि मुद्रास्फीति को घटाकर लगातार 4.0 - 4.5 प्रतिशत पर बनाए रखने की दृष्टि से नीति व अवधारणों को शकल देने के मध्यावधि उद्देश्यों पर जोर बनाए रखा जाएगा।

11.25 जैसा कि वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में देखा गया है उसी के अनुसार 2007-08 में मौद्रिक नीति का रुझान उस स्थिति पर निर्भर करेगा जिसके हिसाब से वैश्विक और विशेषतः घरेलू माहौल उभरेगा। जिस ढंग से समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय परिस्थितियां उभर रहीं हैं उसके हिसाब से भारत के वर्तमान वृद्धि स्तर को अनवरत आधार पर बनाए रखने के लिए समर्थक माहौल बना रहेगा। विकास में योगदान देने के साथ ही मौद्रिक नीति को कीमत और वित्तीय स्थायित्व के लिए सही परिस्थितियां भी सुनिश्चित करनी होगी। तदनुसार, आगे आने वाले समय में नीतिगत अधिमानता हेतु मूल्य स्थायित्व तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं से निपटने पर प्राथमिकता देने की वकालत की गई। रिजर्व बैंक ने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की जुलाई 2007 में हुई अपनी पहली तिमाही समीक्षा में यह कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था की वृद्धि तथा स्थायित्व के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली उन वैश्विक अनिश्चितताओं की प्रबलता की स्थिति में भारत में मौद्रिक नीति को सतर्क और सक्रिय रहना होगा। घरेलू संभावनाएं सकारात्मक रहेंगी और आगे आने वाले समय में मौद्रिक नीति तैयार करने में इनका प्रमुख स्थान होगा। इसलिए ऐसी मौद्रिक नीति बनाना महत्वपूर्ण है जो स्थायित्व बनाए रखकर विकास को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे। तदनुसार जहां एक ओर मूल्य स्थायित्व और सुस्थिर मुद्रास्फीतिकारी

संभावनाएं जिसके द्वारा विकास की रफ्तार जारी रहे, पर जोर देने का मौद्रिक नीति का रुझान बरकरार रहेगा वहीं परिस्थितियों के अनुसार आगे आने वाले महीनों में वित्तीय स्थैर्य अधिक महत्व हासिल कर सकता है।

11.26 केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही 2007-08 में वित्तीय समेकन की प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। 2007-08 में केंद्र सरकार का राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे का बजट सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.5 प्रतिशत तथा 3.3 प्रतिशत रहा जो 2006-07 (संशोधित अनुमान) से क्रमशः 0.5 प्रतिशत बिंदु तथा 0.4 प्रतिशत बिंदु कम रहा। 2007-08 (अप्रैल-जून 2007) की उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि राजस्व घाटे में 2.9 प्रतिशत की गिरावट हुई। राजकोषीय घाटा [‘भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के स्टेक (35,531 करोड़ रुपए) के अधिग्रहण’ पर हुए व्यय के लिए समायोजित] में भी वर्ष 2006 की उसी अवधि की तुलना में 1.1 प्रतिशत तक कमी हुई। घाटा संकेतकों में कमी मुख्यतः उच्च कर राजस्व और ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों के कारण आई। तथापि पूरे वर्ष के बजट अनुमानों (बीई) के प्रतिशत के रूप में अप्रैल-जून 2007 में राजस्व घाटा पिछले वर्ष के 83.4 प्रतिशत से बढ़कर 96.0 प्रतिशत हो गया जबकि सकल राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की उसी अवधि के 52.3 प्रतिशत से घटकर 50.9 प्रतिशत हो गया। 2007-08 (10 अगस्त 2007 तक) में कुल और निवल बाजार उधार क्रमशः 96,628 करोड़ रुपए तथा 56,047 करोड़ रुपए रहा। सकल और निवल उधार वर्ष भर के अनुमानों के क्रमशः 51.5 प्रतिशत तथा 50.6 प्रतिशत के स्तर पर रहे जबकि पिछले वर्ष ये क्रमशः 47.2 प्रतिशत तथा 39.3 प्रतिशत के स्तर पर थे। 2007-08 (10 अगस्त 2007 तक) में जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता अवधि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के 14.32 वर्ष की तुलना में कम होकर 13.21 वर्ष रह गई, जबकि औसत भारित प्रतिफल 7.87 प्रतिशत से बढ़कर 8.23 प्रतिशत हो गया।

11.27 राज्य सरकारों ने वर्ष 2007-08 के दौरान राजस्व अधिशेष का बजट तैयार किया है जिससे सकल राजकोषीय घाटा सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2006-07 के 2.8 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत पर आ जाएगा। राजस्व खाते के अधिशेष से भी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के अनुरूप सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी वितरण बढ़ाना संभव हो सकेगा। राजस्व में वृद्धि और योजनेतर राजस्व व्यय के नियंत्रण को लक्ष्य में रखकर राजकोषीय सुधारों के अंगीकरण ने बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले हासिल करने में कई राज्य सरकारों को सहायता मिली है। सिवाय आठ राज्यों के, सभी राज्यों ने बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से एक वर्ष पहले ही 2007-08 में राजस्व अधिशेष के अनुमान लगाए हैं। इसके अलावा, लक्ष्य से दो वर्ष पहले 12 राज्यों (पांच विशेष श्रेणी वाले और सात विशेषेतर श्रेणी वाले) ने घाटे का बजट बनाया है जो कि अपने-अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से कम है। पिछले वर्ष राजस्व प्राप्तियों और व्यय दोनों में ही तेज वृद्धि के बाद राज्य सरकारों ने वर्ष 2007-08 के दौरान गति में धीमापन लाने का बजट बनाया है। एनएसएसएफ में उपचय सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत बने रहेंगे। तथापि, केंद्रीय बजट 2007-08 में की गई घोषणा के अनुसार एन एस एस एफ में राज्य सरकारों के बाध्यकारी हिस्से के घटकर 80 प्रतिशत पर आ जाने से उनका हिस्सा घट जाएगा। राज्य सरकारों ने 2007-08 के दौरान नकदी अधिशेष का उच्च स्तर सतत बनाए रखा जोकि खजाना बिलों में उनके निवेश में परिलक्षित है।

11.28 वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक वित्तीय बाजार सामान्यतः व्यवस्थित रहे। अल्पावधि ब्याज दरें मार्च 2007 की समाप्ति के स्तरों से कम हो गई हैं। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो परिचालनों के माध्यम से अवशोषित चलनिधि की राशि 5 मार्च 2007 से संशोधित व्यवस्था के अनुसार अधिकतम 3000 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक सीमित कर दी गई थी।

एक दिवसीय ब्याज दरों में सतत अस्थिरता बनी रही जो चलनिधि स्थितियों में पूंजी प्रवाहों और सरकारी नकद शेषों में उतार-चढ़ाव का असर दर्शाता है। तदनंतर, मौजूद समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक एवं चलनिधि स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में 2007-08 के लिए मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा में चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत दैनिक रिवर्स रिपो परिचालनों के संबंध में आहरणों पर लगाई गई 3,000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा हटाने और द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा 6 अगस्त 2007 से समाप्त करने की घोषणा की गई। अगस्त 2007 के दूसरे सप्ताह से मांग दरें लौटकर रिवर्स रिपो-रिपो कॉरिडोर के भीतर आ गई। दीर्घावधि सरकारी बांड के प्रतिलाभ और बैंकों की जमाराशियों की और उधार देने की दरें कठोर हो गई। अमरीकी डालर और अन्य प्रमुख करेंसियों की तुलना में भारतीय रुपया मार्च 2007 के अंत की अपनी स्थिति से मई तक बढ़ा परंतु उसके बाद घटा। 2007-08 के दौरान अब तक शेयर बाजारों ने लाभ दर्ज किया जब कि अगस्त 2007 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में बाजार अस्थिर हो गए जिसकी मुख्य वजह अमेरिका के सब-प्राइम मॉर्गेज मार्केट में आई समस्या थी।

11.29 अप्रैल-जून 2007 के दौरान व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात कम हुआ जबकि इसी अवधि में निर्यात ने उच्चतर वृद्धि दर्ज की जो पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में अधिक थी। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार अप्रैल-जून 2007 के दौरान व्यापारिक माल का निर्यात 17.9 प्रतिशत तक बढ़ा (एक वर्ष पहले यह 23.5 प्रतिशत था)। आयातों में 34.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई (18.9 प्रतिशत) और इसमें तेल से इतर आयात अग्रणी रहे (8.9 प्रतिशत की तुलना में 47.4 प्रतिशत की वृद्धि)। तेल आयात की वृद्धि में नरमी आई जो मुख्यतः कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव को दर्शाती है। व्यापार घाटा अप्रैल-जून 2006 के 11.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-जून 2007 में 20.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत के निर्यातों में

साफ्टवेयर सेवाओं और आईटीईएस-बीपीओ तथा अन्य कारोबार सेवाओं के निर्यात की वृद्धि की गति सतत सुदृढ़ बनी रही। भारतीय प्रवासी कामगारों के निरंतर उच्चतर कौशल श्रेणियों की ओर जाने के साथ विदेश में काम करने वाले भारतीयों से आने वाले विप्रेषण भी वित्तीय अंतर्वाहों का एक महत्वपूर्ण स्थायी स्रोत बने हुए हैं।

11.30 पूंजी अंतर्वाह 2007-08 में अब तक 2006-07 की तदनुसूची अवधि की तुलना में अधिक रहे हैं। इनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों से होनेवाले अंतर्वाहों (निवल) में ध्यान देने योग्य बदला हुआ रुख दिखाई दिया [एक वर्ष पहले के 1.5 बिलियन अमरीकी डालर के बहिर्वाहों के ठीक विपरीत 2007-08 (10 अगस्त 2007 तक) में 10.1 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि]। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रैल-मई 2007 में 3.7 बिलियन अमरीकी डालर रहे थे (अप्रैल-मई 2006 में 1.2 बिलियन अमरीकी डालर)। तथापि, अनिवासी भारतीय जमाराशियों के अंतर्गत अप्रैल-मई 2007 में निवल बहिर्वाह 0.6 बिलियन अमरीकी डालर थे जबकि एक वर्ष पहले इसकी जगह 0.7 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह था। मार्च 2007 के अंत से लेकर 17 अगस्त 2007 के बीच विदेशी मुद्रा भंडार में 27.3 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। आशा की जाती है कि वर्ष 2007-08 में समग्र व्यापार और चालू खाता घाटा 2006-07 के स्तर पर ही रहेगा। आशा की जाती है कि निवल पूंजी प्रवाहों द्वारा वर्ष 2007-08 में चालू खाते के प्रत्याशित घाटे का वित्त पोषण पर्याप्त रूप से किया जाएगा।

11.31 निष्कर्षतः, अब तक उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि वर्ष 2007-08 के दौरान वृद्धि की गति का कदम जो मजबूत है, वृद्धि के संकेतों का और भी ज्यादा व्यापक आधारपाकर निरंतर बढ़ता रहेगा। आशा की जाती है कि सकल देशी बचतों और निवेश की दर में लगातार वृद्धि, उपभोग मांग, नई क्षमताओं के योग और मौजूदा क्षमताओं के और गहन तथा दक्ष उपयोग/ भरपूर फायदा उठाने से वर्ष 2007-08 के दौरान विकास को बल मिलेगा। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों के बावजूद कुछ कमियां बनी रहें जिसके

परिणाम स्वरूप विद्युत उत्पादन, सड़क, बंदरगाह और प्रमुख हवाई अड्डों में क्षमता उपयोग पर जोर पड़ा। कृषि निष्पादन और भौतिक एवं सामाजिक ढांचे से उत्पन्न आपूर्ति विषयक बाधाओं से भावी वृद्धि बाधित हो सकती है और साथ ही स्फीतिकारी दबाव भी डाल सकती है। मांग-आपूर्ति के ऐसे असंतुलित वातावरण में मुद्रास्फीति उभरती समष्टि आर्थिक संभावनाओं के प्रति एक महत्वपूर्ण अधोगामी जोखिम के रूप में उभर सकती है। मुद्रा स्फीति को कम करने और स्फीतिकारी प्रत्याशाओं में स्थिरता लाने की दिशा में हाल की उपलब्धियों से वृद्धि चक्र के मौजूदा विस्तारकारी चरण को सहयोग मिलने की आशा है। तथापि, यह जरूरी है कि कच्चे तेल के ऊंचे और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय मूल्यों, मुख्य खाद्यान्नों के मूल्यों में लगातार तेजी और वैश्विक स्तर पर तथा भारत में बढ़ रहे मांग-आपूर्ति अंतरों से संबंधित अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति संभावनाओं के प्रति जोखिमों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है।

11.32 एक समावेशी वृद्धि की गति जारी रखने लायक माहौल बनाने में वित्तीय असंतुलनों के जोखिमों और स्फीतिकारी दबावों के फिर से पैदा होने से बचने के लिए सटीक समष्टि आर्थिक नीतियां लागू करनी होंगी। इस संबंध में, नीति में अग्रलिखित को प्राथमिकताएं देनी होंगी (क) बुनियादी ढांचे के मार्ग में आनेवाली बाधाओं का निवारण; (ख) निवेश वातावरण सुधारना, विशेषरूप से देशी निवेशकों के लिए और खासकर लघु और मध्यम उद्यमों के लिए; (ग) कृषि की वृद्धि बढ़ाना, विशेषकर खाद्यान्नों का उत्पादन ताकि खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित की जा सके; (घ) संस्थागत और लघु ढांचागत वातावरण सुदृढ़ बनाना जो लचीलापन विशेषकर अर्थव्यवस्था में आपूर्ति संबंधी लचीलापन बढ़ाए और (ङ) राजकोषीय शक्तिवर्धन जो एक समान कर ढांचे के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और साफ-सफाई के प्रावधान पर जोर दे। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय और बाह्य क्षेत्रों में और उदारीकरण का बाधाहित और

इष्टतम मार्ग प्रशस्त हो। वास्तव में, इन महत्वपूर्ण तत्वों में प्रगति से असमंजस की स्थितियां हल करने में सहायता मिलेगी जो हमें रुपये की भारी चलनिधि और विदेशी मुद्रा के अधिक पूंजी प्रवाहों के कारण 2006-07 में झेलनी पड़ी थी।

संपदा क्षेत्र

कृषि

11.33 प्रमुख खाद्य वस्तुओं की हाल में बढ़ती हुई वैश्विक कीमतों ने घरेलू कृषि क्षेत्र और समग्र रूप से समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। जुलाई 2007 में विश्व स्तर पर गेहूँ की कीमतें कैलेण्डर वर्ष 2004 के दौरान चल रही औसत कीमतों से 52 प्रतिशत अधिक थीं जबकि चावल की कीमतें 38 प्रतिशत अधिक थीं। प्रमुख खाद्य तेलों की कीमतों में उसी अवधि के दौरान 44 से 71 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। खाद्य तेल आयातों पर अधिकतर निर्भरता की दृष्टि से (घरेलू उपभोग का लगभग 45 प्रतिशत) तिलहनों से मोटे अनाजों विशेषतः मक्का के प्रति जैसा कि पूर्व में संकेत किया गया है, जैव-इंधन आपूर्ति भंडार के रूप में खेती की ओर झुकाव के साथ उच्चतर अंतरराष्ट्रीय कीमतें खाद्य तेलों की कीमतों पर दबाव को पुनः तेज कर सकती हैं। वर्ष 2006 की दूसरी छमाही से आवश्यक सुधार होते हुए भी चीनी की कीमतें भी 42 प्रतिशत अधिक बढ़ गईं। वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि, वैश्विक उत्पादन में कमी और जैव-इंधनों जैसे खाद्येतर उपयोगों के लिए बढ़ती हुई माँग के रूप में प्रतिबिम्बित हुई। अमरीकी कृषि विभाग (यू एस डी ए) के अद्यतन आकलन के अनुसार, वैश्विक वानस्पतिक तेल भंडार में वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 12 प्रतिशत तथा वर्ष 2007-08 के दौरान अतिरिक्त 9 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। यद्यपि वैश्विक स्तर पर गेहूँ के उत्पादन में वर्ष 2007-08 (जून-मई) में 2.9 प्रतिशत तक वृद्धि की आशा है, वैश्विक गेहूँ भंडार में वर्ष 2007-08 में 114.8 मिलियन टन तक और

गिरावट होने की संभावना है जो वर्ष 1981-82 से अब तक का न्यूनतम होगा। इसके अतिरिक्त, प्राप्त सूचना के अनुसार तिलहनों के अलावा गेहूँ को भी जैव-ईंधन के रूप में काम में लाया जा रहा है। चावल भंडार में भी वर्ष 2007-08 में 5 प्रतिशत तक कमी होने की आशा है। प्रमुख खाद्य कीमतों में जारी वृद्धि को प्रतिबिम्बित करते हुए खाद्य मूल्य सूचकांक (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संकलित) जून 2007 में 26 वर्षों के उच्च स्तर तक पहुँचा जो वर्ष 1981 के प्रारंभ से उच्चतम स्तर है। वैश्विक खाद्य मूल्यों में बढ़ोतरी की इस प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में भारतीय कृषि, विशेषतः खाद्यान्न फसलों में वृद्धि को गतिशील बनाने के लिए अत्यावश्यक उपाय करने की आवश्यकता है।

II.34 समग्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि के हिस्से में यद्यपि इन वर्षों के दौरान वर्ष 1980-81 के लगभग 40 प्रतिशत से वर्ष 2006-07 में इसके पाँचवें हिस्से से कम तक गिरावट हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई। कृषि पर आधारित जनसंख्या का अनुपात अभी भी अधिक (प्रायः 60 प्रतिशत) है। तथापि, वर्ष 1990 के मध्य से कृषि क्षेत्र का विकास कम होने के साथ-साथ उतार-चढ़ाव भरा रहा है, इसका विकास 1980 के दशक के दौरान प्रतिवर्ष 4.7 प्रतिशत के वार्षिक औसत से कम होकर 1990 के दशक में 3.1 प्रतिशत और पुनः दसवीं योजना अवधि के दौरान कम होकर 2.2 प्रतिशत हो गया है। अन्न का प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादन वर्ष 1991-95 के दौरान 192 किलोग्राम से कम होकर वर्ष 2004-07 के दौरान 174 किलोग्राम हो गया तथा इसी प्रकार उसी अवधि में दालों का उत्पादन प्रति व्यक्ति 15 किलोग्राम से कम होकर 12 किलोग्राम हो गया। इस प्रकार खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होकर 1970 के दशक के स्तरों के निकट पहुँच गई।

II.35 कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव का केवल समग्र विकास पर ही प्रभाव नहीं पड़ा है बल्कि न्यून और स्थिर मुद्रास्फीति बनाए रखने में भी, जैसाकि वर्ष 2006-07 में व्यापक रूप से अनुभव में आया है,

प्रभाव हुआ है। यद्यपि घरेलू खाद्यान्न उत्पादन में वर्ष 2006-07 में 3.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, प्रमुख फसलों का उत्पादन अभी भी पिछली ऊँचाइयों से नीचे है। वर्ष 2006-07 में माँग-आपूर्ति अंतर, घरेलू खाद्यान्न की बढ़ी हुई कीमतों में देखा गया। अंतरराष्ट्रीय कृषि मूल्यों में हाल की बढ़ोतरी माँग और आपूर्ति दोनों के कारकों को दर्शाते हुए मूल्यों में संरचनात्मक वृद्धि की शुरुआत का द्योतक हो सकती है। खाद्य वस्तुओं के लिए माँग-दबाव में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर भारत और चीन में सुदृढ़ विकास और पशु प्रोटीनों की बढ़ती हुई माँग की दृष्टि से और मजबूती आ सकती है। आपूर्ति की ओर से दबाव, वैश्विक उष्णता के प्रति प्रवृत्तियों की तीव्रता के कारण ऊर्जा विकल्प के रूप में जैव-ईंधन के उत्पादन हेतु अनाजों और तिलहनों के वैकल्पिक उपयोग से उत्पन्न हो सकता है। माँग-आपूर्ति के बेमेल होने का और इसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर पड़ने वाला प्रभाव संभवतः औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में भी विषम रूप से बड़ा हो सकता है। पण्य बाजारों की बढ़ती हुई वैश्विक वित्तीयकरण गतिविधियाँ खाद्यान्न मूल्यों को व्यवस्थित करने में सार्वजनिक नीति के लिए अतिरिक्त चुनौती पेश करती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओइसीडी) तथा खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा संयुक्त रूप से हाल के एक आकलन के अनुसार कृषिगत पण्य वस्तुओं की वैश्विक कीमतें अगले दस वर्षों के दौरान अपनी ऐतिहासिक समतुल्य स्तरों से उच्च स्तरों पर कायम रह सकती हैं।

II.36 अतः कृषि क्षेत्र का परिवर्धित विकास, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, मूल्य स्थिरता, समग्र अर्थव्यवस्था के विकास के समग्र सम्मिलित विकास और निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। ग्यारहवीं योजना में प्रति वर्ष 4 प्रतिशत के कृषि विकास की परिकल्पना की गई है। तीव्र, व्यापक तथा समावेशी विकास की ग्यारहवीं योजना की दृष्टि से कृषि में विकास के हास को रोकने को वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट की कार्यसूची में शीर्ष पर रखा गया था।

11.37 1990 के दशक के मध्य से कृषि विकास में कमी का कारण स्थिर/हासशील उपज हो सकती है जो विभिन्न कारकों जैसे कि निवेश में हास, समुचित सिंचाई सुविधा का अभाव, अपर्याप्त अन्य मूलभूत सुविधाओं, अधिक उपज देनेवाले बीजों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास (आर एण्ड टी) में अपर्याप्त ध्यान, प्रमुख प्रौद्योगिकीय सफलताओं के अभाव और उर्वरकों / पोषक तत्वों एवं संस्थागत कमजोरियों के परिणाम के रूप में लक्षित होता है। कृषि में सार्वजनिक निवेश में वर्ष 1976-80 के दौरान कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद 3.4 प्रतिशत था जो कम होकर वर्ष 2005-06 के दौरान 2.6 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि के लिए बजटीय आर्थिक सहायता सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत (1976-80) से बढ़कर सात प्रतिशत (2001-03) हो गई है। बजट बाध्यता को देखते हुए उच्चतर आर्थिक सहायता उच्चतर निवेश की लागत पर उपलब्ध होती है। आर्थिक सहायता जबकि अल्पकालिक लाभ उपलब्ध करा सकती है, वह उन दीर्घकालिक निवेशों में बाधा पहुँचाती है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी लाभ प्रदान कर सकती हैं। आर्थिक सहायता संसाधनों के उपयोग में अक्षमता को भी प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए उर्वरकों के संबंध में आर्थिक सहायता की विद्यमान योजना अन्य पोषक तत्वों की लागत पर नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करती है। भारतीय कृषि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संतुलन दोनों दृष्टिकोण से लगातार अनुपयुक्त होती जा रही है। कुछ फसलों के लिए तीव्र और संकेन्द्रित इनपुट उपयोग के कारण आगे चलकर भूमि के बंजर होने के प्रतिकूल प्रभावों के साथ लवणीयता, जल-जमाव और भूमिगत जल-स्तर में कमी हो रही है। जैसा कि प्रधान मंत्री¹ ने उल्लेख किया है कृषि क्षेत्र का कमजोर कार्यनिष्पादन चार प्रकार की कमियों यथा, सार्वजनिक निवेश और ऋण में कमी,

मूलभूत सुविधा में कमी, बाजार अर्थव्यवस्था में कमी और ज्ञान में कमी के कारण है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 29 मई 2007 को आयोजित अपनी 53 वीं बैठक में कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि विकास रणनीतियों को नया रूख देने का एक संकल्प पारित किया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने केन्द्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत का वार्षिक विकास प्राप्त करने के लिए कृषि के कायाकल्प हेतु एक रणनीति विकसित करें। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार अगले चार वर्षों में कृषि में सार्वजनिक निवेश के लिए 25,000 करोड़ रुपए व्यय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

11.38 प्रमुख खाद्यान्नों के उत्पादन में ठहराव को दखते हुए उपयुक्त कृषि-जलवायु स्थितियों के साथ परंपरागत क्षेत्रों की अपेक्षा वैकल्पिक संभाव्य क्षेत्रों विशेषतः चावल और गेहूँ के मामले में उत्पादन प्रयासों पर पुनः ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों के बीच प्रमुख फसलों के मामले में व्याप्त भारी उपज-अंतरों को समाप्त करने से खाद्यान्नों और दालों के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए बीजों और उर्वरकों की समय पर उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं के प्रावधान तथा ऋण की पर्याप्त उपलब्धता जैसे इनपुटों में तेजी से सुधार की आवश्यकता है।

11.39 चूँकि भारतीय कृषि मानसून पर भारी मात्रा में निर्भर रही है, कृषकों की पानी के लिए बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु सिंचाई की संभावना में वृद्धि तथा कृषि उत्पादन और उपज को स्थिरता प्रदान करने पर अत्यधिक जोर देने की आवश्यकता है। जबकि दसवीं योजना के दौरान संभावित सिंचित क्षेत्र में 8.8 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई थी, यह लक्ष्य का केवल आधा हिस्सा था। तो भी योजना अवधि के दौरान कुछ तो

¹ द्वितीय कृषि शिखर सम्मेलन (अक्टूबर 2006) में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन

योजना की अपेक्षा पानी के अधिक तेजी से उपयोग और कुछ खराब रखरखाव/हास के कारण कुछ विद्यमान सिंचित क्षेत्रप्रणाली के बाहर चले जानेके चलते सिंचित क्षेत्र में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। बड़े पैमाने पर नई सिंचाई परियोजनाओं की घटती हुई संभावना की दृष्टि से जारी परियोजनाओं को पूरा करने और विद्यमान परियोजनाओं के आधुनिकीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने शीघ्रतर संभावित समय में और अधिक सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइबीपी) को नया स्वरूप प्रदान किया है। जल विभाजन विकास और भूमि के उपयोग के अन्य पहलुओं से संबंधित सभी योजनाओं के समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है। चूंकि परिवर्धित परिव्यय के विगत प्रयासों ने विद्यमान क्षमता में वास्तविक वृद्धि की मद में आशाजनक/लक्ष्य के अनुरूप परिणाम नहीं दिए हैं, समय और परिवर्धित लागतों से बचने के लिए जारी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उनकी निगरानी पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है।

11.40 आनेवाले वर्षों में कृषि अनुसंधान पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है क्योंकि अब तक सफलता चुनिंदा फसलों तक ही सीमित रही है। कृषि विश्वविद्यालयों सहित कृषि अनुसंधान प्रणाली के आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण के प्रयास को और तेज करने की आवश्यकता है। वास्तविक और संभावित उपज के बीच बढ़ती हुई असमानता अनुसंधान और विस्तार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर का संकेत देती है। विस्तार प्रणाली को पुर्नजीवित करना अत्यावश्यक है ताकि यह नवीकृत कृषि विकास की उभरती हुई मांग को पूरा कर सके। सार्वजनिक विस्तार प्रणाली को सार्वजनिक और निजी विस्तार प्रयासों के बीच सुदृढ सहक्रियाओं के साथ और अधिक मांग परिचालित होने की जरूरत है। क्षेत्रीय विभिन्नता पर अधिकाधिक आधारित अनुसंधान रणनीति तथा सार्वजनिक और

निजी क्षेत्रों के बीच अधिकतम समन्वय की आवश्यकता है। योजना आयोग के आकलन के अनुसार ग्यारहवीं योजना की समाप्ति तक अनुसंधान पर सार्वजनिक व्यय को कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान में 0.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता होगी।

11.41 मार्केटिंग सुधारों को लाने के लिए सभी राज्यों में कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को आगे लाने की आवश्यकता है। अब तक 15 राज्यों और 5 संघ शासित क्षेत्रों ने अपने कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियमों में संशोधन किए हैं लेकिन कई राज्यों में अभी भी विनियमों को अधिसूचित (नोटिफाइ) किया जाना शेष है। एक समुचित विधायी संरचना की भी जरूरत है जो सहभागी संगठनों के लिए सहायक हो। महत्वपूर्ण मौसम और मूल्य जोखिमों की दृष्टि से समुचित जोखिम हास नीतियों को आपदग्रस्त किसानों को राहत उपलब्ध कराने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए लागू करने की आवश्यकता होगी।

11.42 जहाँ ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रति वर्ष चार प्रतिशत तक कृषि विकास की परिकल्पना की गई है, योजना आयोग के पूर्वानुमान खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रति वर्ष 2.0-2.5 प्रतिशत तक वृद्धि का संकेत करते हैं। इस प्रकार चार प्रतिशत के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्येतर उत्पादन को और अधिक उच्चतर दर से बढ़ना होगा जिसके लिए बागवानी, दुग्ध-उत्पादन, मुर्गी-पालन और मत्स्य-पालन जैसी गतिविधि में भारी विकास करना होगा। इसके लिए 1970 के दशक जैसी हरित क्रान्ति की अपेक्षा होगी। अन्न उत्पादन और दुग्ध उत्पादन में अपेक्षाकृत एक समान प्रकृति की दृष्टि से राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो अपेक्षाकृत सरल क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ देशभर में व्यापक रूप से लागू थे, की रूपरेखा तैयार करना संभव था। तथापि, नई कृषि गतिविधियों के मामले में उत्पाद, विभिन्न प्रकृति के हैं और वे उच्चतर क्षेत्रीय विभिन्नताओं

को भी प्रदर्शित करते हैं। तदनुसार, कई विभिन्न गतिविधियों के लिए विकेन्द्रीकृत और क्षेत्रीय आधार पर भिन्न-भिन्न पैकेजों की आवश्यकता हो सकती है। अंत में, फॉर्म से बाजार-मालगोदामों, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण परिवहन, रेफ्रिजरेटेड ट्रकों और अन्य सेवा मध्यस्थों की आपूर्ति श्रृंखला की जरूरतों को वित्त प्रदान करने के लिए लेन-देन लागतों को कम रखते हुए लागू करने की आवश्यकता होगी।

11.43 सम्मिलित विकास में अन्य बातों के साथ-साथ संस्थागत ऋण की परिवर्धित और आसान उपलब्धि के लिए महत्तम वित्तीय समावेशन की आवश्यकता होती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करते हुए बैंकों और कई राज्य सरकारों के सहयोग से रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किये गये वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को तेज करने और अतिशीघ्र विस्तार प्रदान करने की आवश्यकता है। फॉर्म ऋण संतोषप्रद ढंग से बढ़ता रहा है। फॉर्म ऋण को तीन वर्षों में दुगुना करने का लक्ष्य वर्ष 2004 में शुरू किया गया जो दो वर्षों में प्राप्त हो गया। वैद्यनाथन समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप सहकारिता क्षेत्र में सुधार से कृषि क्षेत्र के लिए लगातार ऋण उपलब्धता में और बढ़ोत्तरी होगी।

11.44 लघु और विखण्डित फॉर्म जोतों की दृष्टि से कृषि गतिविधि और आय पर निर्भर जनसंख्या को भविष्य में कृषितर आय के स्रोतों पर लगातार निर्भर रहना होगा। अतः मुर्गी-पालन खाद्य संसाधन अन्य ग्रामीण उद्योगों जैसी अलग-अलग गतिविधियों की ओर बढ़ना ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। जबकि वर्ष 1990 के दशक के प्रारंभ से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से एकीकरण होता रहा है, देश के भीतर आंतर-क्षेत्रीय एकीकरण में प्रगति की गति को तेज करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्र उच्चतर विकास का लाभ उठा सकें।

अपर्याप्त आंतर-देशीय एकीकरण कहीं पर भी तीव्र आर्थिक विकास से उत्पन्न नए आर्थिक अवसरों तक पहुँच से ग्रामीण जनसंख्या को रोकता है। कृषि उत्पादों के लिए अलग-अलग बाजार, विखण्डित और अलाभप्रद जोतों के समेकन को सुविधा प्रदान करने के लिए जमीन संबंधी बाजारों का लगभग नहीं होना (स्पष्ट स्वत्वाधिकार और भूमि-अभिलेख के अभाव से उत्पन्न), वायर्ड तथा वायरलेस संवाद प्रणाली के माध्यम से बाहरी बाजारों के साथ सहयोजन का अभाव, सभी मौसमों के लिए ग्रामीण सड़कों का अभाव, फल और सब्जी की प्रोसेसिंग में सहायक ग्रामीण मूलभूत सुविधा की अनुपलब्धता, विपणन केन्द्रों तक संरक्षण और परिवहन तथा प्राथमिक शिक्षा और मौलिक स्वास्थ्य सेवाओं में खराब सेवा जैसे विभिन्न कारकों द्वारा बेहतर आंतर-क्षेत्रीय एकीकरण बाधित होता है।

उद्योग और मूलभूत सुविधा

11.45 वर्ष 2002-03 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में उछाल बढ़ती हुई घरेलू और बाहरी माँग के परिणाम स्वरूप वर्ष 2006-07 तक जारी रहा। लगातार जारी विकास से क्षमता के उपयोग में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और इससे उच्चतर निवेश गतिविधियों में सहयोग मिल रहा है। उद्योग में, मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत के विकास के कारण वर्ष 2006-07 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में औसत आधार पर 8.1 प्रतिशत का विकास हुआ। तथापि, दसवीं योजना अवधि (वर्ष 2002-2007) के दौरान औद्योगिक विकास 10 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रहा। पूँजीगत वस्तुओं के आयात में मजबूत विकास के साथ वर्ष 2002-03 से पूँजीगत वस्तु क्षेत्र में जारी दुहरे-अंक में विकास यह उल्लेख करता है कि नई क्षमता वृद्धि के माध्यम से उद्योग जगत अर्थव्यवस्था में माँग स्थितियों की उछाल को पूरा कर रहा है। पूँजी स्टॉक का आधुनिकीकरण, आयात शुल्क तथा अन्य करों में कमी / विवेकाधार ने

अर्थव्यवस्था के खुलेपन में बढ़ोत्तरी, उच्चतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्तर्वाह, उच्चतर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में बढ़े हुए निवेश तथा गहनतर वित्तीय उपलब्धता उद्योग में उत्पादकता लाभों में सहयोग कर रहे हैं। परिणामतः सेवा क्षेत्र के सहयोजन से उद्योग लगातार एक महत्वपूर्ण विकास परिचालक बनता जा रहा है। व्यापार, परिवहन, संचार और निर्माण जैसी कई सेवाएँ उद्योग से सीधे जुड़ी हुई हैं।

II.46 हाल के वर्षों में औद्योगिक कार्यनिष्पादन में उछाल पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान किए गए आर्थिक सुधारों के लाभप्रद प्रभावों को दर्शाता है जिसने शुल्क में महत्वपूर्ण कमी के मध्य लगातार बढ़ती हुई एक खुली अर्थव्यवस्था में उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि की है। भारत में विनिर्माण कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्षम और कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम लागत उत्पादकों के रूप में तेजी से उभर रही हैं। कई कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए विदेशी फर्मों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है।

II.47 यह उल्लेख करना उत्साहवर्धक होगा कि पूर्ववर्ती छह वर्ष की अवधि (वर्ष 1993-94 से वर्ष 1999-2000) से वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। तथापि, वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 की अवधि में रोजगार में वृद्धि उसी अवधि में श्रम-शक्ति में वृद्धि से पीछे रही है। तथापि, असंगठित विनिर्माण क्षेत्र ने ही हाल के वर्षों में अधिक रोजगार में वृद्धि की है। अतः उद्योग में जारी विकास रोजगार के अवसर पैदा करने और कृषि क्षेत्र पर निर्भर प्रच्छन्न श्रम-शक्ति को आमेलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षणों तथा श्रम-कानूनों में अधिकतम लचीलेपन के माध्यम से समुचित कौशल का सृजन, विशेषतः संगठित क्षेत्र में अधिकतम रोजगार उत्पादन कर सकता है।

II.48 कई मूलभूत सुविधा कमियों के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र ने मजबूत विकास दर्ज किया है। जैसा कि ग्यारहवीं योजना (वर्ष 2007-12) के दृष्टिकोण पेपर में उल्लेख किया गया है, विश्व स्तर की मूलभूत सुविधा के अभाव तथा कुशल श्रम-शक्ति की कमी विनिर्माण क्षेत्र में विकास की अति महत्वपूर्ण अल्पकालिक बाधाएँ हैं, उद्योग के फलने-फूलने लायक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह अनिवार्य है कि मौजूदा आधारभूत व्यवस्थाओं, विशेषतः सड़कों, बन्दरगाहों और विद्युत में बढ़ोत्तरी की जाए।

II.49 अब तक मूलभूत सुविधा क्षेत्र में मिश्रित प्रगति हुई है। दूर-संचार क्षेत्र में महती प्रगति हुई है जैसा कि देश में बढ़ते हुए मोबाइल टेलीफोन के त्वरित प्रसार में प्रतिबिम्बित हुआ है। रेलवे और बन्दरगाहों में भी कुछ सुधार हुआ है। तथापि, अन्य क्षेत्रों जैसे कि विद्युत, कोयला, जल, शहरी मूलभूत सुविधा और ग्रामीण मूलभूत सुविधा में प्रगति पर्याप्त से कम है।

II.50 वर्ष 2006-07 के दौरान बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहा जिसमें इस क्षेत्रको ताप ऊर्जा संयंत्रों के बढ़े हुए लोड फैक्टर और बेहतर भंडारण स्तरों के कारण पन-बिजली उत्पादन में वृद्धि से बहुत लाभ मिला। इसके बावजूद ऊर्जा क्षेत्र का कुल मिलाकर प्रदर्शन बहुत आशाजनक नहीं था। बिजली की लगभग 10 प्रतिशत की कमी और सर्वाधिक व्यस्त समय के दौरान 13 प्रतिशत की कमी इस क्षेत्र में ऊंची वृद्धि के चालू दौर में एक बाधक है। दसवीं योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र की क्षमता में उसके लक्ष्य के लगभग 50 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश की गति अवरुद्ध हुई है क्योंकि यहां आपूर्ति की गई बिजली का या संविदा के अनुसार बिजली के समय पर भुगतान के आश्वासन का अभाव महसूस किया गया। यदि समुचित टैरिफ के साथ टैरिफों की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा बिजली की चोरी में कमी लाने के लिए उपाय किए जाएं तो इससे ऊर्जा क्षेत्र में

भारी निवेश में मदद मिलेगी। गैस आधारित बिजली संयंत्र जो बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का लगभग 11 प्रतिशत है, गैस की अपर्याप्त आपूर्ति और नाफ्ता एवं हाईस्पीड डीजल जैसे वैकल्पिक एवं मंहगे ईंधनों का इस्तेमाल करने में कठिनाइयों के कारण अपनी क्षमता से नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं। बिजली के प्रेषण एवं वितरण से जुड़ी हानियां अस्वीकार्य स्तर पर अधिक ही बनी रही जो कई राज्यों में 30 से 45 प्रतिशत तक थीं। बिजली के प्रेषण तथा वितरण प्रणाली में समयबद्ध तरीके से स्तरोन्नयन के साथ-साथ बिजली चोरी कम करने के उपायों के फलस्वरूप देश में बिजली आपूर्ति की उपलब्धता में वृद्धि, उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमत में कमी तथा राज्य विद्युत परिषदों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।

II.51 इस संदर्भ में अगर निवेश के इरादों में जो रुझान दिख रहे हैं उसे संकेत मानें तो इस उद्योग में हो रही महत्वपूर्ण निवेश गतिविधि के महत्व को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार उद्योग में वास्तविक सकल पूंजी निर्माण (1999-00 कीमतों पर) में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 के दौरान औसतन लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निवेश में इस प्रकार की महत्वपूर्ण गतिविधि से उम्मीद है कि इससे देश में बिजली की मांग में आगे और बढ़ोत्तरी होगी। इसी के साथ-साथ यह समझने की जरूरत है कि बिजली के अधिक उत्पादन में आंशिक रूप से थर्मल संयंत्र लोड फैक्टर (पी एल एफ) की वृद्धि का हाथ रहा है जो 1998-99 के दौरान 64.6 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 के दौरान बढ़कर 74.00 प्रतिशत और उसके बाद 2006-07 के दौरान बढ़कर 76.8 प्रतिशत हो गया। प्लांट लोड फैक्टर (पी एल एफ) में उल्लेखनीय वृद्धि को देखा जाए तो अब उसमें आगे वृद्धि की संभावना सीमित है। इस प्रकार भविष्य में बिजली का अधिक उत्पादन नई क्षमता जोड़ने पर अधिकाधिक निर्भर करेगा। इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश की आवश्यकता है। बिजली

उत्पादन के क्षेत्र में उसकी क्षमता बढ़ाने से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक धार तेज होगी और साथ ही इससे वृद्धि की मौजूदा रफ्तार बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

II.52 पिछले पांच वर्षों के दौरान खनन क्षेत्र की वृद्धि (वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान औसतन 4.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष) उसी अवधि के दौरान विनिर्माण (मैनुफैक्चरिंग) में वृद्धि (8.8 प्रतिशत) से काफी पीछे रही। पर्याप्त कोयला भंडार के बावजूद, जो कि अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, देश में कोयले की घरेलू आपूर्ति अपर्याप्त बनी हुई है और कोयले की कमी जैसी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। खनन में वृद्धि करना तथा औद्योगिक वृद्धि से जुड़ी कठिनाइयां दूर करने के लिए खनन क्षेत्र में आगे और सुधारों की जरूरत होगी। बिजली उत्पादन में वृद्धि के लिए तयशुदा ईंधन आपूर्ति आवश्यक होगी। इस प्रकार कोयले की मांग हाल-फिलहाल के दिनों के मुकाबले महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने की उम्मीद है।

II.53 राष्ट्रीय स्तर पर सड़क क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक रही है। जहां स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना लगभग पूरा होने को है वहीं उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर परियोजनाओं के वर्ष 2009 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। मौजूदा सड़कों के स्तरोन्नयन/एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम (एन एच डी पी) के विभिन्न चरण आयोजन तथा कार्यान्वयन के अग्रणी दौर में हैं। जैसा कि पहले बताया गया, सरकार *भारत निर्माण* के अंतर्गत भी ग्रामीण सड़कों में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है। सड़कों तथा हाइ-वे (महामार्गों) के मामले में प्रगति अन्य बातों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण, ढांचों को हटाने तथा सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, कुछ राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की समस्या तथा कुछ ठेकेदारों के खराब कामकाज जैसी अड़चनों से पार पाने में सफलता पर निर्भर करेगी।

II.54 विकास की प्रक्रिया में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अध्ययन से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन को काफी फायदे मिलते हैं। ये फायदे उत्पाद तथा श्रम बाजारों से निकटता के कारण मिलते हैं जो एक तरफ व्यापार एवं परिवहन की लागत में बचत और दूसरी तरफ कुशल श्रम की उपलब्धता को संभव बनाते हैं। शहरों के प्रबंधन को सशक्त बनाने से देश भर में शहरी आधारभूत संरचना से जुड़ी सुविधाओं में विकास होगा। समग्र रूप से सक्षम होने के लिए सभी प्रकार के शहरों की सक्षम कार्यप्रणाली आवश्यक है। गरीबों के कल्याण के लिए शहरी क्षेत्रों में जल, परिवहन, सफाई, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाओं में सुधार की भी आवश्यकता है। शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में कमी को दूर करने की दिशा में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है लेकिन इस योजना को उसकी तार्किक परिणति तक सफलतापूर्वक ले जाने के लिए व्यापक आयोजना तथा प्रभावी निगरानी आवश्यक है।

II.55 देश में आधारभूत संरचना की भारी जरूरतों को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र को हमेशा आधारभूत संरचना के लिए धन मुहैया कराने में बड़ी भूमिका निभानी होगी। इसके लिए सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में सुधार पर अधिकाधिक बल देना होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित आधारभूत संरचना पर उच्चस्तरीय समिति का अनुमान है कि विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान 14,50,000 करोड़ रुपये का निवेश जरूरी होगा। इसके लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों द्वारा आधारभूत संरचना पर अपने खर्च में ठोस वृद्धि करते हुए उसे प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रतिशत के मौजूदा स्तर को बढ़ाकर लगभग 8 प्रतिशत करना होगा। इन निवेशों को जहाँ कहीं संभव हो, सार्वजनिक निवेश, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा विशिष्ट निजी निवेशों को मिलाजुलाकर हासिल करना

होगा। सरकार देश में आधारभूत संरचना के घाटे को पाटने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सक्रिय होकर बढ़ावा दे रही है और पिछले दो-एक वर्षों में आधारभूत संरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। परियोजनाओं को जल्द ही झंडी दिखाने, लाल फीताशाही को समाप्त करने, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय तौर-तरीकों को अपनाने और दिशानिर्देशों में एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है। तथापि सार्वजनिक निजी भागीदारी से जुड़े सरोकार एवं मुद्दे के प्रति चेतना का अभी भी अभाव महसूस किया जा रहा है और अलग-अलग राज्यों में यह चेतना समान रूप से नहीं दिखाई देती है।

II.56 वर्ष 2001-02 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 23.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान घरेलू बचत तेजी से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 32.4 प्रतिशत तक पहुँच गई। घरेलू बचत में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह साफ हो गया है कि सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में अधिकाधिक निवेश संभव है। तथापि, इसी के साथ ऐसे निवेशों को लाभप्रद तथा स्व-वित्त पोषी बनाने के लिए परियोजना अभिकल्प, परियोजना कार्यान्वयन, समुचित प्रयोक्ता प्रभागों तथा समुचित नीतियों में भी प्रगति आवश्यक होगी।

सेवाएं

II.57 पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में दुहरे अंकों की दर से वृद्धि हुई है और यह क्षेत्र देश की आर्थिक गतिविधि के प्रमुख संचालक के रूप में उभरकर सामने आया है। विनिर्माण गतिविधियों की अनवरत मजबूती, पर्यटन में मजबूत वृद्धि, दूरसंचार के क्षेत्र में सुधारों, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं बीपीओ क्षेत्रों में उछाल, निर्माण क्षेत्र में भारी-भरकम वृद्धि, जमा एवं ऋण

वृद्धि में तेजी तथा बीमा क्षेत्र के खुलने के कारण हाल के वर्षों में सेवाओं के क्षेत्र में उछाल आया है। सेवा क्षेत्र के प्रभावशाली प्रदर्शन का मुख्य श्रेय कुशल एवं सस्ते श्रम की उपलब्धता को जाता है। तथापि, सेवाओं एवं विनिर्माण गतिविधियों में अनवरत तेजी का प्रारंभिक दबाव गुणवत्ता संपन्न कुशल श्रम की आपूर्ति पर पड़ रहा है। हालांकि मानवशक्ति की उपलब्धता हमारे देश के जनसांख्यिकी फ़ोफाइल के कारण उसके पक्ष में है फिर भी इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि प्रतिभाओं की कमी उभरकर सामने आ रही है। अधिकतर विकसित मुल्कों में 40-50 प्रतिशत की तुलना में हमारे देश में उच्च अध्ययन की संस्थाओं में संबंधित आयु वर्ग के केवल 10 प्रतिशत विद्यार्थी दाखिला ले रहे हैं। माध्यमिक स्कूल स्तर के विद्यार्थियों में से आधे से भी कम विद्यार्थी ही कालेज शिक्षा में दाखिल होते हैं। इसके अलावा देश के कई कालेजों और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता कुशल व्यावसायिकों के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में नाकाफी है।

11.58 विशाल जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए शिक्षा क्षेत्र को ठोस ढंग से विस्तार देने तथा उसमें सुधार की तात्कालिक आधार पर जरूरत है। सरकार श्रम बल को अपेक्षित कौशल युक्त बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। *सर्व शिक्षा अभियान* जिसका लक्ष्य सबको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना और विद्यालयों के प्रबंधन में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ समस्त सामाजिक, लैंगिक तथा क्षेत्रीय अंतरों को पाटना है, के कार्यान्वयन के बाद माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि होने की संभावना है। इस परिप्रेक्ष्य में भविष्य में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर आधारभूत संरचना में भी व्यापक रूप से विस्तार करना आवश्यक होगा। आर्थिक गतिविधियों के लगातार ज्ञान आधारित होने के कारण कौशल पर विशेष बल को देखते हुए तृतीयक शिक्षा देने और उच्च ज्ञान की संस्थाओं का विकास करने पर विशेष जोर देने की जरूरत होगी। इस प्रकार प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च जैसे सभी स्तरों

पर शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत होगी। इन संदर्भ में केंद्र सरकार ने उच्च स्तर की शिक्षा सुलभ बनाने के उद्देश्य से देश में 30 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर फैले मौजूदा कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत होगी ताकि कौशल युक्त मानवशक्ति की उपलब्धता में उभरती मांग-आपूर्ति की विसंगतियों को पाटा जा सके तथा जनसांख्यिकीय स्थिति से लाभ उठाया जा सके। देश में भौतिक, शहरी तथा सामाजिक आधारभूत संरचना को सुधारने की दिशा में संगठित प्रयासों से सेवा क्षेत्र की वृद्धि में और मजबूती आएगी।

राजकोषीय नीति

11.59 एफ आर बी एम के नियम आधारित ढांचे के अंतर्गत केंद्र सरकार के वित्त में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में वर्ष 2004-05 के दौरान घाटे सूचकांकों में प्रारंभिक स्तर पर कमी, वर्ष 2005-06 के दौरान ठहराव तथा वर्ष 2006-07 के दौरान इस प्रक्रिया द्वारा पुनः अपनी पुरानी स्थिति में लौटना देखा गया है। राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया 2007-08 में जारी रहेगी। वर्ष 2007-08 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत के स्तर पर रखने के कारण वर्ष 2008-09 तक 3.0 प्रतिशत का एफआरबीएम लक्ष्य व्यावहारिक प्रतीत होता है। वर्ष 2007-08 के लिए राजस्व घाटे को बजट में सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत पर रखा गया है; वहीं वर्ष 2008-09 के दौरान एफआरबीएम के जरिए राजस्व घाटे को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार, यह ध्यान देने योग्य है कि एफआरबीएम लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व घाटा / सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में 1.5 प्रतिशत की कमी करनी होगी।

11.60 सरकार के राजस्व में वृद्धि में कर-जीडीपी अनुपात में तीव्र वृद्धि से सहायता मिली है जिसमें प्रत्यक्ष

कर राजस्व की अग्रणी भूमिका रही है। संपूर्ण कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा वर्ष 2000-01 के दौरान 36 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़कर लगभग 49 प्रतिशत हो गया। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कारपोरेट आयकर का हिस्सा वर्ष 2000-01 के दौरान 52 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 64 प्रतिशत हो गया जबकि इसी के साथ वैयक्तिक आयकर के हिस्से में गिरावट हुई। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कारपोरेट तथा वैयक्तिक आयकरों में वर्ष 2000-01 से वृद्धि हुई। जहां कारपोरेट आयकर का अनुपात वर्ष 2000-01 के दौरान 1.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 के दौरान 3.6 प्रतिशत हो गया वहीं वैयक्तिक आयकर का अनुपात इसी अवधि के दौरान 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गया। कर राजस्व में चालू उछाल के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए उच्च आय में वृद्धि के प्रकाश में अनवरत एवं स्थिर गति से प्रयास जरूरी होगा। कर राजस्व में सुधार के जरिए राजकोषीय मजबूती को और अधिक गहरा करने का अवसर कर की दरों में एक सुसंतुलित ढांचा बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था के विकास की गति को प्रभावित किए बगैर उसके आधार को व्यापक बनाने में निहित है। कर के आधार को व्यापक बनाने के लिए प्रमुख कर रियायतों को युक्तियुक्त बनाने / समाप्त करने तथा सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के बढ़ते हुए हिस्से के अनुरूप इस क्षेत्र के मुख्य हिस्सों को कर के दायरे में लाना अनिवार्य है। वर्ष 2006-07 के दौरान सेवा कर की हिस्सेदारी सकल कर राजस्व में केवल 8 प्रतिशत तथा केंद्रीय सरकार के अप्रत्यक्ष करों के लगभग 16 प्रतिशत के बराबर रही। राज्य सरकारों द्वारा मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली लागू करने तथा केंद्रीय बिक्री कर (सी एस टी) से बाहर निकलने के बाद 1 अप्रैल 2010 से वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) को लागू करने की समुचित परिस्थितियां मौजूद हैं। इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। इसके अलावा कर प्रशासन की क्षमता तथा प्रभावों

सुधार होने से कर बकायों में कमी संभव होगी। बड़े हुए लेकिन वसूल नहीं किए गए कर राजस्व के भंडार में वर्ष 2005-06 के दौरान लगभग 19 प्रतिशत की कमी हुई और मार्च 2006 के अंत तक उसका भंडार घटकर 90,256 करोड़ रुपये हो गया।

11.61 हाल के वर्षों में केंद्र सरकार के व्यय प्रबंधन ने मुख्यतः कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार तथा अनुमानित परिणामों में बजटीय व्यय को बदलने हेतु वितरण व्यवस्था की दक्षता और दायित्व में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है। व्यय की प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने की सरकार की नीति के फलस्वरूप सामाजिक क्षेत्र के लिए ज्यादा परिव्यय हासिल हुआ है। फिर भी, भारत में शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय की हिस्सेदारी, अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से कम है। वर्ष 2004 में भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत रहा जो ब्राजील (4.8 प्रतिशत), चीन (1.8 प्रतिशत) तथा अल्प विकसित देशों (1.8 प्रतिशत) से भी कम था। सामाजिक क्षेत्रों के लिए व्यय की प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने के साथ-साथ पूंजीगत परिव्यय में बढ़ोतरी से सरकार की परिचालनात्मक क्षमता को सीमित किए बिना राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी से सामाजिक आधारभूत संरचना में सुधार होगा तथा इससे उत्पादकता के लाभ प्राप्त होंगे।

11.62 राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी कानूनों (एफ आर एल) से निर्देशित होकर राज्य सरकारों के वित्त ने भी वर्ष 2003-04 से महत्वपूर्ण सुधारों का प्रदर्शन किया है। घाटा सूचकांकों में कमी के उद्देश्य को पूरा करने के नजदीक आने के साथ-साथ राज्य सरकारों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास पर अधिक व्यय करते हुए विकास से इतर खर्चों को सीमित करने की चुनौती का सामना करना होगा। बेहतर समष्टि आर्थिक कार्य-निष्पादन के फलस्वरूप

राज्य सरकारों के कर संग्रह (स्वयं का कर राजस्व तथा विभाज्य केंद्रीय कर दोनों) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी के साथ यह नोट करने की जरूरत है कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा के प्रावधान के लिए राज्य ही प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए परिव्यय में बढ़ोतरी के अलावा राज्यों द्वारा सेवाएं प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी बल देना जरूरी होगा जो प्रकारांतर से उन्हें इन सेवाओं का पर्याप्त रूप से मूल्य निर्धारण करने में सक्षम बनाएगा। राज्यों के लिए यह भी जरूरी होगा कि वे सक्षम सुधार का मार्ग प्रशस्त करें ताकि उन्हें जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके।

II.63 हाल के वर्षों में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया की मुख्य विशेषता घाटे के मुख्य सूचकांकों में अच्छी-खासी कमी रही है। तथापि, भारत में घाटे के सूचकांक तथा सार्वजनिक ऋण कई उदीयमान तथा विकसित देशों के मुकाबले अधिक हैं। इसके अलावा, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया में कतिपय जोखिम जैसे कि छोटे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर वेतन पुनरीक्षण से व्यय में प्रत्याशित वृद्धि, आर्थिक सहायता तथा उधार की बढ़ती हुई औसत लागतें भी शामिल हैं।

II.64 केंद्र तथा राज्यों द्वारा एफआरबीएम / एफआरएल के लक्ष्यों के अनुपालन के फलस्वरूप सार्वजनिक कर्ज के बोझ को हल्का करने के अलावा सार्वजनिक बचत एवं संपूर्ण घरेलू बचत में और अधिक वृद्धि होगी। कर्ज के बोझ में कमी से संपूर्ण समष्टि आर्थिक स्थिरता में सहायता मिलेगी तथा इससे विकास की गति को बल मिलेगा। चालू विकास की गति को स्थाई रूप से मजबूत पायदान पर स्थापित करने के लिए क्षमता निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की जरूरत है जिसे निजी क्षेत्र पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं कर सकता।

राजकोषीय सशक्तिकरण के कारण अधिक पूंजीगत व्यय का रास्ता खुलेगा और आधारभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र पर व्यय को ताकत मिलेगी जिसका घरेलू उत्पादकता, वृद्धि तथा रोजगार पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता के महत्व पर बल देना आवश्यक है।

बाह्य क्षेत्र

II.65 सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को बाह्य क्षेत्र से उल्लेखनीय शक्ति हासिल हुई है। अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए खुलेपन तथा वित्तीय प्रवाह की दो तरफा गति के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत का जुड़ाव मजबूत होता जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले पण्य निर्यात का अनुपात 90 के दशक के प्रारंभ से बढ़ रहा है जो बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2002-06 के दौरान भारत के निर्यात की वृद्धि एशिया क्षेत्र में चीन को छोड़कर उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों से काफी अधिक थी। इसी के साथ आयात में तेजी लगातार बढ़ रही है क्योंकि घरेलू संस्थाओं की पहुँच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कच्ची सामग्री तथा अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं तथा गुणवत्ता इनपुट तक हुई है जिससे घरेलू उत्पादन एवं निर्यात क्षमताओं को नई धार मिली है। सॉफ्टवेयर तथा अन्य व्यापार सेवाओं की अग्रणी भूमिका के कारण सेवाओं के निर्यात में संरचनात्मक परिवर्तनों तथा विप्रेषणों से भारत के भुगतान संतुलन को स्थिरता और मजबूती मिली है। निवल अदृश्य की अधिशेष मात्रा से बढ़ते हुए व्यापार घाटा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समायोजित कर लिया गया है तथा इससे 90 के दशक के प्रारंभ से चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत के औसत तक सीमित करने में सहायता मिली है। वर्तमान में सकल चालू प्राप्तियों (पण्य निर्यात तथा अदृश्य प्राप्तियाँ) तथा सकल चालू भुगतानों (पण्य आयात तथा अदृश्य भुगतान) को मिलाकर देखा जाए तो वह सकल घरेलू

उत्पाद के आधे से अधिक होता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ उच्च स्तर पर जुड़ाव को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करता है।

II.66 उदारीकृत बाह्य भुगतान प्रणाली ने भारतीय कार्पोरेट द्वारा विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र दोनों में विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को सहज बनाया है, इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर किफायत करना और विदेशी बाजारों को हथियाना रहा है ताकि विश्व स्पर्धा का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके। बहिर्वाह (आउटफ्लोज) की दर ऊंची होते हुए भी, पूंजी प्रवाह (निवल) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तकरीबन पांच प्रतिशत है, जबकि इसकी दर वर्ष 2000-01 से 2002-03 तक औसत दो प्रतिशत थी। पूंजी प्रवाह (निवल) काफी हद तक चालू खाता घाटे से अधिक बना रहा और मौद्रिक नीति के संचालन तथा समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता पर इसका प्रभाव रहा है।

II.67 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए अपनाए गए समग्र दृष्टिकोण में भुगतान संतुलन की बदलती स्थितियों का ध्यान रखा गया है और विभिन्न प्रकार के प्रवाहों एवं अन्य अपेक्षाओं से जुड़े 'चलनिधि जोखिमों' को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के उद्देश्य हैं विदेशी मुद्रा भंडार की क्रय-शक्ति के मूल्य को लंबे समय तक बनाए रखना तथा उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल के जोखिम एवं अस्थिरता को न्यूनतम रखना। भारत में, विदेशी मुद्रा भंडार का संचय पूंजी के अंतर्वाह (इनफ्लो) से हुआ है, जबकि अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा नहीं है जहां विदेशी मुद्रा का अधिकांश भंडार चालू खाते के अधिशेष से किया गया है। तो भी, ये देश विदेशी मुद्रा बाजार में निरंतर हस्तक्षेप करते रहे हैं और यह इस बात से जाहिर होता है कि पूरे एशिया में सभी देशों ने विदेशी मुद्रा भंडार का उच्च स्तर बनाए रखा है। इसके अलावा, विश्व में चलनिधि की पर्याप्तता, प्रमुख विकसित

अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों तथा आय कमाने की तलाश ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाई है।

II.68 भारत में, विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिए किए गए हस्तक्षेप काफी हद तक सफल रहे हैं और समग्र वित्तीय स्थिरता में उनका योगदान रहा है। अन्य कारकों के साथ-साथ यही वह कारक है जिसने भारत को विदेशी निवेशकों के लिए निवेश-स्थल बना दिया है। संभव है कि बड़े कार्पोरेट बड़ी हुई अस्थिरता को नियंत्रित करने की स्थिति में हों किंतु, भारत जैसे देश में जनसंख्या के एक बड़े तबके के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वे वित्तीय बाजार की अस्थिरता के सामने टिक सकें। उतार-चढ़ाव में जनसंख्या के ऐसे भाग के हित पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। आवश्यकता से अधिक अस्थिरता भी वित्तीय स्थायित्व के लिए चुनौती बन सकती है और वास्तविक क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। अतः, अस्थिरता की मात्रा वृद्धि दर के उद्देश्यों, मूल्य तथा वित्तीय स्थिरता के अनुरूप होनी चाहिए। जैसा कि एशियाई संकट से यह साबित हो चुका है कि, बड़े कार्पोरेट भी विनिमय दरों और ब्याज दरों में अकस्मात अस्थिरता के समक्ष टिक नहीं सकते हैं क्योंकि कार्पोरेट तुलनपत्र की कमजोरियां बैंकिंग क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के अन्य सहभागियों तक फैल सकती हैं।

II.69 भारत के समान, कई अन्य देश विदेशी मुद्रा के अत्यधिक इनफ्लो की स्थिति का सामना कर रहे हैं जो इन देशों में भी के मौद्रिक प्रबंधन को प्रभावित कर रही है। किंतु, इस समय कई कारणों से भारत में मौद्रिक प्रबंधन की स्थिति अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से कहीं ज्यादा जटिल है। पहला कारण, घरेलू ब्याज दरें विदेशी मुद्रा भंडार से प्राप्त होने वाले प्रतिफल से अधिक हैं, जो अर्ध-राजकोषीय लागतों को बढ़ाती हैं। दूसरा कारण, हालांकि भारत में हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से राजकोषीय घाटा और लोक ऋण में कमी हुई है, किंतु अभी भी बहुत अधिक हैं। यह राजकोषीय नीति

की मुद्रास्फीति को अपेक्षतया कम स्तर पर बनाए रखने की लोच को बाधित करती है। तीसरा कारण, भारत में वास्तविक क्षेत्र को पिछले कई वर्षों में उदार बनाया गया है जो आपूर्ति प्रबंधन के संबंध में प्रशासनिक उपाय करने की योग्यता को बाधित करता है। वहीं, अनेक नीतिगत जटिलताएं भी विद्यमान हैं, जो तीव्र और लचीले समायोजन को रोकती हैं जिसकी सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर रही बाजार अर्थव्यवस्था को सख्त जरूरत है। इसके अलावा, भारत में बैंकिंग प्रणाली को धीरे-धीरे अविनियमित (डिरेगुलेट) कर दिया गया है और मौद्रिक नीति का संचालन काफी हद तक बाजार आधारित लिखतों के उपयोग के माध्यम से किया जा रहा है। इससे प्रशासनिक उपकरणों जैसे जमा और उधार दरों के इस्तेमाल करने की क्षमता पर रोक लगती है, वहीं इनका उपयोग कुछ अन्य देश कर सकेंगे। अंत में, यह भी जान लेना आवश्यक है कि भारत उभरती हुई ऐसी कुछ बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जहां अत्यधिक ऊँचे व्यापार घाटे के साथ चालू खाता घाटा भी है।

11.70 यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में पूंजी बहिर्वाह (आउटफ्लो) से संबंधित नीतिगत ढांचे में काफी उदारता बरती जा रही है, इस संबंध में उदारता संबंधी जितने उपाय संभव होंगे उन पर ध्यान दिया जाएगा। तथापि, प्रत्येक देश को विशिष्ट देश संदर्भ विशेषतः वास्तविक क्षेत्र की विशेषताओं की दृष्टि से पूंजी बहिर्वाह के लिए अपनी नीति व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, केवल अंतर्वाह के संदर्भगत स्तर और अर्थव्यवस्था के वर्तमान आमेलक क्षमता को देखकर नहीं। प्राथमतः भारत में बहिर्वाह की वर्तमान व्यवस्था उदार है किंतु इतनी भी उदार नहीं है कि कार्पोरेट्स को अधिग्रहण मार्ग के माध्यम के साथ-साथ भारत के बाहर वास्तविक अर्थव्यवस्था में निवेश करने को प्रोत्साहित करे। इस प्रणाली ने देश में सुचारु रूप से कार्य किया है क्योंकि भारतीय कार्पोरेट्स ने विदेशी इकाइयों के साथ बढ़-चढ़कर सहयोग स्थापित किया है, पैमाने के अभाव को पूरा कर लिया है जो भारत की परंपरागत समस्या रही

है और अधिग्रहण के माध्यम से तेजी से क्षेत्र विशेष (डोमेन) की जानकारी हासिल कर ली है। दूसरे, व्यक्तिगत परिवारों द्वारा बहिर्वाह के महत्वपूर्ण उदारीकरण को संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समिति (अध्यक्ष : श्री.एस.एस.तारापोर, 2006) की अनुशंसाओं का पालन करते हुए कार्यान्वित किया जा चुका है। तथापि, यहाँ उदारीकरण कुछ अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आलोक में किया जाएगा जो यह दर्शाता है कि जब घरेलू अर्थव्यवस्था के निष्पादन अथवा स्थायित्व के संबंधके प्रतिकूल अवधारणा बनती दिखती है। निवासी व्यक्ति अक्सर बहिर्वाह शुरु करने में विदेशी निवेशकों से आगे निकल जाते हैं। तीसरे, जहाँ तक वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से बहिर्वाह के लिए व्यवस्था का संबंध है, सतर्कता और परिमाणात्मक विनिर्धारणों का दृष्टिकोण लिया जाता है जिसके द्वारा विवेक सम्मत मानदंड और पूंजी खाता प्रबंध की बाध्यताएँ दोनों ही संगत होती हैं।

11.71 व्यापारगत एकीकरण निःसंदेह फायदेमंद है किंतु वित्तीय एकीकरण भारत के विकास के मौजूदा चरण के लिए फायदेमंद और जोखिमपूर्ण दोनों हो सकता है। भारत में पूंजी अंतर्वाह की उल्लेखनीय विशेषताओं पर प्रकाश डालना श्रेयस्कर होगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आमतौर पर ऐसा निवेश माना जाता है जिससे भौतिक आस्तियों का सृजन होता है और यह स्थायित्व की मात्रा, खासतौर से प्रबंधकीय कौशल से जुड़ा होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि निजी इक्विटी निधियों तथा उद्यम पूंजी निधियों के माध्यम से नए प्रकार के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सीधा संबंध भौतिक आस्तियों से हो और उनमें मार्जिन पर अस्थिरता वाले तत्व निहित हो सकते हैं। इसी प्रकार, मौजूदा पण (स्टेक) को हासिल करने हेतु अंतर्वाह (इनफ्लो) अथवा भारतीय कंपनियों में विदेशी साझा बढ़ाने को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में वर्गीकृत तो किया जाता है, किंतु वे भौतिक आस्तियों के और अधिक सृजन में कोई योगदान नहीं देते हैं। तथापि, बड़े पैमाने पर ऐसे अंतर्वाह (इनफ्लो) निवेश के लिए

उपलब्धविदेशी संसाधनों को निश्चित रूप से बढ़ाते हैं, जो तब अत्यधिक उत्पादनकारी साबित होंगे जब मैक्रो स्तर पर उसे साथ-साथ आत्मसात करने की क्षमता हो। इसी प्रकार, विदेशी संस्थागत निवेशकों को भी सामान्यतया दीर्घकालीन निवेशक माना जाता है जिनमें प्रबंधकीय नियंत्रण नाममात्र का होता है या फिर इसमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है। किंतु, भारत में विदेशी संस्थागत निवेश श्रेणी के अंतर्गत किए गए निवेश में सहभागिता नोट तथा उप-खातों के माध्यम से पोर्टफोलियो प्रवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूंजी प्रवाह, विशेष रूप से संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रवाह, जो अस्थिर स्वरूप के होते हैं, अपनी दिशाएं आसानी से उलट सकते हैं और तब ऐसे पूंजी प्रवाहों के संबंध में 'मूल स्थिति के नियम' को दुबारा लागू कर पाना कठिन होता है। इस पृष्ठभूमि में बढ़ते हुए व्यापार एकीकरण जगत में माइक्रो नियंत्रण के बढ़ती व्यर्थता को ध्यान में रखते हुए मध्यावधि में पूर्ण पूंजी खाता उदारीकरण की प्रक्रिया क्रमिक रूप से अपनाई जाएगी। इस प्रकार, वास्तविक क्षेत्र, राजकोषीय क्षेत्र की प्रगति तथा अभिशासन सहित संस्थागत विकास के साथ निकटतम सामंजस्य स्थापित करते हुए व्यापार, वित्तीय और पूंजी खाता उदारीकरण साथ-साथ किंतु सुसंगत और सुव्यवस्थित तरीके से चलते हैं।

11.72 वित्तीय बाजार और मौद्रिक नीति सेटिंग दोनों के साथ जुड़े परिवर्तन को देखते हुए भारत इन घटनाओं से बचकर नहीं रह सकता। तदनुसार, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और कार्पोरेट्स के लिए जरूरी है कि वे सतर्क रहें और उपयुक्त जोखिम निवारण रणनीतियों से सुसज्जित रहें ताकि पहले से भी अधिक अस्थिरता की स्थिति का सामना कर सकें। इस संदर्भ में उनसे आग्रह है

कि विभिन्न प्रकार के एक्सपोजर पर निगरानी रखें और अपने तुलनपत्रों की रक्षा के लिए उनको हेज (प्रतिरक्षा) करें। रिजर्व बैंक ने पिछले वर्षों में बाजार सहभागियों के पास उपलब्ध हेजिंग उपकरणों का दायरा बढ़ा दिया है और सक्रिय हेजिंग को सहजता प्रदान की है।

वित्तीय क्षेत्र

11.73 एक सुदृढ़ और संतुलित वित्तीय क्षेत्र बचत करने वालों और निवेशकों के बीच संसाधनों के कुशल आबंटन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इस प्रकार विकास प्रक्रिया में योगदान देता है। यह मौद्रिक नीति के आवेग को पूरी अर्थव्यवस्था में संचारित करने में मदद करता है। तदनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा 1990 दशक के प्रारंभ से एक सुदृढ़, कुशल और विविधतापूर्ण वित्तीय प्रणाली² विकसित करने का लक्ष्य रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान रिजर्व बैंक विनियामक और पर्यवेक्षीय पहल को बढ़िया तरीके से संतुलित रख सका है। आस्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रावधान की अपेक्षाओं तथा जोखिम भारों को बढ़ाते हुए विवेकपूर्ण उपायों को अधिक सख्त किया गया है। विभिन्न विवेकपूर्ण और पर्यवेक्षीय उपायों का जोर वित्तीय प्रणाली को छूट प्रदान करते हुए वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करना था। घरेलू बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ तथा बैंकिंग क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने की दृष्टि से वाणिज्य बैंक मार्च 2008 से चरणबद्ध रूप में बासेल II मानदण्डों को अपनाएंगे। हालांकि बासेल II का कार्यान्वयन बैंकों तथा विनियामकों दोनों के समक्ष बड़ी चुनौती है, वहीं बैंकों को इससे दो बड़े अवसर प्राप्त होंगे अर्थात् जोखिम

² आर्थिक विकास में वित्तीय बाजारों की भूमिका के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की *मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट 2005-06* देखें। रिपोर्ट में 'वित्तीय बाजारों का विकास और केंद्रीय बैंक की भूमिका' विषय के साथ यह मानते हुए कि भारत एक उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था है तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए अब तक प्राप्त भारत के अपने अनुभवों के आलोक में भारत में वित्तीय बाजारों को अधिक विकसित, कुशल और एकीकृत करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण दिए गए हैं। वित्तीय बाजार के विकास की गति को इस प्रकार से संचालित किया जाए कि उसके लिए यह सर्वाधिक रूप से अनिवार्य हो कि वृद्धि दर को सहज बनाने के साथ-साथ समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को कायम रखे और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को अपनाए।

प्रबंधन प्रणाली का परिष्करण होगा तथा पूंजी क्षमता में सुधार होगा।

11.74 रिजर्व बैंक, देश के विकास के मौजूदा स्तर को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रणाली को गहन तथा उसकी पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में अपने प्रयासों के प्रति कृतसंकल्प रहेगा। पूरे देश में उद्यमिता के विस्फोट को पोषित एवं वित्तपोषित करना जरूरी है। भारत में बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणों तथा अग्रिमों पर लगाई जा रही ब्याज दरों में उल्लेखनीय अंतर है। बैंकों के लिए जरूरी है कि वे जोखिम मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में समन्वय रखें ताकि अपने ऋणों का उचित मूल्य निर्धारण कर सकें। इस संदर्भ में, ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना से बैंकों की लेनदेन तथा सूचना लागतों को कम करने में मदद मिलेगी और वह व्यक्ति तथा छोटे कारोबारों दोनों के ऋण संबंधी पूर्ववृत्त उपलब्ध करवाएगा। एसएलआर सिक्यूरिटीज में बैंकों के निवेश में जहाँ पिछले वर्ष कमी आई वहीं 2006-07 में इसमें वृद्धि देखी गई, परंतु निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के अनुपात के रूप में बैंकों का इस प्रकार का निवेश 2006-07 में और कम हो गया। परिणामतः बैंकों के सरकारी प्रतिभूतियों के संविभाग अब तकरीबन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हैं। अतः ऋण की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बैंकों की अपनी जमाराशियों के आधार को बढ़ाना पड़ेगा। विशेष रूप से, बैंकों को अधिक से अधिक वित्तीय रूप से वंचित लोगों को अपनी परिधी में लाना होगा। इससे न केवल कम आय के परिवारों की मदद हो सकेगी, बल्कि वित्तीय गहनता सुदृढ़ होगी और बैंकों के ऋण को विस्तार देने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध होगा तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल की जा सकेगी।

मौद्रिक नीति

11.75 भारत में मौद्रिक नीति के संचालन का उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम रखना तथा समग्र आर्थिक विकास

प्राप्त करने हेतु अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हालांकि, अपेक्षाकृत रूप से मूल्य-स्थिरता और विकास दर दोनों पर जोर दिया जाना निहित समष्टि आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। मुद्रास्फीति के प्रारंभिक दबाव को देखते हुए मौद्रिक नीति का रुझान मूल्य-स्थिरता तथा विकास दर (अक्टूबर 2004/अप्रैल 2005) पर समान रूप से जोर दिए जाने से हटकर तत्काल मौद्रिक उपाय के रूप में मूल्य-स्थिरता कायम रखने पर हो गया था तथा उत्पन्न परिस्थितियों (जनवरी 2007) के प्रति प्रतिक्रियास्वरूप तुरंत सभी संभव उपाय करने की ओर बढ़ा। साथ ही, रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने के लिए मध्य 2004 से एहतियाती उपाय करने शुरू कर दिए थे। हाल की अवधि में मौद्रिक नीति के समक्ष चुनौती यह थी कि मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित रखते हुए उच्च विकास-पथ की ओर ट्रांजिशन को कैसे मैनेज किया जाए ताकि संभाव्य उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों मजबूती से बने रहें और विकास को मदद करें। आपूर्ति तथा राजकोषीय उपायों से समर्थित मौद्रिक उपायों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और वृद्धि दर की गति को बनाए रखने के साथ-साथ मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर लगाम कसने में सहायता की है।

11.76 मुद्रास्फीति पर रिजर्व बैंक की स्वतः निर्धारित 5.0 प्रतिशत की मध्यावधि उच्चतम सीमा का मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर हितकारी प्रभाव पड़ा है और सामाजिक रूप से सहनयोग्य मुद्रास्फीति दर नीचे आ गई है। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत के उभरते एकीकरण तथा इस संबंध में सामाजिक तरजीह के मद्देनजर संकल्प यह होगा कि 4.0 - 4.5 प्रतिशत के बीच मुद्रास्फीति प्रत्याशा को कैसे बनाए रखा जाए। भारत का विश्व के साथ सहज एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति को लगभग 3 प्रतिशत तक रखने की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए इससे मध्यावधि में स्वतः स्फूर्त वृद्धि बनाए रखने में मदद मिलेगी।

11.77 हाल के वर्षों में मौद्रिक नीति का संचालन अनेक कारणों से अधिक जटिल हो गया है। वैश्वीकरण ने निहित समष्टि आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को पढ़ पाने में इसकी गति में काफी अस्पष्टता पैदा कर दी है, वित्तीय मूल्यों से प्राप्त होने वाले संकेतों को दुरुह बना दिया है और मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा वास्तविक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन को प्रभावित कर दिया है। फलस्वरूप, स्थिर विनिमय दर, खुला पूंजी खाता और मौद्रिक नीति में विवेकाधिकार इन तीन असंभव सी तिकड़ी (ट्रिनिटी) से पेश आनापहले से कहीं अधिक मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में मौद्रिक प्राधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति, विशेष रूप से मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का पता लगाने और इनको मापने, के संबंध में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में भी मौद्रिक नीति परिचालन को अर्थव्यवस्था में नीतिगत संकेत भेजने में कतिपय अनिश्चितताओं की बाध्यता का सामना करना पड़ रहा है। पहली, ब्याज दरों की कुछ श्रेणियां अभी भी नियंत्रित हैं, जिसकी वजह से ब्याज दर संरचना पर मौद्रिक नीति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दूसरी, सार्वजनिक नीति व्यवस्था द्वारा पूंजी प्रवाह के कतिपय तत्वों को प्रदान प्रोत्साहन ने बाह्य क्षेत्र प्रबंधन को जटिल बना दिया है। अतः, घरेलू अर्थव्यवस्था में चुनिंदा क्षेत्रों को पूंजी प्रवाह की मात्रा और उनकी दिशा ने विश्व स्तर पर और घरेलू वातावरण में अनिश्चितता पैदा कर दी है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वे आर्थिक आधारों या मौद्रिक नीति की सेंटिंग से संबंधित हों। तीसरी, मौद्रिक नीति के परिचालन को मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व वाली बैंकिंग प्रणाली के अनुसार तय किया जाता है जो न केवल मौद्रिक नीति संकेतकों को संचारित करने में बल्कि अन्य सरकारी नीतियों के संबंध में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

11.78 भारत में मौद्रिक नीति को अन्य क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बोझ का भी सामना

करना पड़ रहा है। पहली, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार राजकोषीय असंतुलन काफी अधिक बने हुए हैं और उन्हें ऐसे तरीके से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है जिससे उलट-फेर न हो। किंतु, हाल में राज्य की राजकोषीय स्थिति में हुए स्वागतयोग्य सुधार तथा केंद्र सरकार के वित्त में महत्वपूर्ण समेकन से उक्त के कारण मौद्रिक नीति पर पड़ने वाला दबाव समाप्त हो गया है। दूसरी, विदेशी मुद्रा अंतर्वाह सुदृढ़ बने रहना मौद्रिक नीति के संचालन को जटिल बनाती है। जब मांग का दबाव बढ़ रहा हो, ब्याज दरों में वृद्धि कुछ इस प्रकार से की जानी चाहिए कि वह वृद्धि दर को बनाए रखे और स्फीतिकारी स्थिति भी पैदा न हो। किंतु, ऊंची ब्याज दरें पूंजी अंतर्वाह के और अधिक होने की संभावना बढ़ाती हैं तथा मौद्रिक नीति की कठोरता के प्रभाव को काफी हद तक कम कर देती हैं। तीसरी, भारत में जनसंख्या के बड़े भाग की जीविका इतनी अपर्याप्त है कि वे तीव्र वित्तीय उतार-चढ़ाव के सामने नहीं टिक सकते और जो वास्तविक उत्पादकता को प्रभावित करता है। तदनुसार, मौद्रिक नीति को अर्थव्यवस्था के इस खंड पर भी वित्तीय बाजारों के उतार-चढ़ाव का ध्यान रखना होता है, जो प्रायः पूंजीप्रवाह के अचानक बदलाव से जुड़े होते हैं।

11.79 चौथी, घरेलू तौर पर सकल आपूर्ति में लोच की सीमा मौद्रिक नीति पर अतिरिक्त दबाव डालती है। जहां खुले व्यापार ने अनेक अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति क्षमता को बढ़ा दिया है, वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इसका आपूर्ति - लोच पर कोई खास अल्पकालिक अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों पर लगातार आपूर्ति आघात, जिसके प्रति प्रमुख महंगाई (हेडलाइन इनफ्लेशन) दर संवेदनशील है, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर स्थायी प्रभाव डाल सकती है। आपूर्ति में भी दीर्घकालिक संरचनागत अवरोधों, समयोचित, विश्वसनीय और निरूपित समाधान (डिमॉन्स्ट्रेटेड रिसॉल्यूशन) के अपर्याप्त आश्वासन के बीच मौद्रिक नीति को समुचित रिस्पोन्स देना होता

है। वस्तुतः दबाव और दुविधा, संरचनागत आपूर्ति समस्या के कारण तब और बढ़ जाती है जब इसका लगातार प्रभाव मुद्रास्फीति पर बना रहता है। वृद्धि की गति को मंद किए बिना मुद्रास्फीति को कम और स्थिर बनाए रखते हुए संरचनागत परिवर्तन को नियंत्रित करना मौद्रिक नीति के लिए आने वाले समय में सबसे मुख्य चुनौती होगी।

11.80 निष्कर्ष रूप में, वर्तमान विकास प्रक्रिया में कुछ चक्रीय तत्व के प्रमाण मिले हैं, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तन भी हुए हैं। इस बात के काफी प्रमाण मिल रहे हैं कि यदि हम मूल्य के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता पर गहन और तर्कसंगत निगरानी रखें तो अर्थव्यवस्था विकास पथ में अगली उड़ान भरने को तैयार है।

भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्य
प्रणाली और उसके परिचालन

III

मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी परिचालन

III.1 लगातार स्फीतिकारक दबावों और बड़े पूंजीगत अंतर्वाहों के कारण 2006-07 में मौद्रिक नीति के संचालन में कई चुनौतियां सामने आईं। प्रमुख चुनौती थी - स्फीतिकारक दबावों को नियंत्रण में रखते हुए उच्चतर वृद्धि की ओर अग्रसर होना ताकि वृद्धि बनाए रखने के लिए संभवतः उत्पाद और उत्पादकता मजबूती से बने रहें। वर्ष के दौरान प्राथमिक वस्तुओं के आपूर्ति संबंधी आघातों से मजबूत वृद्धि, वृद्धिशील क्षमता उपयोग, मौद्रिक तथा ऋण सामग्री में लगातार वृद्धि तथा बड़े हुए आस्ति मूल्यों में मुद्रास्फीति संबंधी दबाव और बढ़ गए। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में संभावित ओवरहीटिंग का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, फिर भी रिज़र्व बैंक ने ओवरहीटिंग के प्रारंभिक संकेतों के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति और स्फीतिकारक प्रत्याशाओं पर नियंत्रण रखने के लिए निवारक उपाय जारी रखे। बैंक ऋण में लगातार उच्च वृद्धि, विशेषकर कुछ खास क्षेत्रों में, का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक उपायों को विवेकपूर्ण उपायों से समर्थन मिला। वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में किए गए विधायी संशोधनों से रिज़र्व बैंक को भविष्य में मौद्रिक प्रबंधन के संचालन में और अधिक लोचनीयता मिलेगी।

III.2 रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों, विशेषकर कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्र को, पर्याप्त ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए

अपने नीतिगत प्रयास जारी रखे। इस पहल का उद्देश्य था - कार्यविधि संबंधी रुकावटों के बिना उचित दरों पर छोटे उधारकर्ताओं को पर्याप्त तथा समय पर वित्त उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के लिए अनुकूल परिवेश बनाना ताकि समाज के निर्धन वर्गों का अधिकतम वित्तीय समावेशन किया जा सके।

III.3 मुद्रास्फीति दबावों, बड़े पूंजीगत अंतर्वाहों तथा सरकारी नकद शेषों के कारण मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन के संचालन में प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2006-07 के दौरान थोक और खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति दोनों में ही वृद्धि हुई; लेकिन थोक मूल्यों की तुलना में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि काफी अधिक थी जो उच्चतर खाद्य मूल्यों के प्रभाव तथा उपभोक्ता मूल्य स्फीति उपायों में इन मदों के उच्चतर भार को दिखलाती है। पूंजीगत अंतर्वाहों के स्थायी स्वरूप ने मौद्रिक नीति तथा चलनिधि प्रबंधन के संचालन को और अधिक जटिल बना दिया क्योंकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए उच्चतर ब्याज दरों से और अधिक पूंजीगत प्रवाहों की आशंका थी जिससे मौद्रिक सख्ती की प्रभावकारिता कम होती। नीतिगत दरों और आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि की गई जबकि अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें कम की गईं। तुलनात्मक रूप से उच्चतर ऋण वृद्धि वाले क्षेत्रों में प्रावधान आवश्यकताओं को सख्त बनाकर विवेकपूर्ण उपाय भी किए गए ताकि आस्ति गुणवत्ता और वित्तीय स्थिरता बनायी रखी जा सके।

III.4 मौद्रिक तथा विवेकपूर्ण उपायों के साथ-साथ, ऋण वितरण में सुधार लाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। रिजर्व बैंक ने छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण वितरण प्रक्रिया में सुधार लाने के अपने प्रयास जारी रखे ताकि समाज के निर्धन वर्गों को ऋण वितरण के औपचारिक चैनलों में लाया जा सके। आधार को व्यापक बनाने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के संबंध में दिशा-निर्देश संशोधित किए गए। वित्तीय समावेशन को शीघ्र बढ़ावा देने के लिए बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहल करने के लिए कहा गया और अधिक वित्तीय समावेशन के संबंध में एक प्रायोगिक परियोजना के भाग के रूप में, पांडीचेरी संघ शासित प्रदेश में तथा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा पंजाब के 24 जिलों में शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त कर लिया गया। विभिन्न नीतिगत पहलों के प्रभाव को दिखलाते हुए, बैंकों ने विशेष कृषि ऋण योजनाओं तथा तीन वर्ष में कृषि ऋण को दुगुना करने की योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त किए।

मौद्रिक नीति परिचालन

III.5 वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया था कि 2006-07 के दौरान मौद्रिक नीति का रुझान वैश्विक परिदृश्य सहित स्थूल आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करेगा। बढ़ते बैंक ऋण में निहित समग्र मांग, उच्च आस्ति मूल्यों और मौद्रिक समग्रों में प्रवृत्ति से अधिक वृद्धि तथा पहले की तुलना में और अधिक स्थूल आर्थिक असंतुलनों और उच्चतर तेल मूल्यों के परिवेश में मध्यावधि में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना स्थिरीकरण नीतियों के संचालन के लिए एक चुनौती थी। इस संदर्भ में, वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया गया था कि उत्पाद की वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त कारण हैं। लेकिन, निम्न तथा स्थिर मुद्रास्फीति से कुल मिलाकर स्थिरता के परिवेश में

लगातार आधार पर उच्चतर वृद्धि बनाए रखना संभव होगा। इसके अतिरिक्त, सभी संबंधित पक्षों द्वारा एक मजबूत तथा सामूहिक प्रतिक्रिया के अभाव में, उच्च ऋण वृद्धि की दर तथा आस्ति मूल्यों में वृद्धि से समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया।

III.6 हालांकि देशी स्थूल आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों ने भारत में स्थिरता सहित लगातार वृद्धि की गति को सहायता दी, लेकिन देशी तथा वैश्विक कारणों से वृद्धि तथा स्थिरता दोनों को ही खतरा था और वैश्विक कारणों के प्रति जोखिम ज्यादा थे। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्य ने और अधिक वृद्धि के प्रतिकूल परिणाम तथा/या वैश्विक असंतुलनों के व्यावधानकारी प्रभाव भारत सहित सभी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़े। मौद्रिक नीति के सामान्य रूप से सख्त होने की स्थिति में, भारत भी अछूता नहीं रह सकता था। पहले की तरह, देशी कारणों की महत्ता को ध्यान में रखना आवश्यक था लेकिन नीति के रुझान को बनाते वक्त वैश्विक कारणों को और अधिक महत्व देना भी आवश्यक हो गया था।

III.7 सामान्य मानसून, सकारात्मक औद्योगिक संभावना तथा सेवा क्षेत्र वृद्धि में लगातार गति होने पर, नीतिगत प्रयोजनों के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि, देशी या बाह्य आघातों की स्थिति को छोड़कर, 2006-07 में 7.5-8.0 प्रतिशत के बीच में रखी गयी। देशी मूल्यों पर वास्तविक, मौद्रिक तथा वैश्विक घटकों को ध्यान में रखते हुए यह आभास था कि स्फीतिकारक प्रत्याशाओं पर नियंत्रण रखना मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक चुनौती बना रहेगा। नीतिगत प्रयास था कि 2006-07 में दर-वर्ष-दर स्फीति दर 5.0-5.5 प्रतिशत के बीच रहे। मौद्रिक नीति निर्माण के प्रयोजन के लिए, 2006-07 के लिए संभावित जीडीपी वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के अनुरूप एम₃ में विस्तार लगभग 15.0 प्रतिशत था। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों तथा निजी कंपनी क्षेत्र तथा वाणिज्यिक पत्र के बांडों/डिबेंचरों/शेयरों में

निवेश सहित खाद्येतर बैंक ऋण में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा थी जो कि मार्च 2006 के अंत में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की स्थिति से कम वृद्धि दिखलाता है।

रिज़र्व बैंक ने निरंतर मजबूत ऋण वृद्धि के संदर्भ में और आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से कुछ विवेक सम्मत उपाय किए।

बैंक दर

III.8 बैंक दर मौद्रिक नीति के मध्यावधि रुझान की ओर संकेत करती है। मुद्रास्फीति की संभावना सहित अर्थव्यवस्था के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए बैंक दर को 6.0 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर ही रखा गया; पिछली बार इस दर को अप्रैल 2003 में संशोधित किया गया था।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात

III.9 जैसा कि पहले बताया गया है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 2006-07 के दौरान दिसंबर 2006 - फरवरी 2007 के दौरान 25-25 आधार अंकों के चार बराबर चरणों में संचयी रूप से 100 आधार अंक बढ़ाया गया था। 2007-08 के दौरान अब तक 100 आधार अंक और बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत किया गया।

III.10 जून 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को संशोधित किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 रिज़र्व बैंक को यह विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है कि वह बिना किसी उच्चतम सीमा अथवा निम्नतम सीमा के, अनुसूचित बैंकों द्वारा सीआरआर के रूप में रखे जाने योग्य उनकी मांग और मीयादी देयताओं का प्रतिशत निर्धारित कर सके। इस संशोधन के परिणामस्वरूप अब रिज़र्व बैंक को सीआरआर शेष राशियों पर ब्याज भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

III.11 2006-07 के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। उक्त अनुपात पिछली बार नवंबर 1997 में संशोधित किया गया था। सरकारी प्रतिभूतियों में, वाणिज्य बैंकों के एनडीटीएल के प्रति अनुपात के रूप में उनकी धारिता का घटना वर्ष के दौरान जारी रहा। वे मार्च 2006 अंत के 31.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 अंत में 28.0 प्रतिशत रह गईं जो 25 प्रतिशत की निर्धारित अपेक्षा के करीब थी।

III.12 दिनांक 23 जनवरी 2007 को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 लागू होने के परिणामस्वरूप बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 को संशोधित किया गया था जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए 25 प्रतिशत की निम्नतम दर को समाप्त कर दिया गया था और उसे एसएलआर-पात्र परिसंपत्तियां निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस प्रकार उसे अपने मौद्रिक प्रबंध परिचालनों में और अधिक लचीलापन प्रदान किया गया।

नकदी प्रबंध

III.13 वर्ष 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक ने नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) बाजार स्थिरीकरण योजना (एम एस एस) तथा प्रारक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) जैसे सभी उपलब्ध नीतिगत साधनों का गुंजाइशपूर्ण उपयोग करते हुए सक्रिय नकदी प्रबंध संबंधी अपनी नीति जारी रखी। वर्ष पर्यंत जारी नकदी प्रबंध इस बात पर केंद्रित रहे कि अर्थव्यवस्था में नकदी की उपलब्धता बरकरार रहे ताकि मूल्य और वित्तीय स्थिरता के प्रयोजन से ऋण संबंधी सभी वैधानिक अपेक्षाएं, खास तौर पर उत्पादक प्रयोजनों हेतु, पूरी की जा सकें। निरंतर ऋण-उठाव, मुद्रा की मांग में मौसमी घट-बढ़, पूंजी के अंतः प्रवाह और तिमाही टैक्स संग्रह

जैसे तथ्यों से 2006-07 के दौरान नकदी स्थिति लगातार प्रभावित होती रही। 2006-07 के दौरान रिवर्स रिपो दर 5.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.00 प्रतिशत की गई जबकि रिपो दर 6.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत की गई। दैनिक रिवर्स रिपो अवशोषण 5 मार्च 2007 से अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए तक सीमित रखे गए। विद्यमान समष्टिगत अर्थव्यवस्था और समग्र मौद्रिक एवं नकदी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2007-08 की मौद्रिक नीति के वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा में एलएएफ के अंतर्गत दैनिक रिवर्स-रिपो पर लागू 3,000 करोड़ रुपये की शीर्ष सीमा तथा द्वितीय एलएएफ को 6 अगस्त 2007 से वापस ले लिया गया।

ब्याज दर नीति

III.14 2006-07 के दौरान, एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा अप्रैल 2006 में 25 आधार बिंदु बढ़ी किंतु जनवरी 2007 में 50 आधार बिंदु कम हो गई। जनवरी 2007 में एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा 25 आधार बिंदु कम हो गई। एनआरई जमाराशियों और एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा अप्रैल 2007 में 50 आधार बिंदु कम हो गई।

III.15 विदेशी मुद्रा में प्रदत्त निर्यात ऋण की शीर्ष व्याज दर 18 अप्रैल 2006 से लिबोर (LIBOR) पर 25 आधार बिंदु बढ़ाते हुए कुल 100 आधार बिंदु तक बढ़ा दी गई है।

2007-08 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य

III.16 वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह बात भी देखी गयी कि 2007-08 के दौरान मौद्रिक नीति का रूख उन प्रवृत्तियों से प्रभावित होगा जो अंतर्राष्ट्रीय और खास तौर पर, घरेलू परिवेश में मुखरित हों। समष्टिगत अर्थव्यवस्था और वित्तीय परिस्थितियों से यह आभास मिला है कि देश की विकास दर में फिलहाल जो तीव्रता आयी है उसे बरकरार रखने का परिवेश मिलता रहेगा। वक्तव्य में इस बात को दोहराया

गया कि विकास के लिए अंशदायी मौद्रिक नीति के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता, दोनों का निर्वाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तदनुसार, भविष्य के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए मूल्यों में स्थिरता और प्रत्याशित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया।

ऋण सुपुर्दगी

III.17 प्रभावी ऋण सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए हाल की अवधि में रिजर्व बैंक का बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत तथा अधिकार संपन्न करने, सहकारिता में सुधार करने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का दायरा बढ़ाने, विवेकसम्मत मानदंडों में संशोधन करने और कृषि ऋण संबंधी प्रक्रिया सरल बनाने पर रहा है। 2006-07 के दौरान रिजर्व बैंक ने छोटे ऋणकर्ताओं के लिए ऋण सुपुर्दगी ज्यादा सुलभ बनाने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखी ताकि समाज के ज्यादा गरीब वर्गों को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन के दायरे में अधिकाधिक वृद्धि हो सके। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देय ऋणों के संबंध में गठित आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री सी.एस.मूर्ति) की अनुशंसाओं और उन पर प्राप्त प्रति-सूचना के आधार पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों से संबंधित दिशा-निर्देश संशोधित किए गए। 30 अप्रैल 2007 से प्रभावी संशोधित दिशा-निर्देशों में जनसंख्या के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, कमजोर वर्ग और ज्यादा रोजगार-प्रणित क्षेत्र जैसे कृषि, छोटे उद्यम और छोटे ऋणकर्ताओं का समावेश जारी रखा गया है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल अग्रिमों की व्यापक श्रेणियों में 20 लाख रुपए तक के कृषि, छोटे उद्यम, व्यष्टि (माइक्रो) ऋण, फुटकर व्यापार, शिक्षा ऋण और आवास ऋण प्रमुख हैं।

III.18 जन-सामान्य को सरल-सहज और दक्ष बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। 'वित्तीय समावेशन', के तहत की गई कार्रवाई में आम आदमी की बैंकिंग और वित्तीय

आवश्यकताओं के बारे में बैंकों में जागृति लाना और बुनियादी बैंकिंग सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे उपाय शामिल हैं। सामान्य जनता तथा बैंकों के विद्यमान ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध/बैंकों द्वारा प्रदत्त विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए रिजर्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा की प्रक्रिया शुरू की है। रिजर्व बैंक द्वारा गठित दो कार्यदलों की सिफारिशों के प्रकाश में राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को मई 2007 में सूचित किया गया था कि वे प्रायोगिक आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र में किसी एक जिले में वित्तीय साक्षरता-सह परामर्श केंद्र स्थापित करें।

III.19 सबसे ज्यादा जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के प्रयोजन से एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस उद्देश्य हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया गया है कि वे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित अल्पसंख्यक बहुलता वाले 121 जिलों की सूची पर ध्यान दें जिसके साथ एससी/एसटी और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के अलावा उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी भेजे गए थे।

अभावग्रस्त किसानों के लिए राहत के उपाय

III.20 प्रोफेसर एस.एस.जोल की अध्यक्षता में गठित दल की रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा अभावग्रस्त किसानों की सहायता के प्रयोजन से बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए ऐसे किसानों के लिए एकमुश्त निपटारे की पारदर्शी नीतियां तय करें। उक्त दल की अन्य सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है।

III.21 वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि 2005-06

की खरीफ और रबी फसलों के दौरान प्रदत्त प्रत्येक फसल ऋण के मामले में 1 लाख रुपये तक के मूलधन पर ब्याज में दो प्रतिशत बिंदु की राहत दी जाए। राहत की राशि 31 मार्च 2006 के पहले ऋणकर्ता के खाते में जमा कर दी जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि लघु अवधि फसल ऋणों के लिए ब्याज दर में 2 प्रतिशत राहत की योजना 2007-08 में भी जारी रहेगी।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार

III.22 देशी बैंकों और विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने निवल बैंक ऋण का क्रमशः 40 प्रतिशत और 32 प्रतिशत ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उपलब्ध कराएं। मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंक 40 प्रतिशत के लक्ष्य से 0.4 प्रतिशत अंक से पीछे थे वहीं निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों, एक समूह के रूप में, ने ऋण प्रदान करने संबंधी समग्र लक्ष्य प्राप्त किया। उसी दिनांक को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में से छहः, निजी क्षेत्र के 26 बैंकों में से चार और 29 विदेशी बैंकों में से पांच प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए।

कृषि क्षेत्र को ऋण

III.23 कृषि क्षेत्र को दिए जानेवाले ऋण के प्रवाह में सुधार लाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 1994-95 में सूचित किया था कि वे विशेष कृषि ऋण योजनाएं (एसएसीपी) तैयार करें। वर्ष 2005-06 में उक्त विशेष कृषि ऋण योजना क्रियाविधि को निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू किया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान विशेष कृषि ऋण योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिए गए संवितरणों में 44.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि लक्ष्य से लगभग 11 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2005-06 के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए जानेवाले संवितरण भी लक्ष्य से लगभग 29 प्रतिशत अधिक हो गए थे। 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा योजना के

तहत कृषि को किया गया संवितरण 1,22,215 करोड़ रुपए (अनंतिम) था जबकि लक्ष्य 1,18,160 करोड़ रुपए का था।

III.24 वर्ष 2006-07 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कुल 26,215 करोड़ रुपयों की सीमा तक 4.8 मिलियन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। योजना के आरंभ से अब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 26.6 मिलियन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं जिनमें 94,712 करोड़ रुपए की सीमाएं शामिल हैं।

III.25 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य/उप-लक्ष्य पूरा न करनेवाले विदेशी बैंकों को कमी की राशि की सीमा तक सिडबी के पास गठित किए जानेवाले लघु उद्यमी विकास निधि (एसईडीएफ) में या रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जानेवाले ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए योगदान करना होगा।

व्यष्टि वित्त

III.26 व्यष्टि वित्त की सुपुर्दगी के विभिन्न मॉडलों में से एसएचजी-बैंक संबद्धता कार्यक्रम देश में प्रमुख व्यष्टि-वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरकर आया। मार्च 2007 के अंत में, 2.9 मिलियन एसएचजी बैंकों से संबद्ध हो गए थे जिनमें 18,040 करोड़ रुपयों का कुल ऋण प्रवाह शामिल था।

महिलाओं को ऋण

III.27 सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने निवल बैंक ऋण के कम से कम 5 प्रतिशत

तक महिलाओं को ऋण प्रदान करें। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा महिलाओं के लिए गए ऋण की मात्रा मार्च 2007 के अंत में समग्र निवल बैंक ऋण का 4.95 प्रतिशत थी इसमें से सरकारी क्षेत्र के 21 बैंकों ने लक्ष्य पूरा किया। सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों ने 15 विशेषीकृत महिला शाखाएं खोली।

लघु और मझौले उद्यमों को ऋण

III.28 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग को दिया गया कुल ऋण मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 1,04,703 करोड़ रुपए था जो उनके निवल बैंक ऋण का 8.0 प्रतिशत और उनके प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए जानेवाले ऋण अग्रिमों का 20.1 प्रतिशत था। कुटीर उद्योगों, काश्तकारों तथा अत्यंत छोटे उद्योगों को दिए गए ऋण की राशि 44,311 करोड़ रुपए थी जो लघु उद्योग क्षेत्र को दिए जानेवाले अग्रिमों का 42.3 प्रतिशत थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षित है कि वे लघु उद्योग यूनिटों के क्लस्टरयुक्त प्रत्येक जिले में और केंद्र पर कम से कम एक विशेषीकृत लघु उद्योग शाखा खोलें। मार्च 2007 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 636 विशेषीकृत लघु उद्योग बैंक शाखाएं परिचालन में लायी गईं।

III.29 व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यमी विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 अक्टूबर 2, 2006 से प्रभावी हुआ। अधिनियम में उद्यमों को मोटे तौर पर (i) वस्तुओं के निर्माण/उत्पादन और (ii) सेवाएं उपलब्ध/प्रदान कराना इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है।

IV

वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन

IV.1 वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय बाजारों के संस्थागत ढांचे को लिखतों और अच्छे मूल्य की खोज में सुधार लाने की प्रक्रियाओं के रूप में और सुदृढ़ बनाया गया वहीं, बाजार सहभागियों को अपने लेनदेन करने में अधिकाधिक लोच प्रदान की गई। मुद्रा बाजार में स्थूल नीतिगत उद्देश्य स्थिरता सुनिश्चित करने, मूल स्तर के जोखिम को न्यूनतम रखने और बाजार के विभिन्न घटकों में संतुलित विकास लाने संबंधी ही रहे। सरकारी प्रतिभूति बाजार में की गई नीतिगत पहल, बाजार की ऐसी एक प्रणाली को सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने की जरूरत से अनुशासित रहीं जिसमें कि रिजर्व बैंक को केंद्र सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक बाजार में सहभागी होने से प्रतिबंधित किया गया है (1 अप्रैल 2006 से प्रभावी)। आलोच्य वर्ष के दौरान, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 भी संसद में पारित किया गया। विदेशी मुद्रा बाजार में विशेष ध्यान निवासी संस्थाओं के लिए उपलब्ध बाह्य भुगतान प्रणाली को और उदार बनाने तथा सरल बनाने पर केंद्रित रहा जो संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता (एफसीएसी) पर गठित समिति की सिफारिशों के अनुसरण में था।

IV.2 मुद्रा बाजार में, मांग/सूचना तथा मीयादी मुद्रा बाजारों में लेनदेन करने के लिए एक स्क्रीन आधारित वार्तालय बोली प्रेरित प्रणाली परिचालन में लाई गई। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के एक कारगर साधन के रूप में एक सुदृढ़ ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार की जरूरत को देखते हुए एक कार्यकारी दल गठित किया गया है जो सभी संबंधित विषयों पर चर्चा करेगा और ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार के विकास में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उपाय सुझाएगा। सरकारी प्रतिभूति बाजार में, एनडीएस-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) मंच की सदस्यता को व्यापक बनाकर उसमें बीमा कंपनियां, म्यूच्युअल फंड तथा भविष्य निधियां शामिल की गईं। 'जब जारी बाजार

जो कि प्रारंभ में, केंद्र सरकार की 'पुनः जारी की जानेवाली प्रतिभूतियों के लिए लागू किया गया था, को विस्तारित कर नई जारी की जानेवाली प्रतिभूतियों के लिए लागू किया गया। केंद्र सरकारी प्रतिभूतियों में शार्ट सेलिंग, जो प्रारंभ में अंतर-दिवसीय आधार पर अनुमत था, को बाद में बढ़ाकर पांच-दिवसीय बना दिया गया। विदेशी मुद्रा बाजार में, अलग-अलग व्यक्तियों के लिए विप्रेषणों की सीमा 25,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर कर दी गई। कारपोरेटों के लिए, विदेशी निवेशों के लिए विप्रेषणों संबंधी सीमाएं और बढ़ा दी गईं ताकि विदेशी अभिग्रहणों में सुविधा हो। पूर्व अदायगियों की सीमाएं बढ़ाकर बाह्य वाणिज्यिक उधारों के दिशानिर्देशों को उदार बनाया गया। बाजार सहभागियों द्वारा वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं और ऑप्शन जैसे विभिन्न हेजिंग लिखतों का प्रयोग करने में प्राप्त अनुभवों तथा चलनिधि और इन साधनों से संबंधित लेखाकरण प्रणाली में हुए सुधारों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का अध्ययन करने और प्रस्तावों को लागू करने के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क का सुझाव देने के लिए करेंसी फ्यूचर्स पर एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है।

IV.3 मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों पर गठित तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) जिसे जून 2006 में पुनर्गठित किया गया था, वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन से संबंधित विषयों पर रिजर्व बैंक का मौलिक मार्गदर्शन करती रही। अपने पुनर्गठन के समय से लेकर अब तक तकनीकी परामर्शदात्री समिति की तीन बैठकें हुई हैं।

मुद्रा बाजार

IV.4 मौद्रिक नीति आवेगों को संप्रेषित करने में मुद्रा बाजार प्रमुख लिंक होता है। तदनुसार, हाल के वर्षों में, मुद्रा बाजार के विभिन्न खंडों के कार्यों में सुधार लाने तथा लिखतों और सहभागियों के बीच

निधियों को सुचारू रूप से प्रवाहित करने में तेजी लाने की वृद्धि के कई उपाय किए गए। मुद्रा बाजार के विकास के लिए अपनाए जानेवाले स्थूल नीतिगत लक्ष्यों द्वारा स्थिरता, मूलभूत जोखिम में कमी लाना सुनिश्चित किया जा रहा है तथा इनसे नए लिखत साधन लागू करते हुए, सहभागी आधार को व्यापक बनाते हुए तथा संस्थागत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाते हुए संतुलित विकास किया जा रहा है। संपार्श्वकृत खंड के विकास पर दिए गए नीतिगत बल से चलनिधि प्रबंधन के विकल्पों में सुधार हुआ है और साथ ही जोखिम घट गए हैं। संस्थागत तथा तकनीकीगत बुनियादी ढांचे से भी पारदर्शिता बढ़ाने, अच्छी कीमत की खोज प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने एवं बेहतर चलनिधि प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन के भाग उपलब्ध कराने में सहायता मिली है।

IV.5 वार्षिक नीतिगत वक्तव्य (अप्रैल 2006) में की गई घोषणा के अनुसरण में, 18 सितंबर 2006 से मांग/सूचना तथा मीयादी मुद्रा बाजारों (एनडीएस-सीएलएल) में लेनदनों के लिए एक स्क्रीन आधारित वार्तातय बोली प्रेरित प्रणाली परिचालन में लाई गई। भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) द्वारा विकसित उक्त प्रणाली से जहां लेनदेन की सहजता बढ़ाने में सहायता मिली है, वहीं अधिकाधिक पारदर्शिता और दक्ष अच्छी कीमत की खोज भी स्थापित हुई है। हालांकि बैंक एनडीएस-सीएलएल प्रणाली के बाहर भी सौदे करने के लिए मुक्त हैं, फिर भी, एनडीएस-सीएलएल प्रणाली को अधिकाधिक तरजीह दी जाती रही है, जो वर्तमान में मांग मुद्रा बाजार की कुल गतिविधियों की लगभग 75 प्रतिशत है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

IV.6 राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 अप्रैल 1, 2006 से अमल में आया जिसके अनुसार रिजर्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में सहभागी होने पर पाबंदी लगा दी गयी है। नए परिवेश की जरूरतों को पूरा करने के

लिए वर्ष 2005-06 में पहले ही लागू किए गए उपायों को बनाए रखने के साथ साथ नए माहौल की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 2006-07 में सरकारी प्रतिभूति बाजार को और गहन तथा व्यापक बनाने की दृष्टि से कई उपाय किए गए। किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं - पांच दिवस आधार पर सरकारी प्रतिभूति की शार्ट सेलिंग की अनुमति देना, 'जब जारी' बाजार लागू करना, प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार के वैविध्यीकरण की अनुमति देना, और एनडीएस-ओएम माड्यूल अर्हताप्राप्त योग्य म्यूच्युअल फंडों, भविष्य निधियों और पेंशन निधियों जैसे नए सहभागियों पर लागू करना।

विदेशी मुद्रा बाजार

IV.7 वर्ष 2006-07 के दौरान रिजर्व बैंक ने ग्राहक सेवा को सर्वोच्च तरजीह देने के साथ बाह्य लेनदनों के लिए अधिक प्रेरक वातावरण निर्मित करने के अपने प्रयास जारी रखे। भारत का पूंजी खाता खुला बनाने के प्रति सतर्क दृष्टिकोण तथा पूंजी खाते के उदारीकरण की कतिपय पूर्वपेक्षाओं के संदर्भ में आकस्मिक प्रक्रिया के रूप में लेना उसे अच्छी स्थिति में ला पाया है। पिछले दो दशकों में हुए परिवर्तनों के होते हुए, इस विषय पर पुनः विचार करने तथा वर्तमान वास्तविकताओं के आधार पर संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता (एफसीएसी) के प्रति एक रोड-मैप सुझाये जाने की जरूरत महसूस की गई। भारत सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक ने संपूर्ण खाता परिवर्तनीयता पर एक समिति (अध्यक्ष: श्री एस.एस. तारापोर) नियुक्त की। समिति ने वित्तीय बाजारों के विकास के संबंध में कई सिफारिशों की और इसके अलावा मौद्रिक नीति तथा विनिमय दर प्रबंधन के अंतर्व्यवहार; बैंकों के विनियमन/पर्यवेक्षण और पूंजी खाता उदारीकरण के उपायों की टाइमिंग और अनुक्रमिकता से संबंधित विषयों पर उपाय बताए गए। समिति ने, अन्य बातों के साथ साथ, नोट किया कि एफसीएसी अपनाने की दिशा में अग्रसर होनेवाले

देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भौतिक बुनियादी संरचनाओं, कुशलता और सक्षमता स्तरों पर सुविकसित किए जाने के अलावा विभिन्न वित्तीय बाजार खंडों के संबंध में समन्वय रखा गया है। यदि विभिन्न बाजार विभाजित रहते हैं तो बाजार के रुख को प्रभावित करने के लिए किए जानेवाले नीतिगत आघात विभिन्न खंडों में संप्रेषित नहीं हो पाएंगे और इस प्रकार, नीतिगत परिणाम अकार्यक्षम रह जाते हैं। साथ ही, खंडीकरण से ब्याज दरों की मीयादी संरचना के विकास में बाधा पहुंचती है जो बदले में मौद्रिक नीति के संप्रेषण में बाधक बन जाती है।

IV.8 संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समिति यह भी सिफारिश करती है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत वर्तमान विनियमों की पुनःजांच करने और वर्तमान में उदारीकरण के मार्ग में प्रचालनगत बाधाओं को दूर करने संबंधी सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए एक आंतरिक कार्य दल का गठन करना चाहिए। तदनुसार आंतरिक कार्य दल गठित किया गया जिसने उन्हें सौंपे गए कार्यों को जनवरी 2007 में पूर्ण किया। कार्य-दल ने विदेशी विनियम प्रबंधन के अंतर्गत आनेवाले सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 169 मामलों की जांच और सिफारिशों की हैं। 24 अप्रैल 2007 को घोषित वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में कार्यदल की कतिपय सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है।

संभावनाएं

IV.9 ब्याज दरों और विनियम दर में प्रभावी मूल्य का पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा विनियम बाजार को गहन बनाने और विस्तारित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगा। गहन और तरल बाजार, अधिक मात्रा में बचतों के संचालन को सक्षम बनायेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धिशील निवेश की मांग को पूर्ण करने के लिए इन बचतों का उपयोग करने में सहायतापूर्ण होगा ताकि वर्तमान वृद्धि के दर को बनाए रखा जा सके। इसके साथ ही, मीयादी मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार में व्युत्पन्नों के उपयोग में अधिक लचीलापन का विकास, कंपनी बांड बाजार का विकास और अनुषंगी बाजार में चलनिधि की वृद्धि से घरेलू वित्तीय बाजारों को अधिक गहन बनाने में सहायता मिलेगी। मौद्रिक अंतरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए और विशेष रूप से संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता और परिलक्षित कार्रवाई के संदर्भ में विभिन्न बाजार सहभागियों के बीच जोखिमों के प्रभावी बिखराव को सुनिश्चित करने के लिए घरेलू बाजार के विभिन्न खंडों को और अधिक समन्वयन के उद्देश्य पर भी प्रयास जारी रहेंगे। समष्टि अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों की समन्वयता और स्थिरता को बनाये रखने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा।

V

वित्तीय विनियमन तथा पर्यवेक्षण

V.1 रिजर्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़ते वैश्वीकरण, सतत चालू वित्तीय अविनियमन और तेज प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों के वातावरण में एक स्थिर और प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय क्षेत्र को संवर्धित करने के लिए अपने विनियामक और पर्यवेक्षी प्रयासों को जारी रखा। वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेकपूर्ण लेखा प्रणाली और प्रकटीकरण मानदंडों को मजबूत बनाया गया था। क्रमिक ताल-मेल पर बल के साथ घरेलू वित्तीय क्षेत्र को अच्छे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समरूप बनाने की नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप में बैंकों द्वारा नयी पूंजी पर्याप्तता संरचना (बासेल II) को क्रियान्वित करने के लिए अंतिम दिशा-निर्देशों को जारी किया गया है। वर्ष के दौरान ड्राफ्ट विजन दस्तावेज में निर्धारित कार्यविधि के अनुसरण में शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किये गये। वित्तीय सेवाओं की पहुंच को विस्तृत करने, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने और वित्तीय क्षेत्र के विविधीकरण करने में और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने इन इकाइयों को सुदृढ़ बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वर्ष 2006-07 के दौरान रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने और बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने के अपने प्रयासों को भी जारी रखा।

V.2 संवेदी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश वाले चुनिंदा बैंकों में की गई पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया से स्पष्ट है कि सभी बैंकों के स्थावर संपदा में निवेश मुख्यतः वैयक्तिक गृह ऋण में वृद्धि के कारण हुए हैं। विशेषकर विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र ऋण वृद्धि को देखते हुए विवेकपूर्ण मानदंडों में सुधार किया गया। बासेल II ढांचे में सहज ढंग से अंतरण रिजर्व बैंक का ध्यान आकर्षित किए हुए है जैसा कि 31 मार्च 2008 वर्ष से भारत में वाणिज्यिक बैंक बासेल II मानदंडों का कार्यान्वयन शुरू करेंगे। उन बैंकिंग सेवाओं के न्यूनतम मानक उपलब्ध कराने

के लिए 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' को जारी किया गया, जिसकी व्यक्तिगत ग्राहक तार्किक रूप से आशा कर सकता है। वित्तीय उदारीकरण के क्रमिक प्रक्रिया के अंग के रूप में, ऋण व्युत्पन्नियों को अंशांकित ढंग से लागू करना उचित माना गया। ऋण व्युत्पन्नियों सहित ओटीसी व्युत्पन्नी लिखतों को वैध बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए हाल ही में किए गए संशोधनों के संदर्भ में वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में बैंकों एवं प्राथमिक व्यापारियों को एकल-इकाई ऋण चूक अदला-बदली (सिंगल इंटीटी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप) में लेनदेन शुरू करने की अनुमति देने का प्रस्ताव था। मध्यम/निम्न मध्यम आय वर्ग को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका को देखते हुए इन बैंकों को भी मजबूत करने के लिए पहल की गई। ड्राफ्ट विजन डायग्राम में निर्दिष्ट मार्गों पर चलते हुए 12 राज्यों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इन राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्य दल (टीएएफसीयूबी) का भी गठन किया गया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों को मुद्रा तिजोरी खोलने, म्यूचुअल फंड उत्पाद बेचने, विदेशी मुद्रा सेवाएं देने, नए एटीएम खोजने तथा विस्तार पटलों को शाखाओं में परिवर्तित करने की अनुमति मिलने पर वे अपने कारोबार को बढ़ा सके। बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंकों के मामलों में रिजर्व बैंक एवं केंद्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कुल जमा राशियों के लगभग 90 प्रतिशत रखने वाले शहरी सहकारी क्षेत्र के लगभग 83 प्रतिशत बैंक समझौता ज्ञापन के अधीन है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में विनियामक अंतराल को कम करने के लिए विनियामक ढांचे में सुधार किया गया। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी परिभाषित किया गया

और इन इकाइयों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को भी विनिर्दिष्ट किया गया।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए विनियामक ढांचा

V.3 रिजर्व बैंक, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के माध्यम से वाणिज्यिक तथा शहरी सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा प्राथमिक व्यापारियों पर अपनी विनियामक और पर्यवेक्षी भूमिका को निष्पादित करता है। मार्च 2007 के अंत में 82 वाणिज्यिक बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर], (इनमें से नौ को पीडी कारोबार करने की अनुमति दी गई है) 96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1815 शहरी सहकारी बैंक, 7 विकास वित्तीय संस्थाएं, 13,020 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जिसमें से 403 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आम जनता से जमा-राशि स्वीकार करने/ धारण करने की अनुमति दी गई है) और 11 प्राथमिक व्यापारी थे। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने वित्तीय प्रणाली के खंडों पर, जो रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र के अधीन हैं, उन पर अपनी पर्यवेक्षी भूमिका को पूरा करना जारी रखा। बोर्ड के अध्यक्ष गवर्नर हैं तथा उपाध्यक्ष एक उप गवर्नर हैं और अन्य उप गवर्नर एवं केंद्रीय बोर्ड के चार निदेशक इसके सदस्य हैं। राज्य तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में जबकि रिजर्व बैंक नियंत्रक है, पर्यवेक्षण का अधिकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को प्राप्त है। बीमा कंपनियों तथा पारस्परिक निधियों का नियंत्रण, क्रमशः बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है। पर्यवेक्षण के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को वित्तीय तथा पूंजी बाजारों पर एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसीएफसीएम) के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के अध्यक्ष तथा सेबी, आईआरडीए तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

के प्रधान एवं आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव इसके सदस्य हैं।

विवेकपूर्ण मानदंडों को सुदृढ़ बनाना

V.4 वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा खाद्येतर ऋण में लगभग 30 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज करने से बैंक ऋण में 2003-04 से निरंतर उच्च वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। बैंकों के ऋणों और अग्रिमों के पोर्टफोलियो चक्रिय प्रणाली के अनुरूप और सहवर्ती रूप में होते हैं। त्वरित ऋण वृद्धि के दौरान अंतर्निहित जोखिम के स्तर को कम करके आंकने की प्रवृत्ति होती है। उच्च ऋण वृद्धि के आलोक में परिसंपत्ति गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करने और वैयक्तिक ऋण और क्रेडिट कार्ड की प्राप्य राशियों से संबंधित चूक दरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात् वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार निवेशों के योग्य ऋण और अग्रिम, 20 लाख से ऊपर के रिहाइशी आवास ऋण, वाणिज्यिक भू-संपदा ऋण और जमाराशि स्वीकार न करने वाली व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिए जानेवाले ऋण में बैंकों द्वारा मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को मई 2006/जनवरी 2007 में बढ़ाया गया। अब तक की तरह, ये प्रावधान अनुमत सीमा तक पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के पात्र होंगे। संशोधित प्रावधानीकरण अपेक्षाएं शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर भी लागू होंगी।

V.5 व्युत्पन्नियों से संबंधित वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा तथा व्युत्पन्नियों के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक आंतरिक समूह गठित किया। समूह की रिपोर्ट के आधार पर 20 अप्रैल 2007 को व्युत्पन्नियों के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों का संबंध रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नियों से है तथा इनमें व्युत्पन्नी लेन-देन करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, जोखिम-प्रबंधन और अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाएं तथा

गौण बाजार के प्रमुख सक्रिय बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली उपयुक्तता और औचित्य नीति से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन शामिल हैं। विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी के संबंध में दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। वित्तीय उदारीकरण की क्रमिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में ऋण व्युत्पन्नियों को नपे -तुले रूप में शुरू किया जाना उचित समझा गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में किए गए हाल के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में, जो काउंटर पर वाले (ओटीसी) व्युत्पन्नी लिखतों, जिसमें ऋण व्युत्पन्नी शामिल हैं, को वैधता देता है, रिजर्व बैंक के अप्रैल 2007 के वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया कि बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को एकल-इकाई ऋण चूक अदला-बदली (सिंगल इंटीटी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप) में लेन-देन शुरू करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में, मई 2007 में ऋण चूक अदला- बदली पर दिशा- निर्देश जारी कए गए।

V.6 उद्यम पूंजी निधियों में बैंकों के निवेश को विनियमित करनेवाली विवेकपूर्ण रूपरेखा में अगस्त 2006 में संशोधन किया गया। संशोधित रूपरेखा में, उद्यम पूंजी निधियों में बैंकों के निवेश (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) को ईक्विटी के बराबर माना गया है और इसलिए इसकी गणना पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमाओं (ईक्विटी में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी आधारित लिखत की उच्चतम सीमा के साथ-साथ समग्र पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा) के पालन के लिए की गई।

V.7 पूंजी बाजारों में बैंकों के निवेश संबंधी दिशानिर्देशों को आधार और कार्यक्षेत्र के अनुसार अप्रैल 2007 में युक्तियुक्त बनाया गया। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, पूंजी बाजारों में किसी बैंक का एकल या समेकित आधार पर सभी स्वरूपों (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) में किया समग्र निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी निवल मालियत (समेकित बैंक के मामले में समेकित निवल मालियत) के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना

चाहिए। इस समग्र उच्चतम सीमा के अंतर्गत शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश और उद्यम के लिए पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में कुल निवेश बैंक निवल मालियत/समेकित निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

V.8 वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से बैंकों के देयता पक्ष का संकेंद्रण जोखिम परिसंपत्ति पक्ष के संकेंद्रण जोखिम जितना ही महत्वपूर्ण है। जबकि परिसंपत्ति पक्ष पर प्रतिपक्ष के जोखिम संकेंद्रण पर पर्याप्त ध्यान आकर्षित हुआ है और नियामक नीति रिसपांस प्राप्त हुआ है, बैंक के देयता पक्ष पर संकेंद्रण जोखिम को उतना महत्व नहीं दिया गया है। अनियंत्रित देयताओं, विशेष रूप से, अंतर बैंक देयता के प्रणालीबद्ध परिणाम हो सकते हैं, भले ही अलग-अलग प्रतिपक्ष बैंक निर्धारित निवेश के भीतर हों। बैंकों के देयता पक्ष में संकेंद्रण की मात्रा कम करने के क्रम में रिजर्व बैंक ने मार्च 2007 में देयता प्रबंधन की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। तदनुसार, बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनी अंतर बैंक देयताओं के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च को लेखा परीक्षित तुलनपत्र पर आधारित अपनी निवल मालियत के 200 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा के भीतर एक सीमा निर्धारित करें। 11.25 प्रतिशत से अधिक जोखिम भारत परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) वाले बैंकों को 100 प्रतिशत अंक की अतिरिक्त सीमा अर्थात् निवल मालियत के 300 प्रतिशत तक रखने की अनुमति दी गई है। यह सीमा इस तरह निर्धारित की जाएगी कि उसमें केवल अंतर बैंक निधि आधारित देयताएं शामिल की जाएंगी। चूंकि ये सीमाएं भारत के भीतर अंतर-बैंक उधारों के लिए हैं, इसलिए बाहर के अंतर बैंक उधार/देयताएं इसमें शामिल नहीं की जाएंगी। संपार्श्विकीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) के अंतर्गत संपार्श्विकीकृत उधार और नाबार्ड तथा सिडबी के पुनर्वित्त भी इसमें शामिल नहीं

किए जाएंगे। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मांग मुद्रा उधारों की वर्तमान सीमाएं उपर्युक्त सीमाओं के भीतर एक उप-सीमा के रूप में लागू रहेंगी।

वित्तीय क्षेत्र का प्रसार

V.9 वर्ष 2006-07 में, भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपना प्रसार जारी रखा। जून 2007 के अंत तक 16 बैंकों (11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 5 निजी क्षेत्र के बैंक) के पास 188 कार्यालयों (123 शाखाओं, 38 प्रतिनिधि कार्यालयों, 7 संयुक्त उद्यमों और 20 सहायक संस्थाओं) का एक नेटवर्क था।

V.10 कैलेंडर वर्ष 2006 के दौरान रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी बैंकों की 13 शाखाएं खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। 2006-07 (जुलाई 2006-जून 2007) के दौरान भारत में मौजूद तीन विदेशी बैंकों को भारत में 10 शाखाएं खोलने और छह विदेशी बैंकों में से प्रत्येक को मुंबई में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने तथा एक विदेशी बैंक को नई दिल्ली में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई। इसी दौरान, छः विदेशी बैंकों ने भारत भर में अपनी शाखाएं और चार विदेशी बैंकों ने मुंबई में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले हैं। जून 2007 के अंत तक 268 शाखाओं के माध्यम से 29 विदेशी बैंक कार्य कर रहे थे। इसके अलावा, 34 विदेशी बैंक अपने प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से भी कार्य कर रहे थे।

पर्यवेक्षणात्मक पहल

V.11 बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति (बीसीबीएस) ने 'पूँजी मापन और पूँजी मानक का अंतर्राष्ट्रीय अभिसरण : संशोधित रूपरेखा' (जो बासल II के रूप में लोकप्रिय है) नाम का एक दस्तावेज 26 जून 2004 को जारी किया था। बासल II में सहज रूप से अंतरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने एक परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाया और बैंकों, भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) तथा रिजर्व बैंक के

अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संचालन समिति का गठन किया। संचालन समिति और उसके द्वारा बनाए गए उप-समूहों की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने फरवरी 2005 में अभिमत के लिए पूँजी पर्याप्तता की नई रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया। इस संबंध में प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर दिशानिर्देशों के प्रारूप को संशोधित किया गया है और मार्च 2007 में उसे दूसरे दौर के विचार-विमर्श के लिए जारी किया गया है। दूसरे प्रारूप के लिए प्राप्त प्रति सूचना के आधार पर पूँजी पर्याप्तता की नई रूपरेखा (संशोधित रूपरेखा) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और 27 अप्रैल 2007 को उसे जारी किया गया है।

ग्राहक सेवा

V.12 ग्राहक सेवा के प्रति रिजर्व बैंक का व्यापक दृष्टिकोण आम आदमी को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शक्ति संपन्न बनाना तथा इंडियन बैंक एसोसियेशन के माध्यम से बैंकों के साथ परामर्शदायी प्रक्रिया अपनाकर बैंकों में ग्राहक सेवा मजबूत करना है। विशेष रूप से इन पर ध्यान केंद्रित किया गया है (क) ग्राहक सेवा के प्रति बैंकों को जाग्रत करना तथा बैंक के बोर्ड की संलिप्तता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से बैंक की अपनी शिकायत निवारण मशीनरी से संबंधित मामलों में (ख) ग्राहक के साथ सभी सौदों में पारदर्शिता पर जोर देना तथा मूल्यन में उपयुक्तता सुनिश्चित करना (ग) बैंकों द्वारा ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता निभाने के लिए स्वयं बनाई गई संहिताओं को लागू करने के लिए बढ़ावा देना और एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुपालन पर निगरानी रखना अर्थात् भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ); (घ) विवादों को निपटान के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना (ङ) आइबीए द्वारा पहलों को प्रेरित करते हुए जब केवल आवश्यक हो तभी विनियमन/नुस्खों का प्रयोग करना

(च) रिज़र्व बैंक की अपनी प्रणाली और प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना।

V.13 रिज़र्व बैंक में 1 जुलाई 2006 को ग्राहक सेवा विभाग की स्थापना के साथ अब तक रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा सम्हाले जाने वाले बैंकों एवं रिज़र्व बैंक से संबंधित विभिन्न ग्राहक सेवा गतिविधियों को एक छत के नीचे लाया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

V.14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को मजबूत करने के लिए सितंबर 2005 में शुरू की गई उनके विलय की प्रक्रिया 2006-07 में जारी रही। 145 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 45 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलय के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या मार्च 2005 के अंत के 196 से घटकर मार्च 2007 के अंत में 133 एवं मार्च 2007 के अंत में आगे घटकर 96 रह गयी।

V.15 शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की मध्यम वर्गीय/निम्न मध्यम वर्गीय आबादी तक ऋण एवं जमा सुविधाएं पहुंचाकर वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः रिज़र्व बैंक 2006-07 के दौरान नीतिगत पहल यह सुनिश्चित करने के लिए जारी रखे हुए है कि आवश्यकता आधारित बैंकिंग सेवाएं विशेषकर मध्यम तथा निम्न मध्यवर्ग और हाशिए पर पड़े समाज के भाग को उपलब्ध कराने के लिए ये बैंक संयुक्त स्वामित्ववाले, लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित और नीतिपरक रूप में प्रबंधित सुदृढ़ और सक्षम नेटवर्क वाले बैंकिंग संस्थान के तौर पर उभर सकें।

V.16 शहरी सहकारी बैंक को सुदृढ़ करने वाला दृष्टिकोण निम्नलिखित तत्वों पर फोकस करता है (क) जब तक रिज़र्व बैंक को नियामक की स्थिति प्राप्त है, हरेक राज्य में, नए लाइसेंस/नई शाखा प्राधिकरण को रोकना (ख) विकेंद्रित स्तर पर (राज्य) समस्याओं

का परामर्शकारी और सहयोगात्मक समाधान करना जिसमें दोहरे नियंत्रण की समस्या से बचने के लिए सभी पणधारियों का प्रतिनिधित्व हो। (ग) सहमति के माध्यम से लेखा परीक्षा और प्रबंधन का व्यवसायकीकरण (घ) कमजोर बैंकों के निकास के कारण प्रणालीगत प्रभाव को न्यूनतम करने पर जोर देना (ङ) अबाध निकास की सुविधा के लिए विलयन को प्रेरित करना (च) राज्य में शहरी सहकारी बैंक के परिचालन में उदारीकरण/नमनीयता के साथ राज्य सरकारों को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करना (छ) वित्तीय सुदृढ़ता और नियामक सुविधा पर विस्तार की जिम्मेदारी डालना।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

V.17 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तेजी से बैंकिंग प्रणाली के पूरक के रूप में पहचानी जा रही हैं; वित्तीय कठिनाई के समय बढ़ते जोखिम को अवशोषित करने में वे सक्षम हैं। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और यहां तक कि विभिन्न श्रेणियों की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकलापों में विभिन्न स्तर के विनियमों के अनुप्रयोग ने विनियमों के इस असमान व्याप्ति से कुछ मुद्दे ला खड़े किए हैं। वित्तीय क्षेत्र में समतल कार्य क्षेत्र, विनियामक अभिसारिता और विनियामक अंतरपणन से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करने के लिए गठित आंतरिक ग्रुप की सिफारिशों और इस विषय पर प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समग्र विनियमन और बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच संबंध से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक संशोधित ढांचे को रखने का निर्णय किया गया था। इसके आगे, संशोधित ढांचे के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिनकी आस्ति मात्रा 100 करोड़ रुपए और इससे उपर हो, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में परिभाषित की गई हैं।

समष्टि-विवेकपूर्ण संकेतक समीक्षा

V.18 रिज़र्व बैंक मार्च 2000 से समष्टि विवेकपूर्ण संकेतकों (एमपीआइ) का संकलन करता रहा है। इसमें अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं की हैसियत के कुल सूक्ष्म-विवेकपूर्ण संकेतक और वित्तीय प्रणाली की सबलता से संबद्ध समष्टि आर्थिक संकेतक (एमईआई) दोनों शामिल हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष के तत्वाधान में दिसंबर 2005 में वित्तीय सबलता संकेतकों के समन्वित समेकन कार्य में स्वेच्छा से सहभागी बना।

V.19 2006-07 के सूक्ष्म-विवेकपूर्ण संकेतकों की समीक्षा से वित्तीय क्षेत्र के बड़े घटकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में और सुधार के संकेत मिलते हैं। पूँजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम आवश्यकताओं के ऊपर बना रहा। वर्ष के दौरान वित्तीय मध्यस्थों की परिसंपत्ति गुणवत्ता और सुधरी। 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्तियों पर आय पूर्व वर्ष के स्तर पर लगभग अपरिवर्तित बनी रही, जबकि प्राथमिक व्यापारियों की आय में, स्टैंड एलोन प्राथमिक व्यापारियों के बैंक के प्राथमिक व्यापारियों के साथ विलय के कारण, तेज गिरावट दिखी।

संभावनाएं

V.20 रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में घरेलू वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षी पहल करना जारी रखेगा। भारतीय वित्तीय क्षेत्र को सबसे अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों के मानदंड के अनुरूप लाने के उद्देश्य से, भारत के वाणिज्य बैंक मार्च 2008 के अंत से बासेल - II कार्यान्वित करना शुरू करेंगे। बैंकों में जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और बासल-II के लिए बैंकों की तैयारी की स्थिति पर विचार करते हुए नए तुले तौर पर उपाय के रूप में क्रेडिट व्युत्पन्नी शुरू की जा रही है। व्युत्पन्नी के लेखांकन के लिए सिद्धांतों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अविनियमन, उदारीकरण और वित्तीय समूह के प्रादुर्भाव की तेज गति के मद्देनजर बैंकों की संगठनात्मक संरचना, व्यापार प्रक्रिया और जोखिम स्थिति की जटिलताओं पर पर्याप्त ध्यान सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रिया को लगातार अच्छा स्वरूप दिया जा रहा है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचे और सुगमता से बासल II की ओर हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित है और इसके लिए रिज़र्व बैंक के साथ-साथ बैंकों में उपयुक्त क्षमता विकास करने की आवश्यकता होगी। विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ करने के दौरान रिज़र्व बैंक वृहत वित्तीय समावेश और बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उपलब्ध ग्राहक सेवाओं में सुधार के प्रति अपने प्रयासों पर दृढ़ रहेगी।

VI.1 2006-07 के दौरान रिजर्व बैंक की ऋण प्रबंध नीति दो उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होती रही- समय के साथ लागत कम करना और रोल-ओवर जोखिम के अनुरूप परिपक्वता प्रोफाइल का अनुसरण। ऋण प्रबंधन परिचालन ऐसे वातावरण में किए गए जिसमें पहले से मौद्रिक उपायों को सुदृढ़ करने और आय वक्र के उर्ध्वगामी अंतरण की विशेषता शामिल है। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए मांग का एक बड़ा स्रोत वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन के लिए बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से निकला है। राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप 1 अप्रैल 2006 से रिजर्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में भागीदारी करने से मना किया गया। सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध (एफआरबीएम) पश्चात वातावरण में ऋण प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान विशेष उपाय किए गए जैसे मंदड़िया बिक्री की अनुमति, “जब जारी” (हैन इश्यूड) बाजार और प्राथमिक व्यापारियों के लिए हामीदारी प्रतिबद्धता की एक नई संशोधित योजना की शुरुआत। रिजर्व बैंक ने दिनांकित प्रतिभूतियों के यथार्थ समेकन और परिपक्वता प्रोफाइल के दीर्घीकरण की नीति को जारी रखा।

VI.2 केंद्र सरकार का उधार कार्यक्रम, जो गत वर्ष से अधिक था, 2006-07 के दौरान सुगमतापूर्वक पूरा हुआ - यह एफआरबीएम की शर्त के अनुसार प्राथमिक बाजार से रिजर्व बैंक की ना मौजूदगी का प्रथम वर्ष था। इसे बाजार संरचना में सुधार के लिए किए गए सम्मिलित प्रयासों से बल मिला। 2006-07 के दौरान खुले बाजार ऋणों की ब्याज लागत से राजस्व प्राप्त के पूर्वक्रय अधिकार का हास होना जारी रहा। इसी समय बकाया खुले बाजार ऋण के जोखिम

प्रोफाइल में सुधार हुआ जैसा कि औसत भारित परिपक्वता (लगभग 10 वर्ष) और संशोधित अवधि की स्थिरता में परिलक्षित हुआ है। वर्ष के दौरान बाजार उधार की औसत भारित लागत बढ़ी, जिससे ब्याज दर संरचना की तेजी परिलक्षित होती है।

VI.3 2006-07 के दौरान राज्यों के बाजार उधार का विशिष्ट पहलू यह था कि वास्तव में लिया गया उधार आबंटित उधार से कम था। उधार में कमी मुख्यतः नकद शेषों में वृद्धि होने के कारण थी। लघु बचत जमाराशियों में कमी के बावजूद राजकोषीय समेकन पहल और उच्च केंद्रीय अंतरण तथा हस्तांतरण की सुविधा द्वारा 2006-07 में नकद शेष में मजबूती हुई। पहली बार राज्यों ने समूची राशि नीलामी मार्ग द्वारा जुटाई। सामान्यतः केंद्र सरकार के किसी अच्छे प्रतिभूति के अनुषंगी बाजार आय की तुलना में नीलामी में अधिकतम आय का दायरा गत वर्ष से कम रहा था, जो राज्यों के वित्तीय स्थिति की उन्नत बाजार अवधारणा को दर्शाता है।

केंद्र सरकार

VI.4 राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम) 2003 के अनुरूप 01 अप्रैल 2006 से केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में रिजर्व बैंक द्वारा भागीदारी से पीछे हटने के साथ ही सरकार की सहमति से 2006-07 में अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) व्यवस्था में संशोधन किया गया। पिछली व्यवस्था के तहत अर्थोपाय अग्रिम की सीमा अर्धवार्षिक आधार पर तय की गई थी। 2005-06 के लिए वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही (अप्रैल-सितंबर) के दौरान सीमाएं 10,000 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के दौरान 6,000 करोड़ रुपए थीं। नई राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम) के प्रावधानों द्वारा आवश्यक हुई संक्रमण सुविधा के लिए संशोधित व्यवस्था

के तहत 2006-07 के लिए ये सीमाएं छमाही आधार के बजाय तिमाही आधार पर निर्धारित की गईं। तदनुसार, 2006-07 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा क्रमशः 20,000 करोड़ और 10,000 करोड़ रुपए और वर्ष की तीसरी और चौथी प्रत्येक तिमाही के लिए 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गईं। रिजर्व बैंक ने संक्रमणकालीन मामले और प्रचलित परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की सहमति से इन सीमाओं में संशोधन का अधिकार अपने पास रखा। अल्पावधि संदर्भ दर के रूप में रिपो दर के प्रादुर्भाव के मद्देनजर अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर अब तक की तरह बैंक दर के बदले रिपो दर से सहयोजित की गई है। तदनुसार, अर्थोपाय अग्रिम के लिए ब्याज दर रिपो दर पर और ओवरड्राफ्ट के लिए रिपो दरसे दो प्रतिशत बिन्दु अधिक है।

VI.5 2006-07 की दौरान सरकार की चलनिधि की स्थिति कुल मिलाकर सुखद रही। मार्च 2006 के अंत में केंद्र के पास 48,928 करोड़ रुपए (20,000 करोड़ के निवेश शेष के साथ) की राशि का अतिरिक्त नकदी शेष था, जो अप्रैल 2006 के दौरान कम हुआ और केंद्र को मई-अगस्त 2006 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम का आश्रय लेना पड़ा। वर्ष के दौरान 06 जून 2006 को उपयोग की गई अधिकतम अर्थोपाय अग्रिम 11,754 करोड़ रुपए (सीमा का 59 प्रतिशत) थी। तथापि केंद्र ने वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट का सहारा नहीं लिया। 2006-07 के दौरान केंद्र ने 2005-06 के दो दिनों की तुलना में कुल 39 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया। केंद्र ने 07 अगस्त 2006 तक अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया और इसके बाद रिजर्व बैंक के पास अतिरिक्त नकदी शेष बनाए रखा। यह अतिरिक्त नकदी शेष 16 सितंबर, 2006 से 20,000 करोड़ रुपए की निवेश सीमा को पार कर गया। 22 मार्च, 2007 को अतिरिक्त नकदी शेष 77,726 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक उच्चतम सीमा तक पहुंच गया जो भारत सरकार खजाना बिलों

में राज्य सरकारों के निवेश और अग्रिम कर संग्रह में उछाल को दर्शाता है। हालांकि 31 मार्च, 2007 को अतिरिक्त नकदी शेष 50,092 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन गत वर्ष के 48,928 करोड़ रुपए के स्तर से अधिक ही रहा। 2006-07 के दौरान यह अतिरिक्त नकदी शेष एक वर्ष पहले के 25,772 करोड़ रुपए की तुलना में औसत 27,976 करोड़ रुपए था।

VI.6 2007-08 के प्रथम छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा 20,000 करोड़ रुपए और दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के लिए 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गईं। अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर अब तक की तरह रिपो दर से संबद्ध होना जारी रहा। केंद्र ने 50,092 करोड़ रुपए के अतिरिक्त नकदी शेष के साथ वित्तीय वर्ष की शुरुआत की, जो तेजी से समाप्त हो गया और 27 अप्रैल 2007 तक यह घाटे में परिणत हो गया, जो भारत सरकार के खजाना बिलों में राज्यों द्वारा निवेश में अत्यधिक तीव्र कमी, अनुमानित से अधिक खर्च और राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के तहत कम उगाही दर्शाता है। 17-18 मई, 2007 को दो दिनों की अवधि को छोड़कर सरकार का नकद शेष 17 जून, 2007 तक घाटे की स्थिति में रहा। 30 मई, 2007 को नकद घाटा अर्थोपाय अग्रिम के 20,000 करोड़ रुपए की सीमा पार कर गया और 08 जून, 2007 तक ओवरड्राफ्ट स्थिति में रहा। कैलेंडर के बाहर 12 जून, 2007 को 5,000 करोड़ रुपए राशि की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी, राज्यों द्वारा भारत सरकार के खजाना बिलों में पुनः निवेश शुरू करने के साथ अप्रैल-जून तिमाही में अग्रिम कर अन्तर्वाह और 6-27 जून 2007 के दौरान छः अवसरों पर 27,500 करोड़ रुपए राशि की 91 दिवसीय और 182 दिवसीय खजाना बिलों के अतिरिक्त निर्गमन ने 18 जून, 2007 से सरकार के अतिरिक्त नकदी शेष को मजबूत किया। भारतीय स्टेट बैंक का स्टेक रिजर्व बैंक से सरकार को हस्तांतरण के

साथ, जिसमें 29 जून, 2007 को 35,531 करोड़ रुपए का बाह्य प्रवाह शामिल है सरकार का नकद शेष पुनः घाटे में बदल गया और 8 अगस्त 2007 तक यही स्थिति बनी रही। 9 अगस्त 2007 को रिज़र्व बैंक से अतिरिक्त नकदी अंतरण के कारण भारत सरकार का नकदी शेष अधिशेष के स्वरूप में वापस लौटा। गत वर्ष के विपरीत, जब सरकार ने कभी ओवरड्राफ्ट का सहारा नहीं लिया था, वर्ष 2007-08 (10 अगस्त, 2007 तक) के दौरान तीन अवसरों पर सरकार ने ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 39 दिनों की तुलना में सरकार ने अब तक वर्ष 2007-08 के दौरान 90 दिन के अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग किया।

VI.7 2006-07 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निवल बाजार उधार राशियां 1,06,916 करोड़ रुपए रही, जो 2005-06 के दौरान 95,370 करोड़ रुपए की तुलना में 12.1 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। 2006-07 में सकल बाजार उधार राशि कुल 1,46,000 करोड़ रुपए रही (2005-06 के दौरान 1,31,000 करोड़ रुपए से 11.5 प्रतिशत अधिक)। 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों द्वारा किया गया कुल अभिदान (डिवाल्वमेंट) 5,604 करोड़ रुपए था; 2005-06 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों या रिज़र्व बैंक द्वारा कोई अधिदान (डिवाल्वमेंट) नहीं किया गया था।

VI.8 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के यथार्थ समेकन और परिपक्वता प्रोफाइल के दीर्घीकरण की नीति को जारी रखा। 2006-07 में कुल निर्गमित प्रतिभूतियों में से पुनर्निर्गमित प्रतिभूतियों का अंश 90.4 प्रतिशत था (गत वर्ष 97.7 प्रतिशत)। बिड-टू-कवर अनुपात (बीसीआर) द्वारा मूल्यांकित अनुसार 2006-07 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों के लिए बाजार प्रतिक्रिया पिछले वर्ष से अधिक अनुकूल थी।

VI.9 दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत प्रतिशत 2005-06 के दौरान 7.34 और 2004-05 के दौरान 6.11 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 के दौरान 7.89 प्रतिशत हो गया, जिससे ब्याज दर ढांचे की कठोरता परिलक्षित होती है। वर्ष के दौरान प्रतिफल में वृद्धि के बावजूद सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक पर भारत औसत कूपन की दर की, मार्च 2002 के अंत में 10.84 प्रतिशत और मार्च 2006 के अंत में 8.75 प्रतिशत से 31 मार्च 2007 को 8.55 प्रतिशत तक गिरते हुए अधोगामी प्रवृत्ति जारी रही। 2006-07 के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत अवधिपूर्णता 14.72 वर्ष थी, वह 2005-06 के दौरान 16.90 वर्षों से कम थी परंतु वह 2001-02 से 2004-05 के दौरान के काफी करीब थी। तथापि, बकाया भाग की भारत औसत परिपक्वता मार्च 2002 के अंत में 8.20 वर्ष से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 9.92 वर्ष और 31 मार्च 2007 तक 9.97 वर्ष हो गई।

VI.10 2006-07 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में प्राथमिक निर्दिष्ट प्रतिफल और समान परिपक्वता की दिनांकित प्रतिभूतियों की प्रचलित द्वितीयक बाजार प्रतिफल के बीच का अंतर (-) 3 और 14 आधार अंकों के बीच था। तथापि, अधिकतर निर्गमों का (दिनांकित प्रतिभूतियों की 30 नीलामियां में से 22) कीमत-लागत अंतर ((-)3 और 6 आधार अंकों के बीच) काफी कम था, जो प्राथमिक नीलामियों में अच्छी कीमत की खोज दर्शाता था।

VI.11 उच्च लागतवाले कर्ज के शेयर में 2006-07 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। 8 प्रतिशत से अधिक के ब्याज वाले बकाया ऋणों का हिस्सा एक वर्ष से पहले के 49.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 के अंत में 46.6 प्रतिशत हो गया। मार्च 2007 के अंत में कर्ज के बकाया स्टॉक का 45 प्रतिशत 6.00-7.99 प्रतिशत (जो एक वर्ष पूर्व 36.4 प्रतिशत था) पर आ गया।

VI.12 वर्ष 2006-07 के दौरान बीमा कंपनियों ने सर्वाधिक और उसके बाद वाणिज्यिक बैंकों ने दिनांकित प्रतिभूतियों के नए निर्गमों के अधिकांश अंश का अवशोषण जारी रखा, जो उनकी बढ़ी हुई निवेश आवश्यकता को परिलक्षित करता है। पिछले तीन वर्षों में उनके शेयरों में निरंतर हास के बावजूद वाणिज्यिक बैंकों ने मार्च 2007 के अंत में दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक में सर्वाधिक अंश का अवशोषण जारी रखा।

राज्य सरकारें

VI.13 राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट संबंधी गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष : श्री एम.पी. बेजबरुआ) की सिफारिशों के अनुसार 2006-07 से संशोधित अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट योजना लागू की गई है। वर्ष 2006-07 के लिए राज्य सरकारों की कुल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा को 10.5 प्रतिशत बढ़ाकर 9,875 करोड़ रुपए किया गया। सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की ब्याज दरों को रिपो रेट से जोड़ा गया। इसके अलावा, राज्य सरकारों को समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) जुटाने हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन निधियों में किए गए अतिरिक्त वार्षिक निवेश को विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा हासिल करने के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा के अंतर्गत पात्र माना गया रखा गया।

VI.14 वर्ष 2006-07 के दौरान सामान्य अर्थोपाय अग्रिम, विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के औसत दैनिक उपयोग में कमी आई। वर्ष 2006-07 के दौरान आठ राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया जबकि पिछले वर्ष 12 राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया। पिछले वर्ष आठ राज्यों ने ओवरड्राफ्ट का उपयोग किया था जबकि वर्ष 2006-07 के दौरान दो राज्यों ने इसका उपयोग किया। अर्थोपाय अग्रिम के उपयोग में आई इस गिरावट से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकारों के पास लगातार नकदी अधिशेष जमा हो रहा है और परिणामस्वरूप उनकी चलनिधि स्थिति में सुधार हुआ है।

VI.15 उच्च मूल्य के एनएसएसएफ के अंतर्गत स्वयंमेव प्राप्त होने वाली निधि की मात्रा में आई मंदी के बावजूद वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों ने कर और अनुदानों के माध्यम से अधिक राशि के केंद्रीय अंतरण और वित्तीय समेकन उपाय अपनाकर अच्छी मात्रा में नकदी अधिशेष राशि जुटाना जारी रखा। राज्य सरकारों के नकदी अधिशेष का 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में अपने आप निवेश हो जाता है। वर्तमान में इन खजाना बिलों का डिस्काउंट दर 5 प्रतिशत है। 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों पर (50 आधार अंकों के भार के साथ) रिजर्व बैंक में पुनः डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है किंतु नीलामी खजाना बिलों पर रिजर्व बैंक में पुनः डिस्काउंट प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। एक ओर राज्यों (22 राज्य) द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में मार्च 2007 के अंत तक 45,769 करोड़ रुपए का उल्लेखनीय निवेश किया गया जो मार्च 2006 के अंत में (22 राज्यों द्वारा) किए गए 38,983 करोड़ रुपए के निवेश से 17 प्रतिशत अधिक था, तो दूसरी ओर नीलामी खजाना बिलों में मार्च 2007 के अंत तक राज्य सरकारों ने 34,186 करोड़ रुपए का निवेश किया जो मार्च 2006 के अंत में किए गए 12,883 करोड़ रुपए के निवेश से उल्लेखनीय रूप से 165 प्रतिशत अधिक था। इसका श्रेय राज्य सरकारों के पास लगातार जमा हो रही नकदी अधिशेष राशि और नीलामी खजाना बिलों में हुए अपेक्षाकृत ऊंचे लाभ (लगभग 7-8 प्रतिशत) को दिया जा सकता है। मासिक औसत देखा जाए तो यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2005-06 के दौरान (14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों और नीलामी खजाना बिलों को मिलाकर कुल 41,066 रुपए के कुल निवेश की तुलना में 2006-07 के दरम्यान 63,995 रुपए का निवेश हुआ।

VI.16 राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के लिए गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री.एम.पी. बेजबरुआ) की सिफारिशों के अनुसरण में वर्ष के अंत में 2006-07 के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की राज्यवार सीमाओं की समीक्षा की गई और यह निष्कर्ष

निकाला गया कि चूंकि (i) 2006-07 के दरम्यान राज्य सरकारों ने अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग कम किया है; (ii) बारहवें वित्त आयोग की अपेक्षानुसार वित्तीय वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण राज्य सरकारों की स्थिति सुधरी है और इसके परिणामस्वरूप परिवर्तनकाल का अंत होने के संकेत मिल रहे हैं और (iii) 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों की सुदृढ़ चलनिधि स्थिति की अपेक्षा की गई है। तदनुसार यह निर्णय लिया कि वर्ष 2007-08 के लिए राज्यवार सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा में कोई परिवर्तन न किया जाए। वर्ष 2007-08 के लिए इस योजना के अन्य नियम और शर्तें भी यथावत् रहेंगी।

VI.17 वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक राज्यों की चलनिधि स्थिति संतोषजनक रही है। वर्ष 2007-08 के दौरान (31 जुलाई, 2007 तक) 14 दिवसीय खजाना बिलों में राज्यों का औसत दैनिक निवेश 35,683 करोड़ रुपए रहा जो व्यापक रूप से पिछली वर्ष की इसी अवधि में किए गए निवेश के उसी स्तर पर है। दूसरी ओर वर्ष 2007-08 (31 जुलाई, 2007) के दौरान राज्यों का नीलामी खजाना बिलों में साप्ताहिक औसत निवेश 34,791 करोड़ रुपए रहा जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 16,919 करोड़ रुपए था। कुछ राज्यों को जो 2006-07 के दरम्यान खजाना बिलों में निवेश के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त राशि नहीं जुटा पाए, उन्हें अपनी अस्थायी नकदी कमी को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक की अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट सुविधा का सहारा लेना पड़ा। वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक (31 जुलाई, 2007 तक) सात राज्यों ने सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सुविधा का उपयोग किया जिनमें से तीन राज्यों ने दो सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए इसका उपयोग किया और साथ ही ओवर-ड्राफ्ट का भी सहारा लिया। वर्ष 2007-08 के दरम्यान (31 जुलाई, 2007 तक) राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का औसतन साप्ताहिक उपयोग 763 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह औसत 255 करोड़ रुपए था।

VI.18 वर्ष 2006-07 के दौरान बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए 17,242 करोड़ रुपए की निवल राशि अनंतिम रूप से आबंटित की गई थी। 6,551 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान और 2,804 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन से वर्ष 2006-07 के दौरान सकल आबंटन 26,597 करोड़ रुपए हो गया। राज्य सरकारों ने 2006-07 में कुल 20,825 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जबकि पिछले वर्ष यह राशि 21,729 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2006-07 के दौरान समस्त राशि नीलामी माध्यम से जुटाई गई जबकि पिछले वर्ष यह राशि 48.5 प्रतिशत और 2004-05 में 2.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2006-07 के दौरान छः राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और उड़ीसा) ने बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया और दो राज्यों यथा: गोवा और त्रिपुरा ने अपने पूर्ण आबंटन का उपयोग नहीं किया।

VI.19 वर्ष 2006-07 के दरम्यान राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का भारित औसत लाभ 47 आधार बिंदु पर स्थिर हुआ और 8.10 प्रतिशत तक पहुंचा जो केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ के समरूप रहा, जिससे ब्याज दर में हो रही सामान्य वृद्धि प्रतिबिंबित हुई। वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की नीलामी में अधिकतम प्रतिफल 7.65-8.66 प्रतिशत के बीच रहा। यह प्रतिफल द्वितीयक बाजार में भारत सरकार की समरूप परिपक्वता अवधि वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के लाभ की तुलना में 12 से 52 आधार बिंदु अधिक थे।

VI.20 मार्च 2007 के अंत तक 70.3 प्रतिशत बकाया प्रतिभूति ऋण का ब्याज दर 9 प्रतिशत से कम था (एक वर्ष पहले 65.6 प्रतिशत)। मार्च 2007 के अंत तक राज्य सरकारों के लगभग दो-तिहाई बकाया प्रतिभूति ऋण की परिपक्वता अवधि 6-10 वर्ष के बीच थी।

संभावनाएं

VI.21 वर्ष 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से खुले बाजार से ली जाने वाली उधार कार्यक्रम की राशि पिछले वर्ष जुटायी गई वास्तविक राशि से कुछ अधिक रखी गई है। पिछले वर्ष की भांति 2007-08 के दौरान भी बाजार-विकास प्रक्रिया को जारी रखा गया है और क्रियाशील समेकन, स्ट्रिप्स का उपयोग, अस्थिर दर वाले बॉण्ड तथा मुद्रा-स्फीति सूची में शामिल बॉण्ड का पुनः उपयोग आदि उपाय अपनाए जाने की

संभावना है। आशा की जाती है कि इन उपायों से ऋण प्रबंधन परिचालन की कार्य शैली बेहतर बनेगी। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की तरलता में वृद्धि करने और उनके बाजार उधार परिचालन को सुचारू बनाने के प्रयासों से न्यूनतम लागत पर निधियों को प्राप्त करने में सुविधा होगी। विभिन्न नीति प्रयासों के प्रभाव को देखते हुए आशा की जाती है कि वर्ष 2007-08 के लिए संयुक्त सरकारी उधार कार्यक्रम को ऋण प्रबंधन के लक्ष्यों के अनुसार सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा।

VII

मुद्रा प्रबंध

VII.1 अच्छी गुणवत्ता के बैंक नोट तथा सिक्कों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना भारतीय रिज़र्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस उद्देश्य के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ बैंक नोटों की आम जनता की मांग को पूरा करने के उपाय जारी रखे। बैंक नोटों की मांग लगभग पूरी हो गई। निरंतर प्रयासों के चलते 10 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मुद्रा तिजोरियों में नोट प्रोसेसिंग व्यवस्था को विभिन्न मुद्रा तिजोरियों में सॉर्टिंग मशीनें लगाकर आगे बढ़ाया गया। लखनऊ के नए उप कार्यालय में छः मुद्रा सत्यापन और संसाधन प्रणाली (सीवीपीएस) की स्थापना करके गंदे नोटों की निपटान क्षमता बढ़ाई गई है। इसके साथ, रिज़र्व बैंक के 19 कार्यालयों में कुल 54 सीवीपीएस, 28 श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग प्रणालियां लगाई गई हैं।

संचलन में बैंक नोट

VII.2 वर्ष 2006-07 के दौरान संचलन में बैंक नोटों का मूल्य 17.5 प्रतिशत तक (वर्ष 2005-06 के दौरान 16.8 प्रतिशत) बढ़ गया। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में आम जनता के पास मुद्रा का अनुपात, विगत वर्षों में लगातार बढ़कर, मार्च 1990 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 9.5 प्रतिशत से मार्च 2006 के अंत में 11.6 प्रतिशत और पुनः मार्च 2007 के अंत में 11.7 प्रतिशत हो गया है। व्यापक मुद्रा (एम₃) की तुलना में आम जनता के पास मुद्रा का अनुपात विगत कुछ वर्षों के दौरान धीरे-धीरे घटती हुई प्रवृत्ति को जारी रखते हुए मार्च 2006 के अंत में 15.1 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 के अंत में 14.6 प्रतिशत हो गया।

VII.3 बैंक नोटों की संख्या वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़कर (एक वर्ष पूर्व 2.3 प्रतिशत) 5.2

प्रतिशत हो गई। इस प्रकार बैंक नोटों की संख्या में वृद्धि, मुख्यतः उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों, खासकर 1000 रुपए और 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों के प्रति क्रमिक संरचनात्मक बदलाव के कारण, मूल्य की तुलना में पर्याप्त रूप से कम रही। जबकि वर्ष 2006-07 के दौरान 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या में 23.6 प्रतिशत तक (एक वर्ष पूर्व 19.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, 1000 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या में 45.7 प्रतिशत तक (एक वर्ष पूर्व 52.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चलन में और नए नोट डालने के लगातार प्रयासों के कारण 10 रुपए के बैंक नोटों की संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की संख्या में वर्ष के दौरान कमी आई जबकि 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की संख्या प्रायः वर्ष 2005-06 के स्तर पर ही बनी रही।

मुद्रा परिचालन

VII.4 रिज़र्व बैंक ने आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोट उपलब्ध कराने के अपने प्रयास को जारी रखा। इस उद्देश्य से नये नोटों की नियमित आपूर्ति, गंदे बैंक नोटों के तेजी से निपटान, और नकदी संसाधन गतिविधि को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया। हाल की अवधि में, बैंक नोटों के स्टैपल किए जाने की प्रथा को रोक देने से बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार को बल मिला है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आम जनता को केवल स्वच्छ नोट ही जारी करें तथा स्टैपल न किए गए स्थिति में गंदे नोटों को मुद्रा तिजोरियों के माध्यम से रिज़र्व बैंक को परेषित करें। बैंक नोटों की चलन आयु बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और रिज़र्व बैंक इस संबंध में विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रहा है।

नये बैंक नोटों का मुद्रण

VII.5 संख्या तथा मूल्य दोनों के अनुसार, मुद्रण प्रेसों से बैंक नोटों की आपूर्ति में पिछले वर्ष की तीव्र गिरावट की तुलना में वर्ष 2006-07 में सुधार हुआ है। संख्या के मामले में कुल आपूर्ति वर्ष 2006-07 के दौरान 64 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि मूल्य के मामले में कुल आपूर्ति वर्ष के दौरान 115 प्रतिशत तक बढ़ी। वर्ष 2006-07 के दौरान माँग-पत्र की संख्या की दृष्टि से 99.8 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 99.0 प्रतिशत की कुल आपूर्ति की गई। माँगपत्र की तुलना में 20 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की कम आपूर्ति इस कारण से रही कि नई / अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के साथ इस मूल्यवर्ग के नोटों का मुद्रण वर्ष 2006-07 के दौरान देरी से शुरु हुआ।

बैंक नोटों की नई/अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएँ

VII.6 बैंक नोटों में आम जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को लागू किए जाने की समय-समय पर समीक्षा की है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005-06 के दौरान कई नई/अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के लागू किए जाने के साथ 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना प्रारंभ किया। इनमें (क) 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों में हरे से नीले रंग में बदलाव के साथ अधातुकृत, चुम्बकीय और मशीन के पढ़ने योग्य जालीदार सुरक्षा धागा, (ख) उन्नत उत्कीर्ण मुद्रण, (ग) वानस्पतिक अभिकल्प के बदले मूल्यवर्गीय संख्या को शामिल करते हुए आर-पार देखने योग्य उन्नत विशेषता, और (घ) वाटरमार्क विण्डों में महात्मा गाँधी के चित्र के किनारे मूल्यवर्गीय संख्यावाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क शामिल है। नई/अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के साथ महात्मा गाँधी श्रृंखला 2005 में सभी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के

जारी करने की प्रक्रिया 16 अगस्त 2006 को 20 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करने के साथ वर्ष 2006-07 के दौरान पूरी हुई। बैंक नोटों पर नई/अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के साथ चित्रात्मक ब्योरेवाले पोस्टर आम जनता को शिक्षित करने के लिए सभी बैंकों को उपलब्ध कराए गए हैं। रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया गया है कि वे संगठनों जैसे रेलवे और पुलिस के प्राधिकारियों के माध्यम से तथा पोस्टरों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करके स्थानीय स्तर पर इन सुरक्षा विशेषताओं के प्रति आम जनता में जागरूकता पैदा करें। नए बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं से संबंधित विस्तृत ब्यौरा रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

स्टार श्रृंखला के बैंकनोट जारी किया जाना

VII.7 रिजर्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के मूल्यवर्ग में स्टार श्रृंखला के बैंकनोट जारी करना प्रारंभ किया। स्टार श्रृंखला के बैंक नोट ठीक महात्मा गाँधी श्रृंखला वाले पहले के बैंक नोट जैसे ही दिखते हैं लेकिन उनमें क्रम संख्या और उपसर्ग के बीच संख्या पैनल में एक अतिरिक्त विशेषता अर्थात् *(स्टार) होती है। स्टार श्रृंखला वाले नोटों के पैकेट सामान्यतः 100 की संख्या में होते हैं यद्यपि वे क्रमानुसार नहीं होते हैं। स्टार श्रृंखला प्रणाली, प्रिंटिंग प्रेसों में प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने तथा पुनर्स्थापन गतिविधि में लगे श्रम को कम करने में सहायता करती है। स्टार श्रृंखला संख्यांकित नए नोट/ नोटों वाले पैकेटों के बैण्ड पैकेटों में ऐसे बैंक नोटों की उपस्थिति का स्पष्ट संकेत देते हैं।

मुद्रा प्रबंध का कंप्यूटरीकरण

VII.8 रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के निर्गम विभागों में एक समेकित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली

(आइसीसीओएमएस) स्थापित करने का कार्य किया है। इस परियोजना में सक्रिय निगरानी में सुरक्षित तरीके से और तुरंत, सक्षम और दोष-मुक्त रिपोर्टिंग और मुद्रा तिजोरी लेन-देनों के लेखांकन तथा निर्गम विभागों और केंद्रीय कार्यालय के बीच सूचनाओं के अबाध प्रवाह के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु कंप्यूटरीकरण तथा रिजर्व बैंक के कार्यालयों के साथ मुद्रा तिजोरियों की नेटवर्किंग भी शामिल है। रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों ने मुद्रा तिजोरी रिपोर्टिंग प्रणाली (सीसीआरएस) और समेकित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली -आईडी (आइसीसीओएमएस-आईडी) घटक के मुद्रा तिजोरी लेखांकन मॉड्यूल (सीएमएम) पर लाइव-रन शुरू किया। एक बार जब ये दो घटक पूरा कर लिए जाने पर केंद्रीय कार्यालय के मुद्रा प्रबंध विभाग (डीसीएम)

में मुद्रा प्रबंध सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसका परीक्षण पहले ही शुरू किया जा चुका है।

संभावनाएं

VII.9 रिजर्व बैंक, देश में सक्षम ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के बैंक नोट और सिक्कों की पर्याप्त आपूर्ति के माध्यम से की दृष्टि से अपने मुद्रा प्रबंध को संचालित करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक, बैंक नोटों की संचलन आयु में वृद्धि के लिए विभिन्न विकल्प ढूंढने के अपने प्रयास जारी रखेगा। परिचालन दक्षता में वृद्धि की दृष्टि से प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विवेकसम्मत बनाने तथा मुद्रा प्रबंध में अंतरराष्ट्रीय न्यूनतम मानदंडों को स्थापित करने के प्रयत्न भी किए जाएंगे।

VIII

भुगतान और निपटान प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी

VIII.1 प्रौद्योगिकी और संप्रेषण संबंधी बुनियादी सुविधाओं में तेज और लगातार हो रहे नवोन्मेष और भुगतान के विभिन्न प्रकारों से उसके समन्वयन से भुगतान और निपटान प्रणालियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली में अधिक कार्यकुशलता लाने की ओर बढ़ते समय इन नवोन्मेषों ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रणालियों में समन्वय आवश्यक बना दिया है। अतः रिज़र्व बैंक ने 2006-07 के दौरान जोखिम कम करने के लिए कदम उठाते हुए देश में कार्यकुशल और समन्वित भुगतान और निपटान प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इसके अलावा, हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक और वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र दोनों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रयोग में विभिन्न बैंकिंग कार्यों में तेज विस्तार हुआ है। आईटी विकास से लेनदेन की भारी मात्रा की प्रक्रिया भी कार्यकुशल और विश्वसनीय तरीके से हो जाती है।

VIII.2 भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी विभिन्न पहलों का मुख्य बल भुगतान प्रणाली के इलेक्ट्रॉनिकीकरण और उपयुक्त कानूनी और प्रौद्योगिकीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर था। आरटीजीएस प्रणाली का टर्नओवर तेजी से बढ़ा है जिसका कारण भारी मूल्य के समयबद्ध महत्वपूर्ण भुगतानों का इस प्रणाली में आना तथा आरटीजीएस नेटवर्क का अधिक बैंक शाखाओं को कवर करना था। पेपर आधारित समाशोधन प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन प्रणाली भी बनाई है। भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक संसद में रखा गया है। वह अधिनियमित हो जाने पर रिज़र्व बैंक को भुगतान और निपटान प्रणालियों की निगरानी का औपचारिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक में हुई आईटी संबंधी

गतिविधियों के संबंध में उद्यम समावेशक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा। आईटी प्रणाली के कार्यक्षम उपयोग और कारोबारी निरंतरता प्रदान करने की दृष्टि से अत्याधुनिक डाटा केंद्र गठित किए जा रहे हैं। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान वर्ष के दौरान इन्फिनेट और राष्ट्रीय वित्तीय स्वचालन के प्रबंधन के अलावा बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रमाणीकरण प्राधिकारी संबंधी अपने कार्य करता रहा है।

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड

VIII.3 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की समिति के रूप में मार्च 2005 में किया गया था जिसे देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के सहज विकास और कार्यप्रणाली का दायित्व सौंपा गया है। बोर्ड के विशिष्ट निर्देशों में निम्न बातें शामिल हैं : (i) कागज आधारित निधि अंतरण से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में जाने के लिए रोडमैप तैयार करना; (ii) तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) युक्त सभी शाखाओं को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के तहत लाना; (iii) पड़ोसी देशों (विशेष रूप से नेपाल) के साथ कम लागत की सीमापारीय प्रेषण प्रणाली की स्थापना की व्यवहार्यता का पता लगाना; (iv) चेक ट्रंकेशन प्रणाली में सहभागी होने के लिए छोटे बैंकों को सहायक सदस्यता देने वाले कुछ बड़े बैंकों की व्यवहार्यता का अध्ययन; (v) आरटीजीएस प्रणाली का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव; (vi) चुनिंदा देशों में भुगतान प्रणाली का अध्ययन करना ताकि भारत के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त हो; और (vii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अधिक उपयोग के लिए कार्यनीतियों में से एक के रूप में क्रेडिट/डेबिट/प्रिपेड कार्डों को प्रोत्साहन देना।

भुगतान और निपटान प्रणाली में गतिविधियां

VIII.4 मूल्य के संदर्भ में विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों में वार्षिक कारोबार 2006-07 में 37.5 प्रतिशत बढ़ा (2005-06 में 44.2 प्रतिशत)। जीडीपी के अनुपात के रूप में मात्रा के संदर्भ में वार्षिक कारोबार 2003-04 के 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 10.3 प्रतिशत हो गया। टर्नओवर में वृद्धि का कारण मुख्यतः वित्तीय बाजार की गतिविधियां बढ़ना कहा जा सकता है जिससे वित्तीय बाजार के विभिन्न घटकों को व्यापक और गहन बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय प्रदर्शित होते हैं। 2006-07 में कारोबार में हुई वृद्धि में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली आगे थी; अब प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली घटक में हुआ कारोबार कुल कारोबार के 80 प्रतिशत से भी अधिक है। प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली के विभिन्न घटकों में मूल्य के संदर्भ में आरटीजीएस का भाग सर्वाधिक (50 प्रतिशत से अधिक) था जिसके बाद विदेशी मुद्रा समाशोधन और उच्च मूल्य वाले समाशोधन का स्थान था। आरटीजीएस प्रणाली का टर्नओवर मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टि से तेजी से बढ़ता रहा (2005-06 की 183 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि की तुलना में 2006-07 में परवर्ती में 60 प्रतिशत वृद्धि)। आरटीजीएस में वृद्धि का कारण मुख्यतः बड़े मूल्य के टाइम क्रिटिकल भुगतानों का इस प्रणाली में आना और आरटीजीएस नेटवर्क में अधिक बैंक शाखाओं का कवर होना कहा जा सकता है।

VIII.5 समन्वित लेखांकन प्रणाली के साथ आरटीजीएस के समन्वयन से रिज़र्व बैंक में रखे चालू खातों से आरटीजीएस निपटान खातों में और उससे विपरीत ऑन लाइन निधि अंतरण सुविधा के प्रावधान की व्यवस्था हुई है। इस समन्वय से आरटीजीएस मुंबई में बहुविध निवल निपटान बॅच मोड के माध्यम से सीसीआइएल-परिचालित समाशोधन (अंतर बैंक

सरकारी प्रतिभूतियां, अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय, सीबीएलओ और राष्ट्रीय वित्तीय स्वच) के निपटान भी सुगम हो गए हैं। आरटीजीएस - समन्वित लेखा प्रणाली का प्रतिभूति निपटान प्रणाली के साथ समन्वय होने से सहभागियों की पात्रता के अनुसार स्वचलित आंतरदिवसीय चलनिधि उपलब्ध हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी

VIII.6 रिज़र्व बैंक के दैनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है जिसका लक्ष्य कार्यक्षमता के लाभ प्राप्त करना है। रिज़र्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी का गहन प्रयोग उन अत्याधुनिक डाटा केंद्रों की स्थापना से दिख जाता है। रिज़र्व बैंक तीन डाटा केंद्र स्थापित कर रहा है जो प्रणाली का समेकन और केंद्रीकृत डाटा प्रक्रिया को समर्थ बनाने के अलावा किसी आकस्मिकता के समय कारोबार की निरंतरता और समस्या को कम करने में भी सहायता करेंगे। डाटा केंद्रों की स्थापना से प्रणाली का वर्तमान में फैले हुए सेटअप से डाटा केंद्र में केंद्रीकृत सुदृढ़ता की स्थिति में अंतरण हो जाएगा। केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस) प्रणाली और प्रलेख प्रबंधन सूचना प्रणाली (डीएमआइएस) नए सेटअप में अंतरित हो रही है जबकि केंद्रीकृत सार्वजनिक लेखा विभाग प्रणाली के अंतरण का कार्य जारी है, अन्य प्रणालियां अंतरण के विभिन्न चरणों में हैं।

रिज़र्व बैंक में प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन

VIII.7 रिज़र्व बैंक के आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाकारी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बाद तीन पहलूयुक्त दृष्टिकोण सामने आया है। इसमें निम्न बातें शामिल हैं: (क) डाटा केंद्रों में सुगम अंतरण सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकृत पहुंच के साथ केंद्रीकरण दृष्टिकोण का अनुपालन, (ख) बैंक के प्रत्येक कार्यालय में डेस्कटॉप पर विश्लेषणात्मक और निर्णय सहायता की सुविधाएं और ऑनलाइन लेनदेन प्रक्रिया के लिए

क्षमता प्रदान करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और (ग) सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रिया के वातावरण में सुरक्षा का उच्च स्तर लागू करना।

VIII.8 रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों के क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :

- मुंबई में जमा लेखा विभाग तत्कालीन बेसिस (BASIS) प्रणाली के स्थान पर नई समन्वित लेखांकन प्रणाली (आइएएस) के प्रयोग के लिए उसमें अंतरित हो गया है।
- नई केंद्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली और हैदराबाद में कार्यरत की गई है।
- तीन वर्षों से कार्यरत केंद्रीकृत लोक ऋण कार्यालय का उन्नयन किया गया है ताकि ऋण प्रबंधन नीतियों की परिवर्तनशील आवश्यकताएं पूरी हो सकें।
- समन्वित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंधन प्रणाली 2006-07 में शुरू की गई जिसमें देश की मुद्रा तिजोरियों के 90 प्रतिशत से अधिक और लिंक कार्यालयों में से 92 प्रतिशत से अधिक मुद्रा नोटों की गतिविधि की रिपोर्टिंग इस प्रणाली के माध्यम से करते हैं।

VIII.9 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के बेहतर प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए इन प्रणालियों को मजबूत बनाने की आवश्यकता से डाटा केंद्रों की आवश्यकता निर्माण होती है। डाटा केंद्र कारोबार की निरंतरता का भी ध्यान रखते हैं जिनमें रिकवरी समय के उद्देश्य सामान्य मानकों से आगे, निकल जाते हैं और रिकवरी प्रक्रिया के उद्देश्य में शून्य डाटा हानि के स्तर आवश्यक होते हैं। इस दृष्टि से प्रणालियों

की उच्च उपलब्धता डाटा केंद्रों को उपलब्ध कराई जा रही है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय मंच उपलब्ध कराने के अलावा अपटाइम इंस्टीट्यूट के टियर IV मानकों के अनुरूप भी होगा।

संभावनाएं

VIII.10 रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों में एक सुरक्षित तरीके से अधिक कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के अपने लक्ष्य पर कार्यरत रहेगा। आगामी वर्षों में भुगतान और निपटान के इलेक्ट्रॉनिक साधनों को प्रोत्साहित करते हुए विद्यमान भुगतान प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुछ पड़ोसी देशों के बीच प्रेषण सुविधा के लिए बुनियादी सुविधाएं निर्मित करने के प्रयास जारी रहेंगे। ग्राहक सेवा को समयबद्ध, सस्ती और विश्वसनीय बनाने की दृष्टि से भुगतान और निपटान प्रणालियों की वार्षिक समीक्षा का प्रस्ताव है जो 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष से शुरू होगा। समीक्षा का आधार ग्राहक सेवा की समयबद्धता, परिचालन लागत, सेवा प्रभार और वित्तीय प्रणाली पर समग्र प्रभाव के मानदंड होंगे।

VIII.11 रिज़र्व बैंक आईटी के व्यापक और समग्र उपयोग से संगठन के भीतर अधिक परिचालनात्मक कार्यक्षमता लाने के अपने प्रयास अधिक गहन करेगा। इस संदर्भ में, डाटा केंद्रों की स्थापना से कार्यमूलक इकाइयां अपने कारोबार से संबंधित कार्यों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उन पहलुओं पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगी जो डाटा केंद्रों द्वारा केंद्रीय रूप से प्रबंधित किए जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र के प्रौद्योगिकी विज्ञान दस्तावेज की समीक्षा वित्तीय प्रणाली की गतिविधियों के आधार पर की जाएगी।

IX.1 बाहरी परिवेश में लगातार हो रहे विनियंत्रण, उदारीकरण तथा अर्थव्यवस्था में आये खुलेपन के चलते जो परिवर्तन हुए हैं उनको देखते हुए मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व काफी बढ़ जाता है। अतः रिजर्व बैंक ने मानव संसाधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रयास जारी रखे। सीखने के एक ऐसे माहौल के निर्माण पर बल दिया गया जो कार्यात्मक योग्यता, अंतर्व्यक्तिक संबंध तथा नेतृत्व के विकास में सहायक हो, सृजनशीलता तथा संप्रेषण की क्षमता बढ़ाए तथा विविध संस्कृतियों वाले कार्य के माहौल में तथा विविध-कार्य वाली टीम के साथ कार्य करने की क्षमता का विकास करे। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के साथ बेंचमार्क करने की प्रक्रिया वर्ष 2006-07 के दौरान जारी रही। अपनी नीतियों से आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक संप्रेषण संबंधी अपनी रणनीति को समुचित रूप से तैयार तथा विकसित कर रहा है। शीर्ष प्रबंधन द्वारा दिए गए व्याख्यान, विभिन्न कार्यदल की रिपोर्टें, नियमित प्रकाशन जो कि संचार संबंधी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं।

मानव संसाधन संबंधी पहल

प्रशिक्षण तथा दक्षता बढ़ाना

IX.2 रिजर्व बैंक के तीन प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अर्थात् बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय (बीटीसी), मुंबई, रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी), चेन्नै तथा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे ने बैंकिंग उद्योग तथा रिजर्व बैंक के अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा किया। चार आंचलिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (जेटीसी) ने रिजर्व बैंक के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ के प्रशिक्षण की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया।

प्रसार नीति

IX.3 जनता को अपनी नीतिगत पहल स्पष्ट करने और उसके विश्लेषण के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्तियों, अधिसूचनाओं, मास्टर परिपत्रों, प्रकाशनों, वक्तव्यों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और विज्ञापनों के माध्यम से सूचना का व्यापक प्रसार किया है। 30 जून 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने 1826 प्रेस विज्ञप्तियां, 79 मास्टर परिपत्र और 447 अधिसूचनाएं जारी कीं। विशेष व्यक्तियों से चर्चा हेतु बैठकों, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन किया गया। आम जनता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ई-मेल हेल्पडेस्क द्वारा दिए गए। जनता द्वारा विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित हेल्पडेस्क को ई-मेल / दूरभाष/ फैंक्स के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते रहे। ये प्रश्न सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के अतिरिक्त हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

IX.4 भारत सरकार ने 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ और इसका उद्देश्य नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करना है ताकि प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सके। जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में पारिभाषित किया गया है, एक सरकारी प्राधिकरण होने के नाते रिजर्व बैंक जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों में इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना अथवा अपील के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) नामित किए गए हैं।

अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ने के परिणामस्वरूप सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई और यह संख्या 796 (अक्टूबर 2005 से जून 2006 तक) से बढ़कर 2,163 (जुलाई 2006 से जून 2007 तक) हुई। इस अवधि के दौरान प्राप्त लगभग 95 प्रतिशत अनुरोध का समाधान किया गया। साथ ही, उक्त अवधि के दौरान जानकारी न देने के विरुद्ध बैंक के अपील प्राधिकारी को 393 अपील प्राप्त हुए। 53 मामलों में अपीलकर्ताओं ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईओ) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

जोखिम प्रबंध

IX.5 रिजर्व बैंक विविध स्वरूप के अनेक कार्य करता है। इन कार्यों के फलस्वरूप उसे विभिन्न प्रकार की जोखिमों यथा बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम और परिचालनगत जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बाजार जोखिम, महत्वपूर्ण जोखिमों का एक ऐसा स्रोत है जिसका सामना रिजर्व बैंक को करना पड़ता है। यह जोखिम भारत और विदेश दोनों जगह विनिमय दर और ब्याज दर में परिवर्तनों के कारण इसकी वित्तीय आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होती है। रिजर्व बैंक का तुलनपत्र हाल के वर्षों में अपनी विदेशी मुद्रा आस्तियों के हिस्से में वृद्धि के कारण विनिमय दर में परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो गया है। चूंकि विदेशी मुद्रा आस्तियां निश्चित आय वाले लिखतों में निवेश की जाती हैं अतः वे भी विनिमय दर परिवर्तनों के अधीन रहती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण का जमाराशियों और ऋण लिखतों में विनियोजन, रिजर्व बैंक के उधार अथवा पुनर्वित्त परिचालनों से उसे ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। चलनिधि जोखिम तब पैदा होती है जब बाजारों में हस्तक्षेप करने के लिए अथवा अन्य नकदी देयताएं पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा आस्तियों को नकद में परिवर्तित करना पड़ता है। रिजर्व बैंक को परिचालन जोखिम का भी सामना करना पड़ता

है जो अपर्याप्त अथवा फेल आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्ति और प्रणालियां अथवा बाह्य घटनाओं के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि के रूप में परिणित होती है।

IX.6 इन जोखिमों का प्रबंध निर्दिष्ट नीति के अनुसार किया जाता है। बाजार जोखिम की आवधिक रूप से निगरानी की जाती है। ऋण जोखिम का प्रबंधन काउंटर पार्टियों के लिए सीमाएं निर्धारित करके तथा सुपुर्दगी बनाम भुगतान प्रणालियों के माध्यम से लेनदेन करके किया जाता है। चलनिधि जोखिम का प्रबंधन अत्यंत चलनिधि वाली आस्तियों में विदेशी मुद्रा आस्तियों का एक पर्याप्त हिस्सा विनियोजित करके कारगर रूप से किया जाता है।

IX.7 सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों / निरीक्षण / लेखा परीक्षा व्यवस्थाएं और विधिवत निर्दिष्ट की गई प्रक्रियाएं और नीतियां, प्रणालियों के लिए बिजनेस कांटिन्यूटी प्लान, आस्तियों का बीमा और भौतिक सुरक्षा, प्रक्रिया नियंत्रण तथा आंकड़ों की वास्तविकता (इंटिग्रेटी) के लिए सत्यता की जांच सुनिश्चित करके परिचालनगत जोखिम को दूर करने के लिए भी पर्याप्त उपाय किए गए हैं। परिचालन जोखिम का प्रबंध करने के लिए मानव निष्ठा और सतर्कता बढ़ाने के संबंध में अधिक जोर दिया जा रहा है। चूंकि परिचालन जोखिम मात्रात्मक रूप से तय नहीं की जा सकती, रिजर्व बैंक में विगत हानियों / परिचालन जोखिमों का विश्लेषण करने और उनके नियंत्रण के लिए एक आंकड़ा आधार विकसित करने के उपाय भी शुरू कर दिए गए हैं।

अनुसंधान गतिविधियां

आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग

IX.8 आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग अर्थव्यवस्था के विविध पहलुओं से संबंधित नीतिगत अनुसंधान प्रदान करता है। विभाग ने अपने प्रमुख प्रकाशनों के माध्यम से रिजर्व बैंक की नीतियों एवं मूल्यांकन की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाने में

रिजर्व बैंक के प्रयासों में योगदान किया है। विभाग द्वारा सांख्यिक रिपोर्टें, रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2005-06 तैयार की गई और वर्ष के दौरान जारी की गई। मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2005-06 में 'वित्तीय बाजारों का विकास तथा केंद्रीय बैंक की भूमिका' विषयों को शामिल करते हुए इसे वर्ष के दौरान जारी किया गया। इस रिपोर्ट में वित्तीय बाजार के विभिन्न खण्डों में हुए विकास के विविध पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है और यह भारत में वित्तीय बाजार के प्रगामी विकास हेतु प्रत्येक बाजार खण्ड के संबंध में भावी दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्ष के दौरान प्रकाशन 'राज्य वित्त : वर्ष 2006-07 का बजट अध्ययन', जारी किया गया जो राज्य सरकारों के समेकित वित्त में हो रही प्रगति तथा उसकी प्रवृत्तियों का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग

IX.9 सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उच्च गुणवत्ता की सांख्यिकीय सेवा उपलब्ध कराता है जिसमें सूचनाओं का संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और प्रसारण शामिल है। विभाग को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसारण प्लेटफॉर्म के प्रबंधन का कार्य भी सौंपा गया है जैसे - केंद्रीय डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (सीडीबीएमएस) और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित डाटाबेस (डीबीआई)। अन्य विभागों को सांख्यिकीय विश्लेषण तथा विशिष्ट क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डाटा प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना भी विभाग की प्रमुख गतिविधियों का हिस्सा है।

केंद्रीय बोर्ड और उसकी समितियां

IX.10 30 जून 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान केंद्रीय बोर्ड की सात बैठकें आयोजित की गईं। इनमें से चार बैठकें पारंपरिक केंद्रों (नई दिल्ली, कोलकाता,

चेन्नै और मुंबई) तथा तीन बैठकें गैर-पारंपरिक केंद्रों (रायपुर, हैदराबाद और शिमला) में आयोजित हुईं। वर्ष के दौरान केंद्रीय बोर्ड समिति की मुंबई में छियालीस साप्ताहिक बैठकें संपन्न हुईं। रिजर्व बैंक के कार्यों को दिशा प्रदान करने हेतु केंद्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियों (केंद्रीय बोर्ड की समिति, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड और भुगतान एवं निपटान प्रणाली बोर्ड) तथा तीन उप-समितियों (निरीक्षण और लेखा परीक्षा उप-समिति, स्टाफ उप-समिति तथा भवन उप-समिति) का गठन किया गया है। केंद्रीय बोर्ड की समिति, पहले की तरह निर्गम और बैंकिंग विभाग से संबंधित रिजर्व बैंक के साप्ताहिक लेखों को अनुमोदन देने के साथ-साथ रिजर्व बैंक के वर्तमान कारोबार को भी देखती है। केंद्रीय बोर्ड की बैठकों की चर्चा में आमतौर पर जो मामले शामिल होते हैं वे सामान्य अधीक्षण तथा रिजर्व बैंक के कार्यों को दिशा प्रदान करने से संबंधित होते हैं, जिसमें निदेशक विभिन्न क्षेत्रों के अपने व्यापक अनुभवों के आधार पर अन्य बातों के साथ मुद्रा प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण, मौद्रिक और ऋण नीति, रिजर्व बैंक की लेखांकन नीति तथा आंतरिक ऋण प्रबंध नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय योगदान देते हैं। बोर्ड की चर्चाओं में विकास के फायदे समाज के गरीब वर्गों तक तथा कृषि क्षेत्र के एवं सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के संबंध में गंभीर मूल्यांकन करने पर भी जोर दिया जाता है।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड के निदेशक/सदस्य

IX.11 श्री डी.एस.ब्रार के 2 जनवरी, 2007 से केंद्रीय बोर्ड का निदेशक नहीं रहने पर उनके स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(ग) के अंतर्गत श्री संजय लाबू को 2 जनवरी 2007 से रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक नामित किया गया। श्री लाबू को केंद्रीय बोर्ड की

मानव संसाधन विकास और संगठनात्मक मामले

निरीक्षण और लेखा-परीक्षा उप-समिति में नामित किया गया है। श्री अशोक के.झा के स्थान पर 10 मई 2007 से डॉ. डी.सुब्बाराव, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (घ) के अधीन केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के

रूप में नामित किया गया था क्योंकि 2 जुलाई 2007 से डॉ. सुब्बा राव को वित्त सचिव और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के रूप में पदनामित कर दिया गया है। प्रो. महेंद्र सिंह सोढ़ा ने व्यक्तिगत कारणों से 10 मई 2007 से स्थानीय बोर्ड (पश्चिम क्षेत्र) से अपना त्याग पत्र दे दिया।

X

वर्ष 2006-07 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

X.1 वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक में बैंक की 31,43,39,200 शेयरों (बही मूल्य 1,222.73 करोड़ रुपए) की समग्र इक्विटी धारिता बाजार दर पर भारत सरकार को अंतरित कर दी गई जिससे 34,308.60 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इस असाधारण लाभ मद को ब्याज और अन्य आय के अंतर्गत लिया गया है जिससे इन आंकड़ों की पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती।

भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष

X.2 वर्ष 2006-07 के लिए भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष की राशि 45,719.60 करोड़ रुपए है; जिसमें शामिल हैं (i) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज के अंतर के लिए 1,914.00 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य उस ब्याज व्यय के अंतरों के लिए सरकार को क्षतिपूर्ति देना है जो विशेष प्रतिभूतियों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप सरकार को वहन करना पड़ा था; (ii) रिज़र्व बैंक के पास रखे भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों की भारत सरकार को बिक्री से लाभ के 34,308.60 करोड़ रुपए।

आय

X.3 वर्ष 2006-07 के लिए रिज़र्व बैंक की सकल आय 75,348.33 करोड़ रुपए थी जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों की बिक्री से हुए लाभ के 34,308.60 करोड़ रुपए शामिल हैं। स्टेट बैंक के शेयरों की बिक्री से हुए लाभ को छोड़कर सकल आय 41,039.73 करोड़ रुपए थी, इसमें पिछले वर्ष से 55.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। यह मुख्य रूप से विदेशी स्रोतों से आय में वृद्धि के कारण थी। वर्ष के दौरान घरेलू स्रोतों (स्टेट बैंक के शेयरों की बिक्री पर हुए लाभ को छोड़कर) से भी आय बढ़ी।

विदेशी स्रोतों से अर्जन

X.4 विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के

विनियोजन से रिज़र्व बैंक के अर्जन में 2005-06 के 24,538.03 करोड़ रुपए से 2006-07 में 35,152.99 करोड़ रुपए अर्थात् 10,614.96 करोड़ रुपए (43.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण है विदेशी मुद्रा आस्ति के स्तर में वृद्धि और विश्वभर में अल्पावधि ब्याज दरों का बढ़ना। प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर मूल्यांकन में हास का हिसाब लगाने से पहले विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण पर अर्जन की दर 2006-07 में 4.7 प्रतिशत रही जबकि 2005-06 में यह दर 4.1 प्रतिशत थी। हास को हिसाब में लेने के बाद विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण पर अर्जन की दर 2005-06 के 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 4.6 प्रतिशत हो गई।

देशी स्रोतों से आय

X.5 वर्ष 2006-07 में देशी आय में (भारत सरकार को भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों की बिक्री से हुए लाभ को छोड़कर) पिछले वर्ष के 1,782.28 करोड़ रुपए की तुलना में 5,886.74 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। देशी आय में वृद्धि मुख्य रूप से बैंक के पोर्टफोलियो में रखी गई प्रतिभूतियों के मूल्यहास के लिए किए गए कम प्रावधान के कारण हुई। 2006-07 के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अर्जित उच्चतर निवल ब्याज ने भी उच्चतर आय में योगदान दिया। भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों की बिक्री पर लाभ सहित देशी आय 2005-06 के दौरान हुई 1,782.28 करोड़ रुपए की आय से बढ़कर 2006-07 के दौरान 40,195.34 करोड़ रुपए हो गई।

व्यय

X.6 रिज़र्व बैंक के कुल व्यय में 1,315.15 करोड़ रुपए (22.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई अर्थात् यह 2005-06 में 5,849.10 करोड़ रुपए से बढ़कर 2006-07 में 7,164.25 करोड़ रुपए हो गया।

ब्याज भुगतान

X.7 ब्याज भुगतान 389.03 करोड़ रुपए (25.5 प्रतिशत) घटा अर्थात् 2005-06 के 1,524.41 करोड़ रुपए से 2006-07 में 1,135.38 करोड़ रुपए हो गया। यह मुख्य रूप से पात्र नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेषों पर कम ब्याज भुगतान के कारण हुआ। इसके अलावा, 31 मार्च 2007 से पात्र सीआरआर शेषों पर कोई ब्याज देय नहीं है। इस तरह, वर्ष 2006-07 के दौरान केवल 9 महीनों के लिए ब्याज भुगतान किया गया।

स्थापना व्यय

X.8 कुल स्थापना व्यय 2005-06 के 919.88 करोड़ रुपए से बढ़कर 2006-07 में 1,425.81 करोड़ रुपए हो गया, जोकि मुख्य रूप से बीमांकियों द्वारा बताया गए अनुसार ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि में 2005-06 में किए गए 19.26 करोड़ रुपए के प्रावधान की जगह 2006-07 में बढ़ाकर किए गए 453.01 करोड़ रुपए के प्रावधान के कारण था। इस प्रावधान को घटाकर यह वृद्धि 72.18 करोड़ रुपए थी। 2006-07 के दौरान स्थापना व्यय में वेतन (30.2 प्रतिशत), भत्ते (18.2 प्रतिशत), निधियां (35.1 प्रतिशत) और विविध व्यय (16.5 प्रतिशत) शामिल थे।

गैर स्थापना व्यय

X.9 2006-07 (जुलाई-जून) में प्रतिभूति मुद्रण प्रभार (चेक, नोट फार्म, आदि) पर किया गया व्यय 2005-06 के 1,034.86 करोड़ रुपए से 986.03 करोड़ रुपए (95.3 प्रतिशत) बढ़कर 2,020.89 करोड़ रुपए हो गया। व्यय में हुई इस वृद्धि का कारण था बैंक नोटों की आपूर्ति में वृद्धि जो 2005-06 के 7001 मिलियन नग से बढ़कर 2006-07 में 11,473.3 मिलियन नग हो गई। दूसरा अन्य कारण था अतिरिक्त/नई सुरक्षा विशेषताओं वाले बैंक नोटों की शुरुआत।

तुलन पत्र

देयताएं

X.10 वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 ग के अधीन स्थापित) में रिज़र्व बैंक की आय में से निधि में 1.00 करोड़ रुपए जमा करने के सिवाय कोई भी परिचालन नहीं हुआ। राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि जनवरी 1989 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46घ (1) के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित की गई थी। वर्ष 2006-07 के दौरान इस निधि में रिज़र्व बैंक की आय से 1.00 करोड़ रुपए का सांकेतिक अंशदान किया गया। 'जमाराशियां-बैंक' उस शेष राशि को दर्शाता है जो बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने के लिए और समाशोधन समायोजनों के लिए कार्यकारी निधियों के रूप में रिज़र्व बैंक में चालू खाते में रखी जाती है। 'जमाराशियां-अन्य' में वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त जमाराशियां, कर्मचारी भविष्य निधि जमाराशियां, सरकार को अंतरित किए जाने तक अधिशेष के रूप में निर्दिष्ट राशियाँ और विविध जमाराशियां शामिल हैं।

X.11 'अन्य देयताओं' में रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधियां और प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य खाते में निवल जमा शेष शामिल हैं। इन देयताओं के 30 जून 2006 के 1,72,373.80 करोड़ रुपए से घटकर 30 जून 2007 को 1,29,200.02 करोड़ रुपए हो जाने से देयताओं में 43,173.78 करोड़ रुपए (25.1 प्रतिशत) की गिरावट आई जिसका मुख्य कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में कमी थी।

मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) और विदेशी मुद्रा समतुल्यीकरण खाता (ईईए)

X.12 विनिमय दरों में और / अथवा सोने के भावों में होनेवाली घट-बढ़ के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों और सोने के मूल्य निर्धारण से होने वाले लाभ / हानि

को लाभ-हानि खाते में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उन्हें एक अलग तुलनपत्र शीर्ष के अंतर्गत जिसे मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) कहते हैं, रखा जाता है। इसकी शेष राशि विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्य निर्धारण में संचित निवल लाभ को दर्शाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में 65,065.66 करोड़ रुपए की कमी आई। इस प्रकार, इसकी शेष राशि 30 जून 2006 के 86,789.18 करोड़ रुपए से घट कर 30 जून 2007 को 21,723.52 करोड़ रुपए हो गई। जून 2007 के अंत में मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में शेष राशि रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा स्वर्ण की धारिता के 2.5 प्रतिशत के बराबर थी जबकि जून 2006 के अंत में यह 11.6 प्रतिशत थी। यह कमी भारतीय रुपए की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्य में हास के कारण थी जिसकी गणना 2006-07 के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियों के बढ़े हुए स्तर पर की गई थी। विदेशी मुद्रा समतुल्यीकरण खाते (ईईए) की शेष राशियां वायदा वचनबद्धताओं से उत्पन्न विदेशी मुद्रागत हानियों हेतु किए गए प्रावधान को दर्शाती हैं। 30 जून 2007 को विदेशी मुद्रा समतुल्यीकरण खाते में शेष 9.68 करोड़ रुपए था। सीजीआरए और ईईए के शेषों को तुलनपत्र में 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत समूहित किया गया है।

आकस्मिक आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि

X.13 रिज़र्व बैंक एक आकस्मिक आरक्षित (सीआर) निधि रखता है ताकि वह अप्रत्याशित और अनपेक्षित आकस्मिकताओं के आघात को सह सके। 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक की आय से सीआर में 20,488.97 करोड़ रुपए के अंतरण के कारण सीआर का शेष 30 जून 2006 के 73,281.10 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2007 को 93,770.07 करोड़ रुपए हो गया। आकस्मिक निधि में जमा शेष आकस्मिक देयताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

X.14 आंतरिक पूंजी व्यय को पूरा करने तथा अपनी सहायक और संबद्ध संस्थाओं में निवेश

करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 1997-98 में एक पृथक आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) गठित की थी जिसका उद्देश्य आकस्मिक आरक्षित निधि के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत रिज़र्व बैंक की कुल आस्तियों के एक प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुँचना है। 2006-07 के दौरान, आय से एडीआर को 1,971.51 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई जिससे इसका स्तर 30 जून 2006 के 7,592.82 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2007 को 9,564.33 करोड़ रुपए हो गया। 30 जून 2007 को आकस्मिक आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि दोनों को मिलाकर बैंक की कुल आस्तियाँ 10.3 प्रतिशत होती हैं।

आस्तियां

विदेशी मुद्रा आस्तियां

X.15 विदेशी मुद्रा आस्तियों में, निर्गम विभाग में रखी विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी राशियां तथा बैंकिंग विभाग में रखी विदेशी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। ऐसी आस्तियां 30 जून 2006 के 7,18,701.18 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2007 को 8,39,878.79 करोड़ रुपए हो गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों के स्तर में वृद्धि मुख्यतया बाजार से अमरीकी डालर की निवल खरीद, प्राप्त ब्याज तथा बट्टे के कारण थी।

भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश

X.16 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश जो 30 जून 2006 को 38,934.50 करोड़ रुपए था, 50,145.16 करोड़ रुपए (128.8 प्रतिशत) बढ़कर 30 जून 2007 को 89,079.66 करोड़ रुपए हो गया। इस वृद्धि के लिए व्यापक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) परिचालनों के अंतर्गत की गई खरीदों को उत्तरदायी माना जा सकता है, क्योंकि प्रणाली में उपलब्ध चलनिधि की स्थिति 30 जून 2006 को अधिशेष से बदलकर 29 जून 2007 को घाटे की स्थिति में आ गई।

सहायक संस्थाओं तथा संबद्ध संस्थाओं के शेयरों में निवेश

X.17 वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक (1,222.73 करोड़ रुपए) में बैंक की धारिताएं भारत सरकार को बेच दी गईं। इसकी सहायक और संबद्ध संस्थाओं में रिज़र्व बैंक के निवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

अन्य आस्तियां

X.18 'अन्य आस्तियों' में मुख्य रूप से मीयादी आस्तियां, बैंकिंग विभाग में स्वर्ण धारिताएं, अधूरी परियोजनाओं पर व्यय राशि और स्टाफ अग्रिम शामिल हैं। 'अन्य आस्तियों' का स्तर 6,620.71 करोड़ रुपए (32.1 प्रतिशत) बढ़ गया है अर्थात् 30 जून 2006 के 20,623.80 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2007 को 27,244.51 करोड़ रुपए हो गया है।

वर्ष 2006-07 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

30 जून 2007 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

(हजार रुपए)

2005-06	आय	2006-07
14257,09,61	ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि ¹	52887,85,08
14257,09,61	जोड़	52887,85,08
	व्यय	
1524,41,09	ब्याज	1135,38,41
919,88,29	स्थापना	1425,81,16
1,19,11	निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और खर्च	1,50,46
17,01,03	खजाना प्रेषण	21,22,84
1833,55,04	एजेंसी प्रभार	2042,49,63
1034,86,21	प्रतिभूति मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि)	2020,89,24
17,50,64	मुद्रण और लेखन-सामग्री	17,49,52
46,70,75	डाक-टिकट और दूरसंचार प्रभार	34,87,24
59,10,63	किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	60,05,12
1,88,91	लेखा-परीक्षकों के शुल्क और खर्च	1,81,82
2,95,27	विधि प्रभार	1,76,95
179,25,59	बैंक संपत्ति का मूल्यहास और उसकी मरम्मत	181,40,07
210,77,05	विविध व्यय	219,52,25
5849,09,61	जोड़	7164,24,71
8408,00,00	उपलब्ध शेष राशि	45723,60,37
	घटाइए: निम्नलिखित में अंशदान:	
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1,00,00
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ²	1,00,00
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि ²	1,00,00
	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1,00,00
4,00,00		4,00,00
8404,00,00	केंद्रीय सरकार को देय अधिशेष	45719,60,37

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार 22,460,47,52 हजार रुपए (2005-06 - में 12063,21,12 हजार रुपए) का सामान्य या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।
2. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

प्रबाल सेन
मुख्य महाप्रबंधक

उषा थोरात
उप गवर्नर

श्यामला गोपीनाथ
उप गवर्नर

वी. लीलाधर
उप गवर्नर

राकेश मोहन
उप गवर्नर

वाइ.वी.रेड्डी
गवर्नर

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक, इसके द्वारा केंद्रीय सरकार को 30 जून 2007 की स्थिति का बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के 30 जून 2007 की स्थिति के तुलन-पत्र की और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि लेखे की जांच की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से जो जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा, वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिए गए और वे संतोषजनक हैं।

इस वित्तीय विवरण में बैंक के उन्नीस लेखा यूनितों के लेखा शामिल किए गए हैं जो संविकिद शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं। शाखा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है जिसे हमने रिपोर्ट तैयार करते समय विचारार्थ लिया है।

इन वित्तीय विवरणों के प्रति उत्तरदायित्व बैंक-प्रबंधन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में, परीक्षण आधार पर, वित्तीय विवरण में राशि और प्रकटन की पुष्टि करनेवाले साक्ष्यों की जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

ए.डी. शेर्पा
(सदस्यता क्र. 11549)
फोर्ड, रॉड्स, पार्क्स एंड कं.
सनदी लेखाकार

देरायस जेड. फ्रेज़र
(सदस्यता क्र. 42454)
कल्याणीवाला एंड मिस्त्री
सनदी लेखाकार

दिनांक : 9 अगस्त 2007